खण्ड-197, अंक-8
मंगलवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(4 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य,
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणरा , श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारात चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री

नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी,
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखा लाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिरपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहत, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)

रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
राम ग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास ग्रार्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामइतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण ग्राचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फग्रली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री

शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में महानगर हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में शिकायत

१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका लखनऊ ने महानगर हाउसिंग स्कीम में किस लागत पर कितने भवन बनाये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—लखनऊ नगर-पालिका ने महानगर योजना में साढ़े दस लाख रुपये की धनराशि से १६३ भवनों का निर्माण अल्पाय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कराया है ।

२—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को मालूम है कि इस बरसात में उन मकानों की छतों से पानी टपका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। केवल ७ मकानों की कुछ छतों में गत मास में चार पांच दिन लगातार वर्षा होने के कारण बूंद-बूंद करके पानी टपका था।

**३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगर-पालिका लखनऊ के निर्माण कार्य में इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मकानों में बूंद-बूंद पानी टपका था वह कितने दिन पहले बने थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह मकान अभी कुछ ही दिन पहले बने थे। लेकिन मैं यह और सूचित कर दूं कि उस के बाद जो पानी बरसा है उस वक्त वह टपकना बंद हो गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी जांच कौन कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—म्युनिसिपल इंजीनियर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस महानगर योजना में जो मकान बने हैं उनमें बिजली का प्रबंध नहीं हो पाया है और इसी तरह सीवर और ड्रेनेज का भी कोई प्रबंध नहीं हो पाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन सब के लिये प्रबंध हो रहा है और उसके लिये धनराशि भी रख दी गयी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच किसी दूसरी एजेन्सी से कराने की कृपा करेंगे ताकि ठीक से मालूम हो जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं, ऐसी जरूरत नहीं समझी जाती क्योंकि स्वयं नगर-पालिका के प्रशासक भी इच्छुक हैं इसके कि कोई खराब मैटीरियल न लगाया जाय। और अगर खराब मैटीरियल लगाया गया होगा तो ठेकेदारों से उसका रुपया काट लिया जायगा और उसको ठीक कराया जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या इसकी जांच उन्हीं इंजीनियर्स के जरिये हो रही है कि जिनके सुपरविजन में इनका निर्माण हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—आमतौर से जो काम होता है वह ओवरसियर्स के सुपरविजन में होता है। इंजीनियर्स बड़े अधिकारी हैं, वह अधिकतर मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन यह सही है कि म्युनिसिपल इंजीनियर लखनऊ ही इसकी जांच करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह सीवर और ड्रेनेज की जो योजना है वह कितने की है और कबतक पूरी हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस महानगर योजना के विकास के लिये ५,९४,८३८ रुपये के व्यय का अनुमान है। इसमें २,२५,००० रुपया बिजली के सिलसिले में है और सीवर तथा ड्रेनेज लगाने के सिलसिले में १३,५०,००० रुपय का अनुमान है।

अधिकारियों को स्थानान्तरण के समय विदाई की दावतें प्राप्त करने की मनाही

**४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार ने हाल में कोई ऐसी हिदायत जारी की है कि जब कोई सरकारी अधिकारी एक जिले से दूसरे जिले को स्थानान्तरित हो तो वह जनता से विदाई की दावतें प्राप्त न करें ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अभी हाल में ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये हैं किन्तु सन् १९५० ई० में ऐसे आदेश अवश्य जारी किये गये थे । सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ में भी ऐसे आदेश मौजूद हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह विदित है कि इन हिदायतों के बावजूद भी जब अधिकारियों का स्थानान्तरण होता है तो वे अभिनन्दन और दावतें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा बिलकुल विदित नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अब फिर ऐसी कोई हिदायतें जारी करने की कृपा करेंगे कि अधिकारीगण इस तरह की दावतें और अभिनन्दन प्राप्त करने का प्रयत्न न करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक इस बात का कोई सबूत न हो कि पहली जो हिदायतें हैं उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा है तब तक दूसरी हिदायतें जारी करने की कोई जरूरत नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला-स्तर पर इन नियमों के पालन हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर अधिकारी अपने चालचलन का स्वयं जिम्मेदार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कलेक्टरों को विदाई दावतें न दी जावें, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कलेक्टर खुद ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जिन अधिकारियों ने जनता से दावतें और इस प्रकार के मानपत्र प्राप्त किये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार की ओर से की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को आज तक एक भी सूचना नहीं मिली है कि किसी अधिकारी ने कोई इस किस्म का गलत काम किया है ।.

भूख हड़ताली कम्युनिस्ट नेता सर्वश्री कालीशंकर शुक्ल, जयबहादुरसिंह तथा शान्ति त्यागी का मुख्य मंत्री को पत्र

**५—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के तीन नेता श्री कालीशंकर शुक्ला, श्री जयबहादुर-सिंह, सदस्य, विधान परिषद् और श्री शांति त्यागी जो गत २५ अगस्त से भूख हड़ताल कर रहे हैं उनकी ओर से मुख्य मंत्री को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

उत्पादन में सरकार द्वारा कथित वृद्धि का न होना, उत्पादन बढ़ाने के लिये परती जमीन को किसानों में बांटने की आवश्यकता, सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग न होना, अनाज के

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पर्याप्त स्टाक बनाने में सरकार की उदासीनता, खाद्य नीति को बदलने और अनाज के बढ़े हुये मूल्यों को कम करने के लिये आन्दोलन करने का कम्युनिस्ट पार्टी का निश्चय तथा तीन सदस्यों द्वारा अनिश्चित काल के लिये २५ अगस्त से अनशन आरम्भ करने की सूचना।

**६—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में उत्पन्न खाद्य संकट पर विचार करने के हेतु उसकी ओर से विधान सभा के विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाने का कोई प्रयास हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या सफलता मिली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी मीटिंग बुलाने का न्याय मंत्री जी ने आयोजन किया था। कुछ दलों की ओर से यह आपत्ति की गई कि यदि मुख्य मंत्री ऐसी मीटिंग में सम्मिलित न होंगे तो वह उसमें शरीक न होंगे परन्तु इस बीच में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना मिल चुकी थी। अतः इस दिशा में इस समय कोई और कदम उठाना उचित नहीं समझा गया।

इण्डियन पेनल कोड की दफा १२४–ए को अल्ट्रावायर्स करार देने के सम्बन्ध में जानकारी

**७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंडियन पेनल कोड की दफा १४४–ए को अल्ट्रावायर्स करार दे दिया है?

**८—इस समय जो मुकदमें दफा १४४-ए के मातहत चल रहे हैं क्या सरकार उपर्युक्त फैसले के बाद उनको वापस लेने पर विचार कर रही है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में १२४ की जगह १४४ गलती से छप गया है। यह मेरी ही गलती थी, मैं इसके लिये सरकार पर आरोप नहीं लगाता हूं। मैं आशा करता हूं कि १२४–ए के बारे में उत्तर देने में सरकार को कठिनाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—अगर मंत्री जी १२४–ए के बारे में तैयार होकर आये हैं तो जवाब दे सकते हैं यदि वे चाहें तो, वरना मैं दूसरे हफ्ते के लिये ये प्रश्न रख दूंगा।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इस समय १२४–ए के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—तो मैं अगले हफ्ते के लिये स्थगित करता हूं।

सरकारी कर्मचारियों को स्टाफ कार वापस करने पर विचार

**९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी कर्मचारियों को फिर से स्टाफ कार देने का कोई निश्चय अभी हाल में किया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं, प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियां देने के प्रश्न पर कोई कमेटी मुकर्रर हुई है? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं?

डाक्टर सीताराम—इस पर विचार के लिये तीन आदमियों की एक कमेटी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस सेक्रटरी हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाफ कार वापस की गईं उनका क्या किया गया ?

डाक्टर सीताराम---उनमें से १७० गाड़ियां टैक्सी के रूप में चल रही हैं और बाकी ट्रांसपोर्ट विभाग की विभिन्न वर्कशाप्स में हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या उस कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया कि गाड़ियां लौटाने में सरकार को कुछ आर्थिक बचत होगी या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---इन सब प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जिन अधिकारियों को गाड़ी देने पर विचार किया जा रहा है क्या ये वही अधिकारी हैं जिनसे वापस ली गई थीं ?

डाक्टर सीताराम---करीब-करीब तो वही अधिकारी हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---पहले किस आधार पर गाड़ियां वापस ली गईं और किस आधार पर फिर दी जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम---वह गवर्नमेंट का निर्णय था । अब देने का कारण यह है कि सरकार की योजनायें ठीक से चलें , अधिक टी० ए० खर्च न हो, तीसरी बात यह है कि वर्कशाप में रखी गाड़ियों का ठीक से इस्तेमाल हो सके।

श्री रामस्वरूप वर्मा---कारें वापस लेने और फिर से देने के बीच में टी० ए० का फर्क ज्यादा पड़ा या कम पड़ा ?

डाक्टर सीताराम---आदेश तो वापस नहीं लिया गया, जी० ओ० तो है ही । लेकिन टी० ए० इसलिये ज्यादा दिया गया था कि जिससे वे अपनी गाड़ियां खरीद कर काम करें और उनको टी० ए० ज्यादा दिया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जब सरकार ने पहले यह निर्णय किया था कि स्टाफ कारें वापस ली जावें तब उसने इस बात पर विचार किया था या नहीं कि विकास की योजनाओं के कार्य चल रहे हैं और इसलिये वापस नहीं लेनी चाहिये ?

डाक्टर सीताराम---यह तो हमेशा विचार होता ही रहता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी० ओ० जो अभी वापस नहीं लिया गया है उसके अनुसार कितनी गड़ियां वापस होनी थीं और कितनी हुईं ?

डाक्टर सीताराम---४५० गाड़ियां विड्ड्रा हुईं । करीब १,४०० जिनमें ट्रक्स भी हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के पास थीं ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या श्रद्धेय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी इसके अपवाद में रखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप साहित्यिक या कवित्व पूर्ण भाषा न बोलकर सीधी भाषा बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

डाक्टर सीताराम---उनके काम के लिये उनको थोड़े समय के लिये गाड़ियां लौटा दी गई थीं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि पुनर्विचार करने के लिये कमेटी कब बनाई गई और उसे कोई आदेश दिया गया कि कब तक अपनी रिपोर्ट देगी ?

डाक्टर सीताराम—करीब १, या १॥ महीना हुआ यह कमेटी बनाई गई थी। वह सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। निश्चित समय नहीं बताया जा सकता कि वह कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन विश्वास किया जाता है कि वह शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट देने का प्रयत्न करेगी।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में ग्राम सेवकों का ट्रेनिंग के लिये चुनाव

*१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५७ में कितने ग्राम सेवकों (V. L. Ws.) का चुनाव किया गया जो ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—आजमगढ़ जिले से सन् १९५७ में कुल ८३ व्यक्ति ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त किये जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए चुने गए। यह लोग अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं।

*२—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ से कितने व्यक्तियों की लिस्ट योग्यता के क्रम से विकास आयुक्त (Development Commissioner) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास उपर्युक्त पद के लिये आई हुई हैं क्या सरकार इसकी प्रति† लिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी हाल में ग्राम सेवकों के चुनाव के उपरान्त आजमगढ़ जिले से १०२ व्यक्तियों की सूची, विकास योग्यता के क्रम में, विकास आयुक्त के दफ्तर में आई है। उसकी एक प्रतिलिपि† सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ८३ व्यक्तियों का चुनाव किया गया है क्या वे योग्यताक्रम से इसी लिस्ट से लिये गये थे ?

श्री सुल्तान आलम खां—सन १९५७ ई० में दो मर्तबा चुनाव हुआ, एक अप्रैल में और दूसरी मर्तबा दिसम्बर में। अप्रैल के चुनाव के लोग ट्रेनिंग में भेजे गये और उनमें से ये लोग लिये गये हैं। दिसम्बर के चुनाव के बाद प्लान पूर्ण की गई, इसलिये उनको ट्रेनिंग में भेजने का सवाल नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय—जो सूची मुझे दी गई है इसमें से कुछ व्यक्ति लिये गये या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसमें से ८३ व्यक्ति ले लिये गये हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना समझ कर इस बात की जांच करेंगे कि जिस प्रकार से ट्रेनीज की लिस्ट बनती है उसी क्रम से लिये जाते हैं या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां—जो लिस्ट बनती है वह कुछ नियमों के अनुसार बनती है और उसी हिसाब से लोग लिये जाते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी बात बतायेंगे कि जिसमें उन नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो उसकी जांच करायी जायगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—आजमगढ़ से जो १०२ की लिस्ट आयी थी उसमें से ८३ लोग लिये गये या बाहर से लिये गये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने अर्ज किया कि पहले आजमगढ़ से जो लिस्ट आयी थी, उसमें से यह चुनाव किया गया था। लेकिन दूसरी जो १०२ की लिस्ट आयी है, उसमें से कोई भी ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा गया है क्योंकि पहले के ही ट्रेनीज अभी मौजूद हैं।

---

† प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार यह बतायेगी कि १०२ व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति पुनः ट्रेनिंग के लिये भेजे जायेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस १०२ आदमियों की लिस्ट में से कोई आदमी नहीं भेजा गया, इसलिये कि प्लान कट कर दिया गया और उनके लिये अब कोई जगह नहीं है ।

बलिया जिले में रतनपुरा सामुदायिक विकास योजना पर व्यय

*३—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया के अन्तर्गत रतनपुरा में सामुदायिक विकास योजना कब से कब तक लागू रही है और कुल कितनी धनराशि किन-किन मदों में व्यय की गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां—रतनपुरा, जिला बलिया में सामुदायिक विकास (कम्यूनिटी डेवलपमेंट) योजना १ सितम्बर, १९५२ से ३१ मार्च, १९५६ तक लागू रही । इस अवधि में इस योजना पर कुल १८,०२,९७७ रुपये खर्च हुए, जिसका मद-वार विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

*४—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि जिलाधीश बलिया ने किसी अज्ञात कारणवश सामुदायिक विकास कार्यालय, रतनपुरा की जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच से क्या पता चला है ?

श्री सुल्तान आलम खां—ऐसी कोई जाँच नहीं हुई । अतएव प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बिल्डिग चार बरस पहले बनायी गयी थी, उसकी छत व दीवार टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य को इसकी ज्यादा जानकारी होगी । अगर वह लिख कर देंगे तो इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बिल्डिग में जन हित पर कितना खर्च किया गया और इस्टेब्लिशमेंट पर कितना ?

श्री सुल्तान आलम खां—अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं मदवार पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि स्टेट प्रोजेक्ट हेड क्वार्टर की रकम को छोड़ कर बाकी डिडक्ट कर के आप बता दें ।

श्री सुल्तान आलम खां—स्टेट प्रोजेक्ट हेड क्वार्टर पर २,९५,३०४ रु० खर्च होगा, इसके अलावा भूमि सुधार , मेडिकल वगैरा पर और खर्च हुआ है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि रतनपुरा क्षेत्र में भूमि सुधार का कार्य किस हल्के में हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

चिनहट, जिला लखनऊ में पाटरी फैक्टरी स्थापित करने की योजना

*५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Planning Department के द्वारा चिनहट, जिला लखनऊ में Pottery Factory लगाने जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां ।

*६—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी में सरकार कितना धन व्यय करने जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—१९५७-५८ में पूर्व अग्रगामी पाटरी योजना पर १,८७,८५८ रुपया ३५ नये पैसे व्यय किया गया और १९५८-५९ में सरकार ने १,२५,००० रुपया व्यय करने की स्वीकृति दी है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह फैक्टरी तैयार हो जायगी तो वहां वस्तुओं के बनाने की कैपेसिटी क्या होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये तो मुझे नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या नियोजन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम चिनहट, जिला लखनऊ को ही किन कारणों से इस फैक्टरी के लिये चुना गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्लानिंग रिसर्च ऐंड एक्शन इंस्टीट्यूट जिसके सुपुर्द इसकी जांच और तहकीकात की गयी थी, उसने यह रिपोर्ट दी है कि चिनहट एक ऐसा मुकाम है जहां यह कामयाबी से चल सकती है । इस वजह से इस फैक्टरी को वहां खोलने का इरादा किया गया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चिनहट फैक्टरी पर कितना रुपया बिल्डिंग पर खर्च हुआ है और कितना रुपया मशीनों पर खर्च होने की योजना है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने यह तय किया है कि पहले किन-किन चीजों को बनाने की प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी चीजें हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसमें पहले कुंडी, जार इस किस्म की चीजें बनायी जायेंगी । इसमें कामयाबी होने पर जब काम बढ़ जायगा तो और चीजें बनायी जायेंगी । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस फैक्टरी को जाकर देखें और उस सिलसिले में कुछ मश्विरा दें तो उससे बहुत लाभ उठाया जा सकता है ।

बलिया जिले में रतसढ़ ग्राम के निकट अबरक तथा मिट्टी का तेल मिलने की कथित सूचना

*७—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को बलिया जिले के रतसढ़ ग्राम सभापति ने जिलाधीश बलिया के द्वारा उक्त ग्राम के आस-पास अबरक तथा मिट्टी के तेल की खान होने की सूचना दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस संबंध में वह क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । इस संबंध में कोई लिखित सूचना जिलाधीश बलिया को नहीं दी गई ।

बलिया जिले में कूपनिर्माणार्थ वितरित तकावी की वसूली

*८--श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५५-५६ में जिलाधीश बलिया ने सिंचाई के हेतु कुआं निर्माण करने वाले किसानों को उनके प्रार्थना-पत्र पर पांच सौ रुपया इस शर्त पर कि कुआं बनवाने पर केवल दो सौ रुपये की वसूली तकावी किस्त पर होगी और शेष धन छूट का होगा, दिया था ? यदि हां, तो अब कुल धन ५०० रुपये की वसूली एक मुश्त क्यों हो रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं, तकावी इस शर्त पर नहीं दी गई थी कि कुआं बन जाने पर केवल दो सौ रुपया वसूल किया जायगा बल्कि इस शर्त पर दी गई थी कि तकावी मिलने के दिनांक से १२ महीने के अन्दर कुआं नियमानुसार बन जाने पर ३०० रुपये की छूट दी जावेगी ।

जिन्होंने उपरोक्त शर्त के अनुसार कुएं नहीं बनवाए अथवा तकावी के धन का दुरुपयोग किया, उनसे तकावी का कुल धन नियमानुसार एक मुश्त वसूल किया जा रहा है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार को यह पता है कि पिछले सूखा और बाढ़ के कारण भूतपूर्व जिलाधीश ने १२ महीने की कैद को हटा दिया था ? यदि हां, तो फिर यह धन एक मुश्त क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--नियम तो यह है कि कुआं बनाने के लिये जिसको तकावी दी जाय वह एक साल के अन्दर कुआं बना ले, लेकिन खास सूरत में जब कोई दिक्कत हो और कोई रिप्रेजेण्टेशन करे तो एक साल की मुद्दत और बढ़ा दी जायगी, लेकिन २ साल के अन्दर यह कुआं न बन सके या कुएं के लिये जो रुपया दिया गया था उसे किसी और काम में लगा दिया जाय तो फिर एक मुश्त तकावी वसूल कर ली जायगी ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--श्रीमन्, जब उस इलाके में लगातार बाढ़ और सूखा रहा जिसके बारे में सरकार को भी मालूम है और कलेक्टर साहब ने १२ महीने की कैद हटा दी, तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर यह रुपया क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने इसका जवाब तो दे दिया है ।

*९-१०--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

कतिपय जिलों की कचेहरियों में पूछताछ कार्यालय की स्थापना

*११--श्री मुक्तिनाथराय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कचहरियों के पुनर्संगठन की व्यवस्था जिसमें पूछताछ कार्यालय भी स्थापित किये गये हैं, किन-किन जिलों में लागू की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कलेक्ट्री पुनर्संगठन योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की गई है, किन्तु पूछताछ कार्यालय केवल निम्नलिखित ९ जिलों में स्थापित किए गए हैं--मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद तथा कानपुर ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ९ जिलों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों की कचेहरियों में पूछताछ कार्यालय न खोलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन जिलों में कार्यालय खोले गए हैं परीक्षा के लिये । यदि यह प्रयोग सफल रहा तो धीरे धीरे और जिलों में भी यह चीज बढ़ाई जायगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन ९ जिलों में ये कार्यालय कब स्थापित किये गए थे और इस समय उनकी सफलता या असफलता के क्या परिणाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मेरा खयाल है पिछले दो वर्षों के अन्दर स्थापित किये गए हैं जब से पुनर्संगठन की योजना चलाई गई। ठीक तारीख तो मैं नहीं बतला सकता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है शायद यह प्रयोग सफल प्रतीत हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ जिलों में जो इन्क्वायरी आफिस कायम किये गए हैं वहां क्या विभिन्न प्रकार के चालान फार्म आदि भी रखने की व्यवस्था कर दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फार्म की बात तो मैं जानता नहीं। मैं तो यह जानता हूं कि लोग पूछताछ करने के लिये जाते होंगे और उनको जवाब मिलता होगा। फार्म की बात मुझे मालूम नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पूछताछ दफ्तरों में किसान को अपने खेत और रकबे का नम्बर और इंतखाब भी प्राप्त करने की सुविधा होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा खयाल है कि नहीं। आम तौर से जो बात अदालत से संबंध रखने वाली होती है उन्हीं बातों की पूछताछ की जिम्मेदारी इन दफ्तरों पर है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ जिलों के अतिरिक्त निकट भविष्य में किन-किन अन्य जिलों में यह योजना लागू करने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

राज्य सरकार को केन्द्र से प्राप्त तथा आश्वस्त फारेन एक्सचेंज

*१२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की स्वीकृत द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने हेतु कितने "फारेन-एक्सचेंज" की आवश्यकता है ?

श्री सुल्तान आलम खां--स्वीकृत द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये २५६२.२४५ लाख रुपए "फारेन-एक्सचेंज" की आवश्यकता है।

*१३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उपर्युक्त 'फारेन-एक्सचेंज' प्राप्त हो जाने का आश्वासन भारत सरकार से मिल गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--भारत सरकार से पूरे पांच साल के फारेन एक्सचेंज प्राप्त होने का आश्वासन नहीं मिला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना फारेन एक्सचेंज प्राप्त होने का आश्वासन प्राप्त हो चुका है और कितना मिल चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां--होता यह है कि हर तिमाही, हर क्वार्टरली पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वह जो उनका फारेन एक्सचेंज की जरूरत है उसकी गवर्नमेंट आफ इंडिया की उसी मिनिस्ट्री को, उसी डिपार्टमेंट को इत्तला करते हैं और उसके हिसाब से वह फैसला करते हैं और एक्सचेंज रिलीज होता है हर तीन-तीन महीने के बाद।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने पूछा था कि अब तक कितना फारेन एक्सचेंज मिल चुका है और कितना मिलने का आश्वासन मिल चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

*१४-१६—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ११ सितम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किये गये ।]

आबकारी प्रशासन हेतु प्रथम श्रेणी के नगर तथा इन्स्पेक्टर

*१७—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कौन-कौन फर्स्ट क्लास शहर हैं और उनमें कितने इन्स्पेक्टर तैनात हैं ?

डाक्टर सीताराम—आबकारी विभाग में प्रथम श्रेणी के नगरों का कोई निर्धारित वर्गीकरण नहीं है । पिछली जन-गणना में इस श्रेणी में निर्दिष्ट नगरों के अतिरिक्त कमिश्नरी का मुख्यालय होने के कारण फैजाबाद और नैनीताल को इस श्रेणी में मान लिया गया है । इन्सपेक्टरों से सम्बद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट, टेहरी का भवन न होना तथा इन्स्ट्रक्टरों का ग्रेड

*१८—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी-गढ़वाल के 'पोलिटेक्नीक इन्स्टोट्यूट' जो टिहरी शहर में स्थित है, के इन्स्ट्रक्टरों के दो पदों पर अब भी ४५—२—६५ रु० का ग्रेड है जब कि यह ग्रेड सन् १९५१ से ६०—४—१०० रु० का हो गया है ?

उद्योग उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, टिहरी (गढ़वाल) में ४५—२—६५ रु० के वेतन-क्रम का कोई भी इन्स्ट्रक्टर का पद नहीं है । इस संस्था में इन्स्ट्रक्टरों के दो स्थायी पद ४५—२—६५—४—८० रु० के वेतन क्रम में थे जो १-४-५१ से ६०—४—८०—इ० रो०—४—१०० रु० में परिवर्तित हो गये हैं ।

इनके अतिरिक्त दो अस्थायी सहायक इन्स्ट्रक्टरों के पद हैं जिनका वेतन क्रम ४५—२—६५—इ० रो०—३—८० रु० है ।

*१९—श्री सूरतचन्द रमोला—यदि उपर्युक्त कथन सही है तो क्या सरकार आज तक की बकाया धनराशि इस वेतन-क्रम पर कार्य करने वाले अध्यापकों को देने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जिन दो इन्स्ट्रक्टरों के पदों का वेतन क्रम १-४-५१ से ४५—८० से ६०—१०० रु० में परिवर्तित हुआ था उन पदों पर काम करने वाले अध्यापकगण उक्त तिथि से ही ६०—१०० रु० के वेतन क्रम में वेतन पाते हैं । अतः बकाया धनराशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२०—श्री सूरतचन्द रमोला—क्या सरकार को विदित है कि जिला टिहरी-गढ़वाल के टिहरी शहर में स्थित 'पोलीटेक्नीक इन्स्टोटचूट' के पास भवन की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले बजट में इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां । राजकीय पोलीटेक्नीक, टिहरी-गढ़वाल के भवन निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सहायक इंस्ट्रक्टरों के वेतन-क्रम को भी ६०—४—१०० रु० में बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं।

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो अस्थायी सहायक इंस्ट्रक्टर्स हैं यह भी वही कार्य करते हैं जो स्थायी इंस्ट्रक्टर्स करते हैं?

श्री रऊफ जाफरी—सहायक इंस्ट्रक्टर का काम करके इंस्ट्रक्टर का काम जो होता है उसमें यह मदद देते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पोलीटेक्नीक इंस्टीट्यूशन की इमारत न बनने के क्या कारण हैं?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९५५-५६ में रुपया दिया गया था, लेकिन बिल्डिंग मेटीरियल की कमी की वजह से वह रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर सोचा जा रहा है कि उन तमाम ऐसे कामों को जो बिल्डिंग मेटीरियल न मिलने की वजह से रोक दिये गये उनको फिर से कराया जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी निश्चित रूप से बतायेंगे कि इमारत कब तक बन जायगी?

श्री रऊफ जाफरी— निश्चित रूप से बताना मुमकिन नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार उन दो इंस्ट्रक्टर्स को जो ४५—२—६५ रु० के ग्रेड में हैं ६०—४—१०० रु० का ग्रेड देने का विचार करने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त तो कोई विचार नहीं है। आइन्दा के लिये जैसा मुमकिन होगा वह देखा जायगा।

*२१—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गढ़वाल जिले में पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट, श्रीनगर की भवन निर्माण योजना

*२२—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीनगर-गढ़वाल में 'पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट' भवन निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जावेगी?

श्री रऊफ जाफरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय पोलीटेक्नीक श्रीनगर (गढ़वाल) के भवन निर्माण के लिये २.०३ लाख रुपये की व्यवस्था है।

आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या मंत्री जी के इस उत्तर से मैं यह समझूं कि सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है जिसकी सूचना उद्योग विभाग के अनुसचिव ने एक पत्र द्वारा मुझे दी थी। उसमें लिखा था कि सरकार को अफसोस है कि फिलहाल यह भवन नहीं बन सकता।

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न साफ नहीं हुआ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या उद्योग विभाग की तरफ से इस तरह के सुझाव का एक पत्र दिया गया था कि यह भवन नहीं बनाया जा सकता है?

श्री रऊफ जाफरी—इस तरह से किसी प्रश्न का हल नहीं किया गया है कि उसके लफ्जों का खयाल किया जाय। हम उसको रूल्स के अन्तर्गत बना सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में पोलिटेक्नीक इन्स्टीट्यूट किस इमारत में है ?

श्री रऊफ जाफरी—अभी इसकी अपनी इमारत बनी नहीं, यह दूसरी बिल्डिंग में होगी, इसकी मुझे इत्तला नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई इमारत का बनना कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री रऊफ जाफरी— फलां-फलां वक्त से बननी शुरू हो जायेगी, यह बतलाना तो मुमकिन नहीं है।

*२३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२७ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिले में महोली चीनी मिल पर सेस का बकाया

*२५—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले की महोली शुगर फैक्टरी का पूरा सेस (Cess) वसूल हो गया है ? यदि नहीं, तो अब कितना बाकी है और उसकी वसूली का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं। १ अगस्त, १९५८ को इस चीनी मिल पर सेस का २ लाख रुपया बकाया था। इस शेष रकम की अदायगी के लिये सितम्बर, १९५८ तक समय दे दिया गया है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कितने वर्षों से बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह पिछले दो-तीन वर्ष की बात है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह इस लम्बी रकम की वसूली कब तक नहीं करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना सेस इस फैक्टरी का बाकी था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—५ लाख के करीब था, उसमें से ३ लाख वसूल हो गया है और बाकी २ लाख सितम्बर के आखिर तक वसूल हो जायेगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है यह जो बकाया वसूल करने की बात है, इसके लिये कोई नया तरीका अख्तियार किया जाय जिससे कि यह जल्दी वसूल हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह आप को मालूम है कि रिकवरी सार्टिफिकेट से लिया जाता है और इसकी वसूली के लिये सितम्बर के आखिर तक आदेश है कि सब बकाया वसूल किया जायेगा और इसमें कोई रियायत नहीं की जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात पर विचार करने जा रही है कि सेस जो है वह लैण्ड रेवेन्यू के जरिये से वसूल हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो आज कल है, लेकिन हाई कोर्ट में जो बकाया केसेज चल रहे थे और उसके मुकदमे रोक रखे थे, उसके कारण यह बात थी, वैसे सरकार इनसे वसूल करने के सम्बन्ध में कोई मेहरबानी नहीं कर रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इतनी बड़ी धनराशि के लिये जो सभी मुकदमें चल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनसे रह गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने यह कब कहा कि मुकदमें अभी तक चल रहे हैं ? हमने किसी के साथ कोई रियायत नहीं की है और सब को सितम्बर के आखिर तक की नोटिस दे रखी है क्योंकि उनके रिकवरी सार्टिफिकेट्स प्रसारित हो चुके हैं ।

*२६—श्री गनेशीलाल चौधरी—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की समितियों में परगना हाकिमों की प्रधानता समाप्त करना

*२७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने कोई ऐसा सरकारी आदेश भेजा है कि N. E. S. ब्लाक्स की कमटियों की प्रधानता हाकिम परगना किया करें ? यदि हां, तो कब ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि इन ब्लाक कमेटियों में हाकिम परगना जाकर प्रधानता करता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी तक ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अब वहां से हटा दिया गया है और सन् १९५८ से दो प्रकार की बातें वहां कर दी गई हैं । एक तो यह है कि ब्लाक एडवाइजरी कमटी की जगह पर उनका नाम ब्लाक डवलपमट कमेटी होगा और दूसरी चीज यह है कि हाकिम परगना जहां पहले उस जल्से में सदारत करता था, अब वह उस मीटिंग में सदारत नहीं करेगा बल्कि कमेटी के मेम्बर खुद अपने में से ही एक नान आफिशियल मेम्बर चुन लेंगे और वही उस जल्से की सदारत करेगा ।

ठठिया, जिला फर्रुखाबाद की चर्म-शोधशाला पर अनुमानित व्यय

*२८—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ठठिया, जिला फर्रुखाबाद में बनने वाली चर्म-शोधनशाला कब से बन रही है और कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) जुलाई, १९५७ से ।

(ख) कब तक तैयार हो जायगी यह बताना मुश्किल है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस चर्म-शोधनशाला का अनुमानित बजट क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस भवन निर्माण का किस्सा यह है कि पहले यह तय हुआ था कि १५,००० रुपये में यह मकान बन जायगा, लेकिन बाद में मेम्बरों की तादाद ३० हो गई और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मकान चाहिये, उस वक्त ठेका दिया जा चुका था, लेकिन मेम्बरों ने कहा कि बकिया रकम चन्दे से जमा कर लेंगे । उसके बाद १५,००० रुपये खर्च होने पर काम रुक गया, अब जब चन्दा जमा होगा तभी काम शुरू होगा । अब पूरी लागत उसमें कितनी आयेगी इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस चर्म-शोधनशाला में सरकार का भी कोई पैसा देने का हिस्सा है ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार तो ग्रान्ट की हैसियत से पहले ही दे चुकी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यदि १५,००० रुपया लगने के बाद भवन निर्माण अधूरा है तो क्या सरकार कोई आर्डर दे रही है कि चन्दा जल्द जमा किया जाय और यदि वह जमा न हो तो क्या सरकार कुछ और खर्च करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—चन्दा जमा करने के लिये कोई आदेश तो नहीं भेजे गये हैं, लेकिन उद्योग अधिकारी को सलाह जरूर दी गई है कि वह मेम्बरान से कहें कि वे चन्दा जल्द जमा करें क्योंकि मेम्बरान ने पहले ही स्वयं निश्चय किया था कि बकिया रुपया वे खुद देंगे । लिहाजा वह उनको ही देना होगा, सरकार को जो रुपया देना था वह दे चुकी, अब उसे देने की जरूरत नहीं है ।

*२९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०–३२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में चालू उद्योग-धंधे

*३३—श्री शिवराजबलीसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत कौन-कौन से घरेलू तथा दूसरे छोटे उद्योग सरकार द्वारा आज तक खोले गये हैं और किन-किन स्थानों में ?

श्री रऊफ जाफरी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७५ पर)

श्री शिवराजबलीसिंह—क्या मंत्री जी को पता है कि फतेहपुर के देहाती क्षेत्र में रंगई रेवाड़ी, अबूनगर और ब्रह्मपुर आदि ग्रामों में जिन लोगों को अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग दी गई थी वह बेकार बैठे हैं और इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—जिन जगहों के नाम लिये गये हैं, अबूनगर में सरकारी समिति नान-टेक्सटाइल की है और अम्बर चर्खे की बात यह है कि वहां अभी स्कीम चालू करने का इरादा है ।

श्री शिवराजबलीसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बसोनपुर और अबूनगर में जो चर्म उद्योग केन्द्र खोले गये हैं वे कब से खोले गये हैं और उनमें कितने कर्मचारी हैं और उसकी इमारत बन चुकी है या अभी नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—अबूनगर में जो सहकारी समिति है उसकी इमारत बन गई है और वह चालू है । बसोनपुर के बारे में आर्डर हो गया है, जमीन के एक्वीजिशन का इन्तजाम हो गया है और इमारत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, अभी वह बनी नहीं है । रहा यह कि वहां कितने कर्मचारी हैं इसके लिये नोटिस चाहिये ।

*३४–३६—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले में कच्चे कुएं बनाने के लिये सहायता

*३७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में सरकार की वित्तीय सहायता से सन् १९५७ में कितने कच्चे कुएं खोदे गये ?

श्री सुल्तान आलम खां—बलिया जिले में सरकार की वित्तीय सहायता से सन् १९५७ ई० में १८० कच्चे कुएं खोदे गए।

*३८—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने प्रति कच्चे कुएं पर कितनी सहायता दी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्रति कच्चे कुएं के निर्माण के लिए ५० रु० (पचास रुपया) तकावी ऋण दिया जाता है और कुआं बन जाने पर तकावी का २० प्रतिशत भाग छूट में परिणत किया जाता है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो १८० कुएं किसानों ने बनाये हैं उनको ३ प्रतिशत छूट के साथ तकावी मिल गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जरूर मिल गयी होगी।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो कच्चे कुएं की सहायता मिल रही है वह अब भी मिल रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—१९५७-५८ में ५०० ऐसे कुएं बनाने के लिए वहां तकावी दिये जाने का हुक्म हुआ। इनमें से १८० कुएं दिसम्बर तक १९५७ में खोदे जा चुके थे और बाकी जो बचे थे उनके लिए उम्मीद थी कि मार्च तक पूरे हो जायेंगे। वह जरूर पूरे हो गये होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ५० रुपया जो सरकार कच्चे कुंओं के लिए देती है, उसने एस्टीमेट लगा लिया है कि एक कच्चा कुआं खोदने में कितना खर्च होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य को तो इसका इल्म होगा, वह जानते होंगे कि ५० रुपये की सहायता दी जाती है और यह सहायता का रुपया २५,००० गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत से उनसे हासिल करके दिया गया है। सरकार का खयाल था कि पूर्वी जिलों में आसपास के कुओं की कमी है, इसलिए यह रुपया रखा गया है और खास तौर से उनके लिये यह रियायत रखी गयी है कि ५० रुपये दिये जायं और कुआं बन जाय तो २० फीसदी तकावी की छूट दे दी जाय।

*३९-४०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४१-४२—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[१९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज-बिबियापुर बस सर्विस का विचार

*४३—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला फर्रुखाबाद में कन्नौज से बिबियापुर तक बस चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४४—श्री द्वारिकाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला फर्रुखाबाद कस्बा तिर्वागंज से लखनऊ तक सीधी एक्सप्रेस बस चलाने का विचार सरकार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री द्वारिकाप्रसाद—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तिर्वा से दिबियापुर तक बस चलाने का बिचार है ? उसकी क्या संभावना ह, कब तक चल जायगी ?

डाक्टर सीताराम—जरूर है। निश्चित समय बताना अभी कठिन है।

श्री द्वारिकाप्रसाद—परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिर्वा से लखनऊ तक बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम—अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लिस्ट में यह नहीं है और दूसरी बात धनाभाव है।

बरेली प्राइवेट लिमिटेड शुगर फैक्टरी पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*४५—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली प्राइवेट लिमिटेड शुगर फैक्टरी के जिम्मे कितनी रकम गन्ना उत्पादकों की बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ अगस्त, १९५८ को इस चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का ४·७२ लाख रुपया बकाया था।

*४६—श्री गौरीशंकरराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन गन्ना उत्पादकों का रुपया दिलाने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के अन्तर्गत इस मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

*४७-४८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नौगढ़ व बांसी तहसीलों में केन्द्र न खुलना

*४९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने और केन्द्र खोले जावेंगे और उनमें से कितने नौगढ़ व बांसी तहसील के किन-किन गांवों में खुलेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले से हथकरघा उद्योग के लिए सहायता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*५०—श्री सुखनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में सन् १९५७-५८ में कितने प्रार्थना-पत्र हथकरघा उद्योग के अनुदान के लिये आये और कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) १०।

(ख) १०।

श्री सुक्खनलाल—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह १० प्रार्थना-पत्र जो स्वीकार किये गये हैं वह कहां-कहां और किस-किस व्यक्ति के थे ?

श्री रऊफ जाफरी—उनकी फेहरिस्त यों हैं :—

१—यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन, मुरादाबाद;

२—कर्घा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चन्दौसी;

३—टेक्सटाइल प्रोसेसर्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, बाजार दीवान, मुरादाबाद ;

४—सेंट्रल टेक्सटाइल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अमरोहा, मुरादाबाद;

५—गृह उद्योग कर्घा सहकारी समिति लिमिटेड, मोती मस्जिद, पीपलसाना, मुरादाबाद;

६—गृह उद्योग कर्घा सहकारी समिति लिमिटेड, वजीराबाद, नौगांव, मुरादाबाद;

७—गृह उद्योग कर्घा सहकारी समिति लिमिटेड, बसवनगंज, अमरोहा, मुरादाबाद ।

८—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, इडवाला, पीपलसाना, मुरादाबाद;

९—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, दरीबापान, मुरादाबाद; और

१०—हैंडलूम वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संभल, मुरादाबाद ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों की किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी है और वह किस प्रकार की गयी है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह डिपार्टमेंट के जरिये से ही हुआ होगा । किस अधिकारी के जरिये से हुआ, उसका मुझे इस वक्त इल्म नहीं है ।

श्री सुक्खनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान सोसाइटियों के अलावा व्यक्तिगत भी दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी—हैंडलूम के लिये अनुदान कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से देते हैं ।

कानपुर जिले के कल्याणपुर विकास खण्ड को कुटीर उद्योगों के लिए सहायता

*५१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके द्वारा कानपुर जिले के कल्याणपुर विकास खंड में किन-किन कुटीर उद्योगों को किस-किस प्रकार की सहायता अब तक दी गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—सघन विकास खंड कल्याणपुर, जिला कानपुर में होजियरी (Hosiery) का धन्धा खोला गया है, जिसके प्रशिक्षार्थियों को अनुदान के रूप में १९५८-५९ में दी जाने के हेतु ५०० रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस वक्त १२ ट्रेनीज शिक्षा पा रहे हैं ।

श्री मुरलीधर कुरीलह —यजो —५०० रुपये की धनराशि दी गयी है वह ट्रेनिंग टाइम में दी गयी है या प्रशिक्षार्थियों को उद्योग चलाने के लिये दी गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस तफसील के लिये तो मैं नोटिस चाहूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ५०० रुपया किस कुटीर उद्योग के लिये दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह तो मैंने जवाब में बता दिया कि मोजे वगैरह बुनने के काम के लिये दिया गया ।

*५२—**श्री मुरलीधर कुरील**—[हटा दिया गया ।]

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के सम्बन्ध में जानकारी

*५३—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की अधिकृत (authorized) तथा काम चलाऊ (working) पूंजी कितनी है और कारपोरेशन का क्या विधान है ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) अधिकृत पूंजी १२,५०,००० रुपये है । काम चलाऊ पूंजी अभी निश्चित नहीं हुई है ।

(ख) कारपोरेशन के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन तथा मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन की एक प्रति‡ संलग्न है ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कारपोरेशन ने अपना काम चालू कर दिया है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस किस्म की इंडस्ट्रीज को इस कारपोरेशन द्वारा कर्जा दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह छोटे उद्योग धंधों को दिया जाता है और छोटे उद्योग धंधे वे हैं जिनमें १०० आदमी काम करते हों और बिजली न इस्तेमाल की जाती हो या ५० आदमी काम करते हों जहां बिजली इस्तमाल की जाती हो और लागत ५,००,००० रुपये से ज्यादा की न हों ।

*५४—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, तालबेहट की इमारत में खराबी

*५५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट (जिला झांसी) में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की इमारत का ठेका कब दिया गया था और काम कब तक पूरा हो जाना चाहिये था, और अब कब तक पूरी इमारत बन सकेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह ठेका २५ जनवरी १९५७ को दिया गया था और बांड के अनुसार काम ३० अक्तूबर, १९५७ तक समाप्त हो जाना चाहिये था । किन्तु कुछ कारणों से काम उस तिथि तक पूरा न हो सका । अब ३० अक्तूबर, १९५८ तक इसके खत्म होने की आशा है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो इमारत अब तक बनी है उसकी सारी छतें टपकती हैं और इसी कारण २७ जुलाई को वहां ब्लाक की मीटिंग भी नहीं हो सकी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मुझे तो इसकी कोई इत्तला नहीं है । माननीय सदस्य अगर मुझे इसके मुताल्लिक कुछ लिख कर भेज देंगे तो मैं जरूर इसकी जांच करा लूंगा ।

---

‡ प्रति छापी नहीं गयी ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी वे कारण बतलाने की कृपा करेंगे जिनकी वजह से ९ महीने में जो काम पूरा होना था वह २१ महीने में पूरा हो सका ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी वजह यह थी कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसके रिसोर्सेज कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और उसके पास कुछ चीजें, जो काम करने के लिये जरूरी थीं, वे भी नहीं थीं । उससे कहा गया कि वह जल्द से जल्द काम शुरू कर दे । इस वक्त तक ८५ फीसदी काम हो चुका है और उम्मीद यह है कि अक्तूबर, १९५८ तक काम खत्म हो जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस इमारत के बनने के लिये कितने रुपये का ठेका दिया गया था ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी ऐसे ठेकेदार जिसके पास रिसोसज नहीं हैं उसका ठेका कैंसिल करके दूसरे को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी जबाब दिया गया है कि ८५ फीसदी काम हो गया है, तो यह प्रश्न उठता नहीं है ।

*५६-५७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा बस स्टेशन के लिए स्वीकृत धन

*५८—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा का बस स्टेशन बनने में कितना समय लगेगा तथा इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

डाक्टर सीताराम—३१ मार्च, १९६० तक यह बस स्टेशन बन जाने की संभावना है । इस बस स्टेशन की इमारत बनाने के लिये २,७८,६०० रुपया स्वीकृत है ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बस स्टेशन पर काम शुरू हो गया है ?

डाक्टर सीताराम—काम तो शुरू हो गया होगा, ऐसी आशा की जाती है कि पी० डब्ल्यू० डी० से टेंडर इनवाइट नहीं किये गये हैं ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बस स्टेशन की यह योजना कब से थी ?

डाक्टर सीताराम—यह १९५६ से है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बस स्टेशन किस स्थान पर बन रहा है ?

डाक्टर सीताराम—जहां पर जमीन ली गयी है वहीं पर बन रहा होगा ।

जौनपुर से केराकत तथा शाहगंज तक बस-सर्विस की आवश्यकता

*५९—डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में जौनपुर से केराकत तथा जौनपुर से शाहगंज तक सरकारी बसें चलाने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

डाक्टर तारादवी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सड़कों पर बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम—इन दोनों सड़कों पर ११–११ बसें चलती हैं और इनको रिप्लेस करन के लिय सरकार को मुआवजा देना पड़ता है । साथ ही साथ द्वितीय योजना में इन सड़कों को नहीं लिया गया है इसलिये वहां बस चलाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

जौनपुर जिले में स्टेज १ के विकास खण्ड

*६०—डाक्टर तारादेवी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में कोई सघन क्षेत्र खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री सुल्तान आलम खां—भारत सरकार की नवीन योजना के अनुसार अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा अथवा सघन विकास खंड नहीं होते । इनक स्थान पर स्टेज १ के खंड हैं, जिनक ५ वर्ष के कार्य काल में सघन विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, दोनों ही स्थितियों का कार्यक्रम कार्यान्वित करना है । इन खंडों के कार्यक्रम का प्रारम्भ ही सघन विकास के स्तर पर होता है ।

जौनपुर में इस समय स्टेज १ के ६ खंड हैं, जिनमें से धामपुर का ब्लाक हाल ही में १ अप्रैल, १९५८ को खोला गया है ।

डाक्टर तारादेवी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारतीय सरकार की नवीन योजना के अन्तर्गत सघन को खंड १ क्यों कर दिया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने यह बतलाया कि एन०ई०एस० ब्लाक्स और दूसरे किस्म क ब्लाक्स अब नहीं होते हैं बल्कि स्टेज एक और दो के होते हैं नई योजना के मातहत और दोनों ५–५ साल तक चलाये जाते हैं ।

*६१—श्री रामचन्द्र विकल—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस टिकट में रेलवे टिकट के समान सुविधा देने की प्रार्थना

*६२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या परिवहन राज्य-मन्त्री भविष्य में ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि किसी कारण यदि एक बस छूट जाय तो उसके बाद की बस में यात्री यात्रा कर सकें अथवा उनको टिकट के पैसे कुछ काट कर वापस कर दिये जायं जिस प्रकार कि रेल यात्रा के यात्रियों को सुविधा है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*६३—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—[हटा दिया गया ।]

रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत हरिजन कर्मचारी

*६४—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रजिस्ट्रार क्लर्क्स और चपरासी (रजिस्ट्रेशन विभाग में) हैं ? उसमें कितने प्रतिशत हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम—उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन विभाग में रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स तथा चपरासियों की स्वीकृत संख्या क्रमानुसार ३८९ और १३८ है । इनमें क्रमानुसार लगभग ७ और ६ प्रतिशत हरिजन हैं ।

नोट —तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील में दयूरा ग्राम का प्राचीन मन्दिर

*६५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में दयूरा नामक ग्राम में एक प्राचीन मन्दिर का गुम्बद जमीन के अन्दर निकला है जो बौद्धकालीन प्रतीत होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तहसील जलालाबाद के दयूरा में एक मन्दिर है जो किसी पुराने मन्दिर के खंडहर पर बनाया गया है। पुराने मन्दिर के खंडहर की ईंट की जांच की गई तो मालूम हुआ कि वह आठवीं-नवीं शताब्दी की है।

*६६—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार अपनी देख-रेख में पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त मन्दिर की जमीन की भूमितल तक उद्धार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

कूप निर्माणार्थ तकावी देने पर विचार

*६७—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या सरकार अधिक अन्न उपजाओ आंन्दोलन के सफल बनाने के लिये ट्यूबवेल तथा कुओं के लिये पर्याप्त मात्रा में तकावी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ट्यूबवेल के लिये तकावी की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन कुओं के लिये पर्याप्त मात्रा में तकावी दिये जाने के प्रश्न पर अवश्य विचार हो रहा है।

ट्रेन्ड ग्राम सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

*६८—श्रीमती सत्यवतीदेवी रावल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेनिंग पाये हुए उन ग्राम सेवकों को जिन्होंने सुपरवाइजरी की ट्रेनिंग लेना अस्वीकार कर दिया था, उनको सरकार नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम सेवक पद पर इन लोगों की नियुक्ति अब संभव नहीं है।

हरदोई जिले में खोले गये उद्योग

*६९—श्री बुलाकीराम वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में उद्योग विभाग कब से कार्य कर रहा है तथा उसके द्वारा जिले की हरदोई तथा शाहाबाद तहसीलों में कौन-कौन से उद्योग खोले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) १९४७-४८ से।

(ख) हथकरघा उद्योग। इसके अतिरिक्त १३ औद्योगिक सहकारी समितियां भी बनायी गयीं।

मद्य निषेध अवैतनिक प्रचारकों की नियुक्ति का नियम

*७०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने मद्य-निषेध अवैतनिक प्रचारक हैं ?

डाक्टर सीताराम—५६।

*७१—श्री भजनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जो अवैतनिक प्रचारक हैं उन्हें प्रचार के लिये जो मैजिक लालटेन आदि दी जाती है उसे ले आने ले जाने का भी कोई खर्च दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*७२—श्री भजनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अवैतनिक प्रचारक की नियुक्ति का क्या नियम है ?

डाक्टर सीताराम—अवैतनिक प्रचारकों की नियुक्ति विशेष कार्याधिकारी (मद्यनिषेध) द्वारा की जाती है । प्रायः पुराने प्रचारक जिनका कार्य संतोषजनक होता है नियुक्त किये जाते हैं और उन जिलों में जहां पुराने प्रचारकों का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है वहां सम्बन्धित मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है ।

ताड़ गुड़ योजना

*७३—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह ताड़-गुड़ सम्पदा बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है और क्या कोई नवीन-खोज ताड़-खजूर की होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार द्वारा राज्य में ताड़-गुड़ योजना चलायी गयी है जिसका उद्देश्य ताड़-गुड़ उद्योग का अनेक तरह से विकास करना है । इसके अतिरिक्त और कोई कदम उठाने या ताड़-खजूर की खोज करने का निश्चय नहीं किया गया है ।

*७४–७५—श्री शिवप्रसाद नागर—[हटा दिये गये ।]

*७६—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्थायी व अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टर्स

*७८—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आबकारी विभाग में उत्तर प्रदेश में आबकारी इन्सपेक्टरों की संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम—२२४ ।

*७९—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

डाक्टर सीताराम—स्थायी १८३ ।

अस्थायी ४१ ।

हसनपुर, जिला मुरादाबाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारतें न होना

*८०—श्री जगदीशप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हसनपुर, जिला मुरादाबाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारतें कब तक बन जायेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हसनपुर ब्लाक के भवन निर्माण के लिये जमीन प्राप्त करने की कोशिश हो रही है । मुनासिब जमीन मिलते ही भवन निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

*८१–८२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

शुगर मिल्स, खलीलाबाद, जिला बस्ती को बाहर से गन्ना न मिलने की शिकायत

*८३—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल्स खलीलाबाद, जिला बस्ती को बाहरी स्टेशनों का गन्ना इस वर्ष नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सही नहीं है कि १९५७-५८ सीजन में बस्ती जिले की खलीलाबाद शुगर मिल को बाहरी स्टेशनों का गन्ना पेरने के लिये नहीं दिया गया ।

*८४—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खलीलाबाद तहसील, परगना महुली, जिला बस्ती के कुछ गावों के किसानों ने यह मांग की है कि उनके गांव गन्ना देने के लिये स्टेशन खलीलाबाद में लगाये जायें मुन्देरवां के स्टेशन पर नहीं क्योंकि उनके लिये रास्ता नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मांग तो पेश की गयी थी परन्तु इस पर कोई कार्यवाही करना इस कारण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि मुन्देरवा शुगर मिल ने इन गावों के किसानों का गन्ना कारखाने में सुगमता से पहुंचाने के लिये बेसन्द में क्रय-केन्द्र कायम कर दिया था ।

आजमगढ़ जिले में अमिला रेलवे स्टेशन से ईख का कांटा उखाड़ डालना

*८५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—गत दिनांक १२ फरवरी, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के अमिला रेलवे स्टेशन पर कांटा ईख सप्लाई के लिये गड़ कर एक सप्ताह ही में क्यों उखड़ गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रेलवे वैगन प्राप्त न होने से अमिला रेलवे स्टेशन पर कांटा गड़ जाने के बावजूद भी गन्ने की खरीद प्रारम्भ न की जा सकी ।

*८६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि अमिला घोसी दोहरी क्षेत्र के लाखों मन गन्ने की खपत के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—निर्दिष्ट क्षेत्रों में केवल अमिला सुरक्षित क्षेत्र होने से इस इलाके के गन्ने की खपत के लिये सरकार प्रयत्नशील रही ।

खड्डा, शिशवा व घुघली मिल्स को गन्ना पहुंचाने के लिए कांटे की व्यवस्था में विलम्ब

*८७—श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खड्डा मिल व शिशवा मिल व घुघली मिल जोत के अन्तर्गत १२ ग्रामों के किसानों की गन्ना सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर सरकार ने कांटे की तत्काल व्यवस्था की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*८८—श्री राजदेव उपाध्याय—यदि हां, तो सरकारी आदेश के कार्यान्वित करने में [illegible] तक क्यों देरी की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां होने से निर्दिष्ट चीनी मिलों द्वारा तत्संबंधी सरकारी आदेश कार्यान्वित किये जाने में विलम्ब हुआ।

लोहा और फौलाद क कोट का जिलवार वितरण

*८९---श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ के पहिले और दूसरे क्वार्टर में (जनवरी, सन् १९५८ से मार्च, सन् १९५८ तक व अप्रैल, सन् १९५८ से जून, सन् १९५८ तक) प्रदेश के डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को Iron and Steel का कितना-कितना कोटा मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५८ के पहले क्वार्टर में १,२६३ टन का और दूसरे क्वार्टर में २,०४१ टन का कोटा मिला।

*९०---श्री राजेन्द्रदत्त---उपरोक्त कोटे में से किस-किस जिले को कितना-कितना Iron and Steel वितरित किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७६ पर)

कानपुर जिले के पुराने पुलिस अधिकारी

*९१---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला व शहर कानपुर में ऐसे कितने पुलिस अधिकारी हैं जिनको वहां नियुक्त हुए ३ साल या ३ साल से अधिक हो गया है, पर ट्रांसफर नहीं हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५८ नान गजेटेड पुलिस अधिकारी।

*९२---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारियों का तबादला न होने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३ साल में स्थानान्तरित करने का नियम नान गजेटेड अधिकारियों के साथ लागू नहीं होता।

हाथरस, सासनी और अलीगढ़ बस स्टेशनों की इमारतों का निर्माण कार्य

*९३---श्री नन्दकुमारदेव वात्स्यिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या परिवहन राज्य-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस, सासनी और अलीगढ़ बस स्टेशन की इमारतें कब तक बन कर तैयार हो सकेंगी ?

डाक्टर सीताराम---हाथरस, सासनी और अलीगढ़ बस स्टेशनों के सन् १९५८ के अन्दर बन जाने की संभावना है।

रोडवेज के कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह बनवाने की प्रार्थना

*९४---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कैसरबाग, लखनऊ से हैदरगढ़ बस ले जाने वाले रोडवेज के कर्मचारियों (कन्डक्टरों व ड्राइवरों) को ८ घंटे के बजाय १२ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

*९५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या यह रोडवेज के कर्मचारियों (कन्डक्टरों व ड्राइवरों) को रात्रि को विश्राम करने के लिये क्वार्टर बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—रोडवेज के कर्मचारी कन्डक्टरों व ड्राइवरों के लिये विश्राम गृह धीरे-धीरे बनाये जा रहे हैं पर यह संभव नहीं है कि सभी जगहों पर एक साथ ही बन जायें ।

रोडवेज दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

*९६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में सन् १९५६ से अब तक कितने व्यक्ति रोडवेज बसों से दब कर मर गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर में रोडवेज के नये बस स्टेशन की जमीन का मामला

*९७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर शहर में जिला जेल के पास जो नया रोडवेज का स्टेशन बना है उसकी जमीन को मोल लेने के लिये सरकार को कितने रुपये देने पड़े ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सच है कि उपर्युक्त जमीन की जो मालियत तत्सम्बन्धी सरकारी विभाग ने लगायी थी उसके विरुद्ध मालिक जमीन ने जज के यहां दावा दायर किया था ? यदि हां, तो जज ने उसकी क्या मालियत निर्धारित की ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सच है कि उक्त जमीन की जज द्वारा निर्धारित मालियत और विभागीय मालियत में काफी अन्तर है ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गढ़वाल जिले से नये रास्तों पर बस सर्विस की मांग

*१००—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास दुगड्डा, जिला गढ़वाल के निवासियों की यह मांग आई है कि रोडवेज की बसें दुगड्डा केन्द्र से भी कोटद्वार, पाखाल, दादामंडी, रतुवाढाप, जयहरिखाल, कांसखेत, लैंसडाउन, बेलाकुची व एकेश्वर को जाया करें ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

*१०१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया ।]

डुमरियागंज, जिला बस्ती में बस स्टेशन की जमीन

*१०२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि डुमरियागंज (बस्ती) में राजकीय रोडवेज के बस स्टेशन के बनवाये जाने हेतु कोई जमीन ली गयी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

एक ही व्यक्ति को प्राइवेट बस व ठेला चलाने के लिए अधिक परमिट न देना

*१०३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या परिवहन राज्य-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सन् १९५६–५७ में ऐसा नियम बनाया है कि जिस व्यक्ति को प्राइवेट बस व ठेला चलाने का परमिट मिल चुका है उसके किसी सम्बन्धी को दूसरा परमिट न दिया जावे ? यदि हां, तो क्या वे उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । कोई नियम नहीं बनाया गया । प्रश्न नहीं उठता । हां, सन् १९५७ में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी को सुझाव दिया गया था कि जहां तक सम्भव हो अधिक परमिट एक ही व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये ।

हरिजन कल्याण व समाज कल्याण विभागों को मिलाने का सुझाव

*१०४—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरिजन सहायक विभाग को समाज-कल्याण विभाग में शामिल करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? क्या अर्थ समिति ने सरकार को कोई ऐसा सुझाव भी दिया ह ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । मितव्यय समिति ने भी यही सुझाव दिया है ।

जौनपुर जिले में उद्योगों के लिए अनुदान

*१०५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जौनपुर शहर में घड़ियों के पुर्जे बनाने की फैक्टरी के लिये १ जनवरी, सन् १९५८ से लेकर ३० जून, सन् १९५८ तक उद्योग विभाग द्वारा कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*१०६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि १ जनवरी, सन् १९५८ से लेकर ३० जून, सन् १९५८ तक कितना अनुदान उद्योग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में किन-किन उद्योगों के लिये दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहली जनवरी सन् १९५८ से लेकर ३० जून सन् १९५८ तक १,००० रु० का अनुदान उद्योग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में चर्म उद्योग के लिये दिया गया है ।

---

३१ जुलाई, १९५८ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ५–६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन †

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ३१ जुलाई, १९५८ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५–६ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री उग्रसेन ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था । वह इस प्रकार है—

"श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने गन्ने का दाम पेमेंट हो चुका है ?"

उस पर निम्नलिखित उत्तर दिया गया था:—

"यह अभी तक कुल रुपया ३,६६,५९,००० था । इसमें से २,४६,००,०००.६६ रुपया वसूल हो चुका है । बाकी इतना रह गया है जो अभी नहीं दिया है ।"

---

†३१ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उपरोक्त उत्तर में कुछ अशुद्धियां रह गयी थीं। सही उत्तर इस प्रकार हैः

"यह अभी तक कुल रुपया ३,३६६.५९ लाख रुपया था। इसमें से ३,२४६.६६ लाख रुपया वसूल हो चुका है। बाकी ११९.९३ लाख रुपया गन्ने की कीमत तथा ३७.५२ लाख रुपया कमीशन इतना रह गया है जो अभी नहीं दिया है।"

बदायूं जिले में बाजार लूटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री टीकाराम जी ने और श्री बुद्धीसिंह जी ने भेजा है और वह बदायूं जिले में कहीं बाजार लूटने के सम्बन्ध में है। यह जो आज प्रस्ताव चल रहा है, उसमें उक्त विषय का जिक्र आ सकता है इसलिए मैं इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, मैं इस पर एक निवेदन.....

श्री अध्यक्ष—निवेदन का कोई सवाल नहीं है। जब मैंने फैसला दे दिया है तो बात खत्म है।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव—(क्रमागत)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, सारे विरोधी दलों की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसके बारे में कल से बराबर विवाद हो रहा है और उधर के बहुत अच्छे बुद्धिमान बोलने वालों की भी बातें मैंने सुनीं, लोगों का हास्य भी सुना, लोगों का मजाक भी सुना और सब बातों के अन्दर एक ही बात मुझे दिखायी पड़ी कि उधर के लोग यह सोचते हैं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव किसी बात की एपालोजी है। यह गलत बात है। यह प्रस्ताव जो विरोधी दलों की ओर से आया है 'इट इज नाट ऐन एपालोजी आफ नो कांफीडेंस'। यह वास्तव में बिलकुल स्पष्ट कांक्रीट सारे दो साल के कार्यकाल के अनुभव के परिणामस्वरूप आया है। (व्यवधान) हमारे मित्र कुछ कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पहले बैठ जायं तब उत्तर पा सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—हमारे मित्रों को जरा अधैर्य हो रहा है। तो मैं यह कहूंगा कि आपको भी बोलने की बारी आयेगी धैर्य से जरा सुनें। तो श्रीमन्, जब कभी भी यहां अन्न उठता है जन हित के कार्य के बारे में, जैसे अभी खाद्य समस्या के बारे में, दामों के बढ़ने के बारे में प्रश्न उठा और सरकार से बार बार कहा गया कि आप को पावर्स हैं, आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते, मिल बन्दी के कारण, मजदूरों को वेतन न मिलना, बेकारी का प्रश्न उठा और कहा गया कि आप अपने पावर्स का प्रयोग क्यों नहीं करते तो उधर से बार-बार कहा जाता है कि यह डेमोक्रेसी है। श्रीमन्, एक काल था जब कि इस देश को दासता थी तो पंथ की आड़ में सब कर्म अकर्म हुआ करते थे इसी प्रकार इस डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी अकर्मण्यता छिपाने का प्रयास करते हैं। डेमोक्रेसी के मानी यह नहीं हैं कि हम इतने निरीह हो जाय कि जनहितों का प्रश्रय देने की दृष्टि से पग न उठा सकें। मैं एक उदाहरण दूं। अभी बम्बई में पिछली बार जब शोलापुर की मिलें बन्द हुईं तो बम्बई सरकार ने रिक्विजीशन करके खुद चलाया। अभी ५, ७ दिन हुए काटन मिल ले कर स्वयं चला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि बम्बई की सरकार की डेमोक्रेसी की परिभाषा कुछ और है और उत्तर प्रदेश की सरकार की परिभाषा कुछ और है। यही नहीं अमेरिका में जहां कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी

है जिसमें प्राइवेट प्राफिट मोटिव मुख्य जहां सिद्धांत रहता है उस देश में जब कोई युद्ध काल नहीं था, स्टील कार्पोरेशन में जब स्ट्राइक हुई और मिल मालिकों के दुराग्रह के कारण हुई जिससे आज अमेरिकन राष्ट्र की क्षति हो रही है, उस क्षति को रोकने के लिये प्रेसीडेंट ट्रूमेन ने उस मिल को रिक्विजीशन कर लिया था। यहां पर अगर इस सरकार से कहा जाता है कि रिक्विजीशन करो तो वह कहते हैं कि हम पता लगायेंगे। क्या पता लगायेंगे? हमारे एक आल इंडिया के खाद्य मन्त्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई होर्डिंग नहीं है और हमारे उत्तर प्रदेश के खाद्य मन्त्री कहते हैं कि होर्डिंग है। इन दोनों में से सही क्या है? किस मन्त्री की बात हम सही मानें। अगर हम यह कहते हैं कि कंट्रोल कीजिये तो यह सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। तो फिर यह पता लगाये कि गल्ला कहां है। पता लगाने के सब साधन इस सरकार के पास हैं। मगर उन सारे साधनों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है।

इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस प्रान्त में प्राइसेज बराबर बढ़ती जाती हैं और जिसकी स्थिति आज यह हो गयी है कि जो हमारे प्रान्त का अल्पभोगी वर्ग है जिसके वेतन की आय में विशेष वृद्धि नहीं हुई है, जिसका वेतन सीमित है, जिसके जीवन की उपभोक्ता सामग्री में ४६३ फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है और जिसके वेतन में केवल ९३ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है, उसकी दशा आज बहुत ही निम्न स्तर की हो चली है। मैं कुछ बाहर के आंकड़े नहीं दूंगा, केवल उस समय के आंकड़े दूंगा जबकि हमारे यहां पंचवर्षीय योजना विशेषकर खाद्यान्न को बढ़ाने के लिये नहीं बनी थी। जिस समय सरकार ने ग्रो मोर फूड के लिये फैसला किया था उस समय के आंकड़े मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। वैसे तो हमारे मित्रगण इस विषय में बहुत प्रवीण हैं, वह यह कहते हैं कि दुनिया के सारे देशों में युद्ध की समाप्ति के बाद स्थिति खराब होती है। लेकिन आज तो युद्ध को समाप्त हुए १३ वर्ष हो गये हैं। जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सन् १९४८ में चावल का भाव १४ रुपये ८ आने मन और गेहूं का भाव १५ रुपये मन, मस्टर्ड आयल ६० रुपये मन, चीनी ३० रुपये मन, दूध ८ आने सेर और धोती का जोड़ा जो आदमी पहनता है, उसका दाम १० रुपया जोड़ा था; श्रीमन्, फरवरी सन् १९५८ में १० वर्ष के बाद और सरकार की सारी योजनायें लागू होने के बाद और अधिक अन्न उपजाऊ योजना का नारा लगाने के बाद फरवरी सन् ५८ में क्या स्थिति हो गयी। आप श्रीमन्, देखेंगे कि चावल का भाव २१ रुपये मन हो गया, गेहूं का का भाव १५ रुपये मन, मस्टर्ड आयल का भाव ५४ रुपये मन, चीनी का भाव २९ रुपये मन और दूध का भाव १० आना सेर हो गया। आप श्रीमन्, देखिये कि उसी वर्ष फरवरी के बाद यानी ५-६ महीने के बाद अगस्त में ही जब कि रबी की फसल कटती है चावल का दाम ३२ रुपये मन, गेहूं का दाम २६ रुपये मन, अरहर की दाल ११ आना सेर, मूंग की दाल १ रुपया सेर, मस्टर्ड आयल ७६ रुपये मन आदि सारी जीवन की आवश्यक वस्तुओं का दाम एकदम बढ़ गया। अगर सरकार से पूछा जाता है कि ये प्राइसेज क्यों बढ़ रही हैं तो इसका उत्तर नहीं आता है। आज प्रान्त में दो तरह की प्राइसेज चल रही हैं लेकिन इसको रोकने के लिये सरकार कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देती है।

आज इस प्रान्त के अन्दर दो मार्केट चल रहे हैं। गेहूं को आप देखें, लोहे को आप देखें, जिस पर सरकार का कंट्रोल लग गया उसका भाव अलग है और जो ओपेन मार्केट में सामान बिकता है उसका दाम दुगुना, तिगुना बाजार में अलग है। मेरा निवेदन यह है कि अगर खाद्यान्न की हमारे प्रान्त में इतनी कमी थी तो यह ब्लैक मार्केटिंग कहां से हो रही है। यदि अन्न की कमी थी तो फिर वह ब्लैक मार्केटिंग में क्या प्राप्त हो रहा है। सरकार की ओर से इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप जितना गेहूं चाहें, जितना भी खाद्यान्न चाहें, उतना बाजार में आप को प्राप्त हो सकता है। अगर यह सरकार खाद्यान्न का प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो आप ब्लैक मार्केट से चाहे जितना खरीद सकते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि अगर उन वस्तुओं की

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

स्केयरसिटी थी तो फिर यह ब्लैक मार्केट में सामान कहां से गया ? कैसे वहां प्राप्त हो रहा है ? तो श्रीमन्, यह मानना पड़ेगा कि यहां पर स्केयरसिटी है या acute हो गयी है। सरकार की गलत पालिसी के कारण यह स्केयरसिटी का भूत खड़ा कर दिया गया है जिससे यह सरकार जनसाधारण के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्केयरसिटी को acute हमारी सरकार ने अपनी गलत पालिसी के कारण बनाया है। आज इस प्रान्त के अन्दर इतना अन्न है कि अगर उसको रिक्विजीशन किया जाय और बड़े-बड़े जखीरों को हस्तगत किया जाय तो हमारे प्रान्त का खाने का १।। महीने का काम चल सकता है। तो श्रीमन्, यह इस प्रकार का आलस क्यों ?

अभी कल ही माननीय गेंदा सिंह जी ने माननीय ए० पी० जैन के भाषण को पढ़ कर सदन में सुनाया था जो कि उन्होंने लोक सभा में दिया था कि सरकार ने जितना अन्न मांगा है उतना अन्न उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया है। जब यहां पर प्रश्न किया गया विधान सभा भवन में तो मन्त्री महोदय उत्तर देते हैं कि यह सरकार के बीच लिखा-पढ़ी है इसकी जानकारी करके क्या करेंगे। क्या इसका यह अर्थ है और क्या हम यह मानें कि जितने अन्न की इस प्रान्त को आवश्यकता थी उतनी आवश्यकता आपके अधिकारियों ने आपको नहीं बताई और इस कारण आपने जो भारत सरकार को आंकड़े दिये वह गलत आंकड़े दिये। तो श्रीमन्, वस्तुस्थिति यह है कि जब कि यहां पर २६ रुपये मन गेहूं बिक रहा है और जबकि यहां पर हमारी डिबेट हो रही है तो मंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली जाकर और अन्न मांग कर ले आये हैं। उनके अधिकारी उनको वह सूचना देते हैं कि जो उनको प्रिय लगती है और उसके परिणामस्वरूप आप भारत सरकार को सही सूचना नहीं दे पाते। अन्यथा अगर हम यह मान लें कि अधिकारी सही सूचना देते हैं और उसके बाद भी सरकार सही कदम नहीं उठा पाती है तो यह सरकार की अयोग्यता है, अपात्रता है और उसके लिये लज्जास्पद है।

दूसरे, खाद्य समस्या पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर काफी वादविवाद हो चुका है। जीवन में आवश्यकता भोजन के बाद मकान की है। क्या सरकार की कोई हाउसिंग पालिसी है ? इस सरकार ने आज तक किसी भी हाउसिंग पालिसी का निराकरण किया है प्रान्त में ? कहते जरूर हैं कि मकान बन रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ? आज आवश्यकता इस बात की है कि इसको प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता इस बात की है कि योजना में इसको दूसरा स्थान दिया जाय। उनकी योजना में इस प्रकार की प्रायरिटी फिक्स करने की कोई बात दिखाई नहीं पड़ती।

आप, श्रीमन्, देखेंगे कि लखनऊ शहर में रेंट कंट्रोल अधिकारी के पास मकानों के लिये १५,४६८ दरख्वास्तें पड़ीं और उनमें से वे कुल १,५५७ व्यक्तियों को मकान एलाट कर सके। इस प्रकार १३,९११ व्यक्तियों को मकान नहीं मिले। इसको क्या कहेंगे ? स्पष्ट कहेंगे कि जहां इन्होंने खाद्यान्न की ओर दुर्लक्ष्य किया है उसके साथ-साथ वर्षा आदि की भीषणता से बचने के लिये लोगों को जो कुछ शेल्टर मिलने के लिये वह कर सकते थे, मकान आदि का प्रबन्ध कर के, उस ओर भी उन्होंने दुर्लक्ष्य किया है। यह सरकार हल्ला बहुत करती है, अखबारों में छापती अवश्य है और अगर श्रीमन्, प्रस्ताव से, अखबारों के एडवर्टाइजमेंट से, बड़े बड़े पोस्टरों और पेंफ्लेट्स से इस प्रान्त की सुख और स्मृद्धि बढ़ सकती तो पता नहीं यह प्रान्त कब का स्वर्ग बन गया होता। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपकी घोषणाओं को कृति में भी आना चाहिये।

हम देखते हैं कि हम लाखों रुपये की इमारतें बना रहे हैं, यहां जू में एक्वेरियम बनता है, माना कि उससे लाभ है, किन्तु प्रश्न यह है कि जब लोगों को रहने की मुश्किल है उस समय लोगों के जीवन से ज्यादा क्या मछलियों की शिक्षा को प्रायरिटी दी जा सकती है ? म्युजियम बना, लाखों रुपया लगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इमारत खाली पड़ी है। वही रुपया लगा

कर लोगों के लिये छोटे-छोटे क्वार्टर्स बन सकते थे और उसके द्वारा तमाम गरीबों को रहने की सुविधा हो सकती थी ।

इसी तरह से स्लम्स क्लियरेंस की बात है, हमारे प्रान्त में जितने स्लम्स हैं वह हमारे लिये दुर्भाग्य का सूचक है । उनको हटाने के लिये सरकार ने क्या किया है ? अभी सबरे सफाई हुई । सरकारी बिल्डिंग बनते देर नहीं कि चूते देर नहीं । अभी अभी प्रश्न हो रहे थे । मैंने जब पूछा कि जिस इंजीनियर की उसे बनाने की जिम्मेदारी थी क्या वही उसकी जांच करने के लिये भेजे जाते हैं ? उत्तर मिला कि उसका कंस्ट्रक्शन ओवरसियर कराता है । मैं जानना चाहता हूं कि इंजीनियर क्या करते हैं । क्या वह शोभा की वस्तु हैं ? क्या वह कागजी घोड़े दौड़ाने के लिये तनख्वाह पाते हैं ? जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट हो उसको रेस्पांसिबिल होना चाहिये । लेकिन यह क्या कि जो रेस्पांसिबिल है गलत बिल्डिंग बनाने का उसी को आप कहें कि जांच करके बताइये कि गलती क्यों हुई ? यह इसी तरह की बात होगी कि माननीय गृह मन्त्री जी एक आदेश जारी करें कि चोर ही बतलाये कि उसने क्या चोरी की और उसे क्या दंड दिया जाय । यह कौन सी प्रोबिंग है ?

जिस डेमोक्रेसी का आज हल्ला होता है उसका मूलभूत आधार यह है कि जब कहीं कोई गड़बड़ी हो उसका वाइडेस्ट और ब्राडेस्ट एक्सपोजीशन होना चाहिये । डेमोक्रेसी इसी प्रकार मजबूत होती है । प्रेसीडेंट ट्रुमैन और आइजनहोवर पर जो एक लांछन लगा था, उसके लिये वहां फौरन एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गयी । यहां मांग होती है लेकिन उसको ठुकराया जाता है । तब, श्रीमन्, जो अधिकारी मकान बना कर निकल जाते हैं, उनके लिये सफाई दी जाती है, उनके कृत्यों पर लीपापोती की जाती है, उनको सर्टिफिकेट मात्र दिया जाता है । क्या इससे करप्शन मिटेगा ? क्या इससे भय का निर्माण होगा ? क्या इससे अनुशासन खड़ा होगा ? नहीं, एक बात भी उससे न होगी । अगर कोई माताटीला बांध पर आज गलती करता है और उस गलती की जांच कराने क लिये गवर्नमेंट खुद उसको ही दे दें तो क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगा ? हमारे विद्युत मंत्री ने खटीमा पावर हाउस के संबंध में हाई पावर कमेटी बिठाई थी लेकिन उसका क्या हुआ, अभी तक पता नहीं लग पाया कि किसने गलती की थी ? तो केवल जांच का स्वांग रचकर और गलतियों और कमजोरियों पर लीपापोती करके आप अपने प्रति विश्वास खड़ा नहीं कर सकते । जिसने गलती की है उसके लिये उसका उत्तरदायित्व होना चाहिये और उसको उचित दंड भी उसके लिये दिया जाना चाहिये ।

आज सुबह ही मैंने समाचार-पत्र में देखा कि किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी बंगलिंग करती है, मूलभूत समस्या से बंगलिंग करती है ? बस्ती जिले से खबर आयी है कि वहां जिस प्रकार धान बोया जाता था वह न दिया जाकर दूसरे प्रकार का धान दिया गया और वह बिया नष्ट हो गया । क्यों दिया गया ? किसकी गलती से दिया गया ? उसका क्या नतीजा हुआ ? नतीजा यह हुआ कि लाखों एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गयी और उस भाग की जो कि इस प्रदेश के धान का जखीरा था, जो सारे प्रदेश की कमी को पूरा करता था, उसकी लाखों एकड़ जमीन गलत बिया देने के कारण खाली पड़ी है ?

पिछली बार बलिया बारली का प्रश्न यहां आया था । उस वक्त कहा गया था कि जांच हो रही है कि क्या गड़बड़ी हुई । लेकिन आज तक उस गड़बड़ी की कोई जांच रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी । रबी में बलिया बारली के नाम पर गलत बिया देकर किसानों की फसल नष्ट करायी गयी और जितना खाद्यान्न उत्पन्न होना चाहिये था उसकी उत्पत्ति में भी कमी हुई और खरीफ में इस तरह से चावल की फसल को नष्ट करा कर लोगों को मुसीबत में डाला गया । इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव बंगलिंग के बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इन्होंने पंचवर्षीय योजनायें बनाकर बहुत से प्रयोग किये प्रान्त के उत्थान के लिये और कई साल की योजना के बाद जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से उत्थान

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

के लिये आवश्यक थे--आवागमन के साधन, रोड डेवलपमेंट उसके लिये सरकार ने इन ११ वर्षों में क्या किया, इसके बारे में एक पंक्ति मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are two of the most backward States in India from the angle of roads".

अगर, श्रीमन्, आवागमन के साधन हमारे ठीक नहीं होते हैं तो उत्थान किस प्रकार से होगा ? हमारे प्रदेश के किसानों को जो एकोनामिक प्राइस अपनी प्रोड्यूस को मिलनी चाहिये, वह कैसे मिलेगी ? लेकिन सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया

दूसरे इस प्रान्त के इन्डस्ट्रिलाइजेशन के लिये आवश्यकता यह थी कि बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाता और उसके कंजम्पशन को भी बढ़ाया जाता । लेकिन हालत यह है कि पावर हाउसेज बनते हैं, उनकी ओपिनिंग सेरेमनीज होती हैं लेकिन होता क्या है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है--

"Even though the installed capacity for power projects in Uttar Pradesh went up by about 93,000 Kws. during the First Five-Year Plan the per capita consumption of power was only 8.10 Units against a figure of 62.06 of Bombay and 61.58 for West Bengal. The low figure for Uttar Pradesh is an indicator of the backwardness of the State particularly in the industrial sector".

अब, श्रीमन्, इनकी शिक्षा पालिसी को ही ले लीजिये। शिक्षा के अन्दर इनकी एक पालिसी है--लैंग्वेज पालिसी। निश्चय किया कि प्रदेश की भाषा हिन्दी हो। लेकिन आपके ऊपर जब राजनैतिक प्रेशर पड़ता है तो आप उनकी तुष्टि के लिये उसको क्षेत्रीय भाषा बनाते हैं और उसके लिये ५ जिलों को आप चुनते हैं कि इन जिलों की उर्दू क्षेत्रीय भाषा मानी जायगी। उसको आप साफ साफ नहीं कहते लेकिन व्यवहार में ऐसा ही करते हैं। ये दो तरह की बातें क्यों की जाती हैं ? एजूकेशन के साथ कितनी खिलवाड़ की जाती है, रोज घटाबढ़ी की जाती है, बच्चों के साथ एक्सपेरीमेंट्स होते हैं, टेस्टबुक्स बदली जाती है। और, श्रीमन्, आज के हमारे समाज में आवश्यकता यह थी कि टेक्निशियन्स ज्यादा खड़ा करते। आज की आर्थिक दृष्टि से, एग्रीकल्चरल दृष्टि से भी बहुत आवश्यक था कि टेक्निकल एजूकेशन में ज्यादा वृद्धि हो, इस तरफ आगे कदम उठाया जाय। पिछली बार, श्रीमन्, बजट भाषण में कहा गया कि हम कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या कुछ सेंटर खोल देने से हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ? आज हमारा जो प्रोबलेम है वह बहुत बड़ा है और उसी मात्रा में उसका प्रबन्ध भी होना चाहिये। कुछ टेक्निकल सेंटर खोलना तो टिंकरिंग विथ दि प्रोबलेम है। आज सही दृष्टिकोण से टेक्निकल ऐजूकेशन देने की जरूरत है जिससे हम अधिक से अधिक अपने यहां टेक्निशियंस पैदा कर सकें।

जहां तक शिक्षा की बात है, हर जगह से यह रिपोर्ट आती है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और यह शिक्षा ऐसी है जिससे हमारे विद्यार्थी उद्दंड, उच्छृंखल और अनुशासन विहीन होते जा रहे हैं। आज उनके अन्दर इस बात का विश्वास ही नहीं है कि इस शिक्षा से आगे चल कर हमारा कुछ फायदा होने वाला है। अन्त में श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि इस सरकार ने अब तक जो कुछ भी किया है वह क्रामवेल के शब्दों में यह है:--

"You have sat too long for any good that you might have been doing. Depart I say and let us be done with you. Go, for God's sake go".

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, जन संघ के नेता के प्रवचन के बाद मुझे बोलने का मौका मिला, इसकी मुझे काफी खुशी है और इससे मेरा काम कुछ आसान भी हो गया। श्रीमन्, जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन क सामन आया है, अगर मैं यह कहूं कि कल से आज तक जो तकरीरें हुईं उन सब तकरीरों से अविश्वास के प्रस्ताव के बजाय उस प्रस्ताव का नाम इस्तीफा देने के लिये एक प्रार्थना-पत्र कहा जाय तो वह गलत न होगा। लेकिन मैं अपने उधर के बैठने वाले मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी प्रार्थनाओं से न कोई आता है, न कोई जाता है। नियति के पुत्र, उन्हें जिस काम करने के लिये वह भेजती है, उसको पूरा करके ही जाते हैं। जनता ने किसी काम को करने के लिये हमें यहां पर भेजा है लेकिन अभी तो बड़ा लम्बा काम का हिस्सा उसका करने को बाकी है, उसे तो अभी हमको पूरा करना ही है। उसको पूरा करके ही हम जायेंगे। बावजद इसके हमारे उधर के भाई काफी बेसब्र हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं लेकिन उनकी बात भी तो कोई सही हो, वे बतलावें कि किस तरह से, किस रास्ते से इस प्रोबलम को हल किया जा सकता है? मान्यवर, कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्रश्न उठाया था अनमेल मेल का, तो हमारे मित्रों ने केरल की तरफ इशारा किया कि केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से दोस्ती की। कांग्रेस ने हमेशा यह किया है कि जो दूसरी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं उनका सख्त मुकाबला करने के लिये ह र कसर न करें। जब मुस्लिम लीग ने केरल के एक चुनाव के सिलसिले में यह कहा कि एक ही प्लेटफार्म पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मीटिंग हो तो कांग्रेस ने उसे पसन्द नहीं किया और कहा कि हम दोनों के अलग-अलग रास्ते हैं। पर हां, यदि मुस्लिमलीग कांग्रेस के पक्ष में मत दिलाना चाहेतो अपनी राय बाबत चुनाव द सकती ह। कौन चाहेगा कि शैतान भगवान के साथ रहे पर यदि किसी दिन शैतान भी भगवान की शरण में आ जाय तो इनकार किसे होगा ?

मान्यवर, किसी साहब ने कल यह फरमाया कि हमारे प्रदेश की सरकार बहुत पिछड़ी हुई है, यह कुछ करती नहीं है। यहां हाहाकार मचा हुआ है, रोज बड़े बड़े अनोखे-अनोखे काम हो रहे हैं लेकिन एक बात मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि सही बात को कहने के लिये सख्त अल्फाज कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपके जरिये अपने मित्रों से इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने कितना ऊंचा काम किया था, इतिहास उसका साक्षी होगा। केवल रोने धोने से काम नहीं चलता। लेकिन डर मुझे यह हो रहा है कि विरोधी दल जो अपने को अंगरक्षक कहता है प्रदेश के जनहित का वह क्या कर रहा है? मुझे पंचतंत्र की एक कथा याद आ गयी। एक राजा का लड़का पढ़ता नहीं था। उसको पढ़ाने के सिलसिले में चन्द कथायें लिख दी गयीं। उन्हीं में से एक कथा यह भी थी कि राजा ने एक बन्दर को, कपि को, अपना अंगरक्षक बनाया और सो गया। एक मक्खी आयी राजा के मुंह पर बैठ गयी। अंग रक्षक ने उसे हटाया, वह वहां से हट कर सीने पर आ गई। फिर हटाया तो गले पर बैठ गयी। अंगरक्षक महाशय को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार उठायी और चला दी। राजा के शरीर के दो टुकड़े हो गए, मक्खी उड़ कर भाग गयी। उसी तरह से मैं आपके द्वारा इन मित्रों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनहित के यह वैसे ही अंगरक्षक न बनें जिससे जनहित के दो टुकड़े हो जायं, जनहित सत्यानाश की तरफ चला जाय। मैं आपके जरिये विरोधी दल से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस देश की जनता के हितों की रक्षा करने के कामों में जिस किसी दल ने त्याग से काम किया है उस दल को हमेशा विजय मिली है। हमने काम किया, आजादी आयी, शरणार्थी आये, बरबादी आयी, तबाही हुई, हिन्दुस्तान की ग्रेनरी जो थी इधर पंजाब और उधर धान की ग्रेनरी थी बंगाल, वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। हम जब उस मुसीबत में पड़े हुए थे, करोड़ों लोगों को बसा रहे थे, तो विरोधी दलों के कृत्यों का इतिहास क्या कहता है? पिछले ११ साल की बार बार चर्चा की गयी पिछले ११ सालों की, मैं याद दिलाना चाहता हूं। उनको उनके पिछले ११ साल के कामों की। क्या वह भूल गए जब वह शहरों में जाकर कहते थे कि खाना दो और गांवों में जाकर कहते थे कि खाना बन्द करो? किसानों को रोकते थे कि गल्ला मत दो ताकि हम किसी न किसी तरह से गिर जायं। वह उस लड़के की तरह से जो अपने बाप की मौत का जल्दी इन्तजार करता है ताकि वह गद्दी पर बैठ जाय, इस कदर बेसब्री के साथ वह इन्तजार करते थे।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मैं याद दिलाना चाहता हूं विरोधी दलों को पिछले ११ सालों के उनके कामों की, और पूछना चाहता हूं कि इस सरकार की अल्प बचत योजना में कौन-सी मदद आपने पहुंचायी ? आपने कौन से काम किये जिनसे कि हमारी पंचवर्षीय योजना की सफलता में मदद मिलती ? मैं जानना चाहता हूं उन विरोधी दलों के नेताओं से, वह यह बतावें कि हमारी किन-किन नीतियों के कारण खाद्यान्न की उपज में कमी आयी । हां, एक बात त्रिलोकी सिंह जी ने कही । उन्होंने कहा कि सरकार के दो आंकड़े होते हैं । खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि १४ परसेंट रबी में कम पैदावार हुई और राज्यपाल ने अपने भाषण में साढ़े सोलह परसेंट बतलाया । मैं उनकी खिदमत में इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद उन्होंने उस बात को ठीक से देखा नहीं या समझने में कुछ कोताही कर गये । श्रीमन्, जो १४.५ परसेंट की कमी की बात खाद्यमन्त्री जी ने कही उसमें गेहूं, जौ और चने की बात थी और १६.५ की बात जो राज्यपाल के भाषण में है उसमें सारी रबी की जो फसलें होती हैं उसकी बात थी । इन बातों को पकड़ने से, इन छोटी-छोटी बातों पर नारे लगाने मात्र से तो खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है ।

विरोधी दल कहता है कि जखीरेबाजी बहुत है । हमारे मित्र राजा साहब जौनपुर ने कहा कि स्केयरसिटी नहीं है, गल्ला यहां बहुत है, इन्तजाम की कमी है । मैं श्रीमन्, उनसे जानना चाहूंगा कि वह यह बतावें कि किस दिन खाद्य मन्त्री को उन्होंने यह सूचना दी कि फलां जखीरे-बाज के यहां गल्ला रखा हुआ है । वह खाद्य मन्त्री जी के दोस्त हैं, वह जानते हैं, उनको जानकारी है जखीरेबाजी के बारे में, लेकिन वह उसको बतायेंगे नहीं । सिर्फ कहेंगे यहां पर शिकायत की तरह ।

मान्यवर, एक मित्र ने और कहा, शायद कम्युनिस्ट दल के नेता हैं, उन्होंने बड़ी भक्ति दिखलाई गरीबों की, उन्होंने बड़ी भक्ति दिखलाई मिडिल क्लास से । मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि वहां क्या हो रहा है जहां कि आज कम्युनिस्टों का राज्य है । लेकिन केरल की बात कहना चाहता हूं । वहां की सरकार ने औद्योगीकरण के नाम पर बिरला साहब से जो नाजायज रिश्ता जोड़ा है उस तरफ भी जरा शीशे में अपना मुंह देख लें तब हम से गरीबों की बात करें । आज वहां उनकी पार्टी की सरकार है, उसके कामों में हम दखल नहीं देते । लेकिन गरीबों से यह मुहब्बत कहां गयी जहां केरल का सवाल आया ? यह पार्टी बाहर थी जब बंगाल में ३०,००,००० से ऊपर आदमियों की मृत्यु भूख से हुई । उस दिन इस पार्टी ने कितने सवाल उठाये इस समस्या को हल करने के लिये या उस सरकार को बदलने के लिये जो उस समय वहां पर चल रही थी ? तब कितनी बगावतें इस पार्टी ने कीं, यह मुझे मालूम नहीं ।

मान्यवर, एक बात श्रम विभाग के सम्बन्ध में कही गयी कि हमारे प्रदेश में बेकारी बहुत है, तालाबन्दी बहुत है । मैं आपके द्वारा अपने दोस्त राजनारायण जी को एक पुस्तक पेश करना चाहता हूं "रिपोर्ट आफ टेक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी, १९५८" । और अगर इसे वह देखेंगे तो पायेंगे कि निरन्तर पिछले १४ सालों में हमारे देश में कपड़े की मिलों में जो मजदूर नियोजित हैं उनकी संख्या बढ़ी, लूम्स और स्पिंडल बढ़े, कपड़े का उत्पादन बढ़ा । लेकिन हां यह जरूर है कि पिछले १ साल में देश के सामने नहीं, दुनिया भर के कपड़े के बाजार में मंदी आयी । हमारी तरह लंकाशायर कपड़े के उद्योग पर भी कठिनाइयां हैं, उनको हमें आंख खोलकर देखना होगा । वह इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं ।

यह भी कहा गया कि हम गरीबों के लिये कुछ नहीं करते, हाउसिंग की हमारी कोई नीति नहीं है । मैं राजा साहब जौनपुर से इतना ही कहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्लम क्लीयरेंस के जरिये कानपुर में जो काम हुआ है उसको देखें । मैं उनसे एक जगह का नाम बताना चाहता हूं कि कानपुर में रुक्मनी देवी का हाता जा कर देखें तो उनको अन्दाजा होगा कि क्या काम हुआ है । काम हम करना चाहते हैं, उसके लिये धन की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है । हमने उन साधनों को जुटाने में कभी कोई कोताही नहीं की बल्कि कोताही उधर से होती है

और फिर कहना चाहता हूं कि यह सरकार देश, प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये अच्छी तरह से और साधनों को ध्यान में रखते हुए बराबर काम करती रही है और करेगी ।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए अत्यन्त दुख और क्षोभ हो रहा है कि कल वादविवाद की गम्भीरता जो इस अविश्वास के प्रस्ताव के लिये निहायत जरूरी थी और जो इसमें वर्णित मुख्य खाद्य समस्या की अपेक्षा थी वह माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तोड़ दी । यह जिम्मेदारी का रुख एक मन्त्री के लिये नहीं है । उन्होंने अपने भाषण में कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की । उन्होंने अनमेल गठबन्धन का जिक्र किया ।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खाद्य समस्या जो एक राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर चुकी है उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वदलीय आधार पर, सभी दलों के सहयोग से, सरकार हल करना चाहती है अथवा नहीं ? अगर वह इसे हल करना चाहती है, जैसा कि अभी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अपील की, अभी आज ही के समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट ने भी कुछ इसी प्रकार की अपील की । उन अपीलों का तकाजा है कि अखिल भारतीय आधार पर इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या की भांति ले करके जितने राष्ट्रीय दल हैं उनको बुलाकर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा सर्वदलीय आधार पर इसे हल किया जाय । अन्यथा अगर दमन का सहारा लिया गया तो इतिहास साक्षी है कि दमन करने वाले मिटते हैं, जिन पर दमन होता है वह कभी नहीं मिटते । चाहे प्रजातन्त्र पद्धति को लिया जाय, चाहे खूनी क्रान्ति के इतिहास को लिया जाय, दमन किसी भी तरह सफल नहीं हुआ । इतिहास के इस कठोर सबक को उधर बैठने वाले कभी न भूलें ।

राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस बात की अपील की है, उनकी अपील से जनता म कोई भ्रम नहीं पैदा होगा । अगर सचमुच वह अपनी अपील के प्रति ईमानदार हैं तो इस बात की जरूरत है कि आज राज्य कांग्रेस आदेश दे इस मंत्रिमंडल को कि वह भी सर्वदलीय आधार पर इस समस्या को हल करने का उपाय सोचें । धमकियों से तो काम नहीं चलेगा और न काम दमन से चलेगा । सरकार का यह कहना कि दैवी आपत्तियों के द्वारा ही हम इस समस्या के हल करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं दैविक आपत्तियां आंशिक रूप से जिम्मेदार रही हैं, लेकिन मुख्यत: सरकार की नीतियां, कृषि की नीतियां जिम्मेदार रही हैं । इसी का परिणाम है कि हमारे यहां प्रति एकड़ पैदावार घटी है और हमारा देश दूसरे मुल्कों के सामने मुहताज हुआ है । खाद्य की समस्या इस माने में खराब हुई है कि हमारे देश में बाहर से पिछले दस महीनों में १२,००,००,००,००० रुपये का गल्ला मंगाया गया है । इस तरह से हमारे यहां जो खाद्य की मांग बाहर से बढ़ी है, वह ५० फीसदी से ७० फीसदी हो गयी है । फिर भी सरकार की तरफ से इसकी उपेक्षा की जाती है । हम चाहे किसी भी मुल्क से अनाज मंगायें, चाहे वह अमेरिका हो, आस्ट्रेलिया हो या सोवियट रूस हो, इससे यह पता चलता है कि हम खाने के लिये दूसरे मुल्कों के मुहताज हैं । पिछले साल १,३०,००,००,००० का गल्ला आया है और अब ७०,००,००,००० का गल्ला आ रहा है । इसी से पता चलता है कि हमारे यहां खाद्य की स्थिति बहुत गम्भीर है, लेकिन इसी के लिये यहां पर चुटकुलेबाजी और मजाक किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, श्री अजित प्रसाद जैन, जो कि लोक सभा में खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने वहां पर यह कहा है कि खाद्य के प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है । फूड का प्रोक्योरमेंट हो और उसका वितरण किया जाय, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । ऐसी स्थिति में इस समस्या का गम्भीर रूप न देकर यहां पर मजाक की बातें कही जाती हैं, यह मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हालत क्या है ? अभी ३१ तारीख की बात है । बरेली में ६ आदमियों के एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, चूंकि वे बेकार थे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखंडेराय]

उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। बलिया जिले के एक हलधर ने अपने एक बच्चे को बेच दिया। इसी तरह से मऊ में एक किसान ने अपने चार वर्ष की बच्ची को इसलिये बेच दिया, क्योंकि वह किसान और उसके दूसरे परिवार के सदस्य भूखे मर रहे थे। वह इसलिये उसे बेचना चाहता था ताकि उसे उससे पैसे मिल सकें। देहातों में जो इस तरह की घटनायें होती रहती हैं, तो उनकी कहानी इस सदन में अनेकों बार कही जा चुकी है और अब इसकी जरूरत नहीं है कि उन को दोहराया जाय। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये और जो हमारे सामने विकल्प है कि हम सत्याग्रह करें और अनशन करें, मैं पूछना चाहता हूं कि हम और क्या करें, क्या टामी गन लाकर डाक्टर सम्पूर्णानन्द को मारें या शान्तिमय तरीके से आन्दोलन करें? हम जनता को इस सरकार के प्रति जागरूक करें? तो कैसे करें? हम उसके लिये शान्तिमय तरीके से आन्दोलन करते हैं, उस पर आप को क्यों आपत्ति है? हमारे इस तरह से अनशन करने पर आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। पहले श्री नवलकिशोर जी ने मजाक उड़ाया, मैंने उसे बरदाश्त किया, लेकिन एक मिनिस्टर साहब और ऐसे मिनिस्टर जो कि इस सदन के उपनेता हैं, उन्होंने जो इस तरह से हमारे आन्दोलन का मजाक उड़ाया है, तो यह कुछ उचित नहीं है। आप कहते हैं कि अनशन न कीजिये, सत्याग्रह न कीजिये, शान्तिमय ढंग से आन्दोलन न कीजिये और भूख हड़ताल न कीजिये, तो क्या किया जाय? क्या आप हम से चाहते हैं कि हम हथियार लेकर के रेवोल्यूशन करें? अगर आप यह चाहते हैं, तो हमारी भी चुनौती है कि आप इस प्रकार की प्रणाली का खात्मा करें, बुलेट हिन्दुस्तान में चलें और आप पूंजीवाद को इन्करेज करें और जो एक नागरिक के अधिकार हमें संविधान में प्राप्त हैं, वे समाप्त हो जायं। जो कुछ भी चाहे हमारे देश का संविधान दे चुका हो उससे हमें वंचित करें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो जरमनी में हुआ, वही होगा जो इटली में हुआ, वही होगा जो जापान में हुआ, वही होगा जो वियतनाम और मलाया में हुआ। इसलिये जब तक यह रूप रहेगा तब तक हमारी सब पार्टियां सम्बन्धित रहेंगी। यदि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं को उठाकर हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जायगी तो मैं समझता हूं यह उधर से एक असफल प्रयास होगा।

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब आग लगती है तो सब दौड़ते हैं, ऐसे समय में बूढ़े जवान सब दौड़ते हैं, कायर और नपुंसक को छोड़ दीजिये, वर्ना संकट की बेला में सब उठते हैं। ऐसे संकट के समय में हम सब इधर वाले एक न हो जायं तो क्या करें? ऐसे संकट को हल करने के लिये राष्ट्र आगे बढ़े यही ऐसे समय में ध्येय हो सकता है और आप कुछ भी कहें ऐसे समय में इन अनमेल गठबन्धनों का विस्तार होगा और सब ऐसे संकट के निवारण हेतु मिलकर आगे बढ़ेंगे।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा और कोटेशन भी नहीं दूंगा यद्यपि वे मेरे पास हैं, समय कम है। जब श्री सुखदेव प्रसाद, सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी ने महाराजगंज तहसील का दौरा करने के बाद अपना वक्तव्य दिया, उसका कोटेशन मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद सन्त राघवदास, कालेज देवरिया के प्रिंसिपल ने पी० एस० पी० की कमेटी के सामने अपना वक्तव्य दिया, उसका भी कोई असर इस सरकार पर नहीं हुआ। उसके बाद आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रस्ताव हुआ और वह सरकार के पास आया लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस के बाद देवरिया के कांग्रेस-मेन श्री बेनी प्रसाद ने यू० पी० स्टेट कांग्रेस सेक्रेटरी को लिखा लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जब किसी का भी कोई असर नहीं पड़ता तो क्या किया जाय? इसलिये अब वह स्टेज है कि हम मजबूर हो चुके हैं, हम विवश हैं कि अब आन्दोलन की शरण लें। ऐसे आन्दोलन को यह कहना कि यह गुन्डों का अपराईजिंग है तो यह गुन्डाशाही कौन करता है? आजमगढ़ और बहराइच में जो कुछ हो रहा है वह सब हम करते हैं या यह सरकार और उसके अधिकारी करते हैं। आजमगढ़ में इस सदन के माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत जी

यादव पर डंडे चलाये गये और स्वयं एस० पी० ने उन्हें लाठी से मारा और गिरफ्तार किया। उन की मांग क्या थी ? मांग केवल यह थी कि ३ आदमियों के डेपुटेशन की जगह १८ आदमियों का डेपुटेशन मिलना चाहता था। प्रदर्शन समाप्त हो चुका था, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आखिर में जब केवल डेपुटेशन की बात रह गई तो ३ और १८ के चक्कर में लाठी चलाई गई और स्वयं एस० पी० महोदय ने मारा और नतीजा यह हुआ कि ८०-८५ आदमी घायल हुए और पुलिस ने लोगों को गलियों में घुसकर, दफ्तरों में, सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर दौड़-दौड़ कर मारा। मालूम हो रहा था कि कोई रेन आफ टेरर हो रही है। कौन गुन्डागर्दी करता है यह तो आप और यह सदन फैसला करेगा। मैं बहुमत दल से अपील करूंगा कि वह खूब सोचकर कहे कि कौन क्या कर रहा है।

बहराइच में परसों जो प्रदर्शन हुआ तो वहां बड़ा मजमा था, सब पार्टियां वहां शामिल थीं, बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से सारा काम सम्पन्न हुआ लेकिन जब आखिर में सारा काम खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो चुकी। कुछ लड़के दो-चार जगह नारे लगा रहे थे। उन पर पुलिस ने पिटाई शुरू की जब कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया कि यह आप कौन-सा काम कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ लिया। इस पर झगड़ा हुआ। तो गुंडाशाही और गुन्डानीति तो सरकार के अधिकारी और उसकी पुलिस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हमें करना होता तो और रास्ता अख्तियार हम करते।

अध्यक्ष महोदय, असफलताओं की जो लम्बी कहानी है वह अनेक अवसरों पर कही जा चुकी है। कृषि नीति असफल रही, उद्योग नीति की क्या दुर्गति हुई ? ७ मिलें बन्द हैं कानपुर में ही नाक के नीचे, जिनमें १६ शिफ्ट हैं। ५ मिलें और बन्द हैं जिनमें ८ शिफ्ट हैं। माननीय मन्त्री जी नैनीताल में अपनी विवशता और लाचारी प्रगट करते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसे विवश लोगों को वहां बैठने की जरूरत नहीं है और उनको वहां से हट जाना चाहिये।

संविधान की दुहाई हम नहीं सुनना चाहते। उसकी धाराओं को बनाने वाले अपनी सुविधानुसार उनको बदलते हैं, उलटते हैं और जनता यह अहसास करने लगी है कि संविधान की प्रतियां सरेबाजार जलने लगी हैं। वह दिन हम नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं अदब से कहना चाहता हूं कि संविधान की जो धाराएं आज हमारे रास्ते में बाधक हैं, चाहे वे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में बाधक हों, ज्यादा तनख्वाहों को कम करने में बाधक हों, कम तनख्वाहों को ज्यादा करने में बाधक हों चाहे बन्द मिलों के खुलने में बाधक हों, मजदूरों को मजदूरी मिलने में बाधक हों, किसी भी प्रगति के रास्ते में बाधक हों तो उन्हें बदलना होगा और मैं चाहूंगा कि यह प्रदेश जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों का एक मुख्य प्रदेश रहा है, मुख्य गढ़ रहा है, उसमें यह अगुवाई करे और यह सरकार अगुवाई करे, हम साथ देने के लिये तैयार हैं। लेकिन प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की दुहाई देकर, प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की दुहाई देकर और विधान की परिधि की दुहाई देकर प्रगति की गाड़ी नहीं रोकी जा सकती है। इन्कलाब यों ही फूटते हैं, क्रान्तियां यों ही फूटती हैं, ज्वालाएं यों ही भभकती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वह दिन हमारे देश में न आवे और जो परिवर्तन हो वह शान्तिपूर्ण हो और उसी की अपेक्षा है।

नीतियों के सम्बन्ध में हठवादिता चरम सीमा को पहुंच चुकी है। एक-एक बात में सीमा पार कर चुकी है। एक घटना का जिक्र पहले कर चुका हूं, आज फिर करना चाहता हूं। ८ अगस्त को एक हरिजन स्त्री हमारी कांस्टीट्युएंसी में दोहरीघाट के पास बुड़ावर गांव है वहां मरी। पहले से हमको कोई सूचना नहीं मिली थी, मैं अपने जीवन के सारे क्रान्तिकारी ईमान के ऊपर कहना चाहता हूं कि मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। जब मैं गांव में पहुंचा तो गांव के स्त्री, बच्चे सब से पूछता गया, अपने इत्मिनान के लिये कि वास्तविक घटना कैसे घटी ? उस के घर तक पहुंचते-पहुंचते, जो गांव के दूसरे छोर पर था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। मैंने सब से पूछा, जांचा, उसके बच्चों को देखा, घर में घुसा। मैंने जो वहां देखा उसके आधार पर कहता हूं कि केवल २ रुपये का गेहूं जो उसका रिश्तेदार उसी दिन ब्राह्मण भोज के लिये, या जो क्रिया-कर्म

[श्री झारखंडेराय]

हो सकता है उसके लिये लाया था, उसके अलावा उसके घर में दोहरी में, मटकी और हांडी में एक छटांक कुछ नहीं था, आम की गुठली तक नहीं थी। उसके ३–४ बच्चे थे––१ लड़का, ३ लड़कियां, सब से जेठा ७ वर्ष का था। लेकिन हमारे मंत्री जी के लिये लेखपाल की और कानूनगो की रेखा ब्रह्मरेखा है, लेकिन हमारे लिए उनकी बात दो कौड़ी की नहीं है और उनके आगे यहां हमारी बात दो कौड़ी की नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी सरकार से कौन-सा समझौता हो सकता है? मैं तो कहना चाहता हूं, माननीय मुक्तिनाथ राय और केशव पांडेय से, जो कल बोले थे, वह हमारे मित्र हैं, चलें हमारे साथ और इस बात की जांच करें कि कौन सही है, कौन गलत है, इसके बाद मैं अपील करूंगा मुख्य मंत्री से कि हमारे विरुद्ध कार्य-वाही करें या उनके विरुद्ध करें। डी० एम० की रिपोर्ट क्या आती है, उसकी जैसी भाषा है उसको पढ़ कर खून खोल जाता है। लिखते हैं कि उस हरिजन के पास कृषि योग्य कुछ भूमि थी, जबकि उसके पास एक मुंडा खेत भी नहीं था। फिर लिखा है कि उसका "सुन्दर-सा" खपरैल का एक मकान था। शब्द "सुन्दर" पर गौर कीजिये, क्या रिपोर्ट है, क्या उपहास है, क्या मजाक है और उन्हीं के बल पर यह हुकूमत चल रही है और चलाना चाहते हैं डेमोक्रेसी! अन्त में लिखते हैं कि उसके बच्चों के बदन पर गहने थे चांदी के और उसके घर में चांदी के गहने थे। रिपोर्ट में इतना सफ़ेद झूठ है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वही मानी जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अन्य जो यहां पर रिपोर्टें आयी थीं, उनमें से मैंने कुछ की जांच की और उससे अन्दाज लगता है कि अधिकांश रिपोर्टें उनमें से सही थीं। उनमें अतिशयोक्ति हो सकती है, अतिरञ्जन हो सकता है, लेकिन सब रिपोर्ट गलत है, यह बात नहीं है। और जब तक यह रुख रहेगा, यह जिद्द रहेगी माननीय सदन के मेम्बरों की रिपोर्टों और उनकी प्रार्थनाओं के बारे में, तब तक कल्याण नहीं है और न कोई हमारा और उनका समझौता हो सकता है।

अन्त में मैं उधर के बैठने वाले बहुमत दल के विधायकों से अपील करता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आज जो सरकार इस सूबे के संचालन में असफल हुई है, यह जरूरी है कि कांग्रेस विधायक उनसे इस्तीफा लें। आज इस बात की जरूरत है कि उनको मजबूर करें इस्तीफा देने के लिये। मजाक उड़ाया गया कि हम जानते हैं प्रस्ताव का क्या हश्र होगा। हम भी जानते हैं कि क्या हश्र होगा। जब तक इस में से बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ते हुये आन्दोलन की आंच से टूट न जाय और टूट कर हमारे साथ न आये तब तक क्या हश्र होगा यह हम भी जानते हैं। लेकिन आज नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। जनता का जीवन अधिक प्रिय और श्रेयस्कर है, राष्ट्र और प्रदेश की मर्यादा अधिक प्रिय और श्रेयस्कर है। इसलिये राष्ट्र की मर्यादा के लिये, प्रदेश की जनता की मर्यादा के लिये और कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाने के लिये आज जरूरी है कि यह सरकार इस्तीफा दे।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)––अध्यक्ष महोदय, कल से इस अदम एतमाद के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। अभी ८ महीने हुये बिलकुल इसी प्रकार के एक और प्रस्ताव पर बहस हो चुकी थी। उसके बाद से खाद्य स्थिति को छोड़ कर और कोई ऐसी नई बात नहीं हुई जिसके सिलसिले में अविश्वास या अदम एतमाद की बात कही जा सके। (सदन में विरोधी पक्ष की ओर से कुछ आवाजें आने पर) मैं यह चाहता हूं कि माननीय मित्र जरा सब्र के साथ सुनें।

अध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति के अलावा सिर्फ दो-चार बातें और कही गयी हैं। उनका मैं जवाब देना मुनासिब समझता हूं, बेश्तर इसके कि खाद्य स्थिति का जिक्र करूं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि नुक्ताचीनी करना, आलोचना करना १० मिनट या २० मिनट के अन्दर बहुत आसान है, क्योंकि हमने यह कभी दावा नहीं किया कि हमारी तरफ से कोई गलतियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होती हैं। हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं लेकिन कमजोरियों के साथ-साथ अपनी मजबूरियों को भी जानते हैं। तो उसकी सफाई देना और इस गरीब देश की इसी से पैसा लेकर तरक्की कर देना और लोगों में एक आशा का संचार कर देना बहुत मुश्किल काम है और लोगों की तकलीफों की तरफ ध्यान दिलाना और---मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं यह अर्ज़ करूं---उससे लाभ उठाना आसान है। जैसा कि मैं बाद में अर्ज़ करूंगा उससे कांग्रेस पार्टी को ही केवल हानि नहीं होगी, पार्टियां आती हैं और जाती हैं, उससे देश को हानि होने की आशंका है।

माननीय राजनारायण जी ने कल यह फरमाया कि टैक्सेशन की भरमार है, टैक्सेज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या ही अच्छा होता कि टैक्स अपने सूबे में बहुत ज्यादा हम अपने लोगों से वसूल कर सकते होते, क्योंकि टैक्सेशन के जरिये ही किसी देश की तरक्की और आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन हम अपने आपको एक विशस सर्किल में पाते हैं। लोगों की गरीबी मिटाने के लिये धन की जरूरत है लेकिन वह धन केवल उनसे ही आ सकता है और वे गरीब हैं, इसीलिये धन नहीं आ सकता। जहां तक इस उत्तर प्रदेश के लिये यह कहा जाता है कि यहां टैक्सेशन बहुत हाई है। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं केवल एक फिकरा कह कर आगे चलता हूं। १९५३-५४ के बजट के फीगर्स मेरे पास मौजूद हैं और १९५८-५९ के भी फीगर्स मेरे पास मौजूद हैं। सिवाय मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा इन तीनों सूबों को छोड़कर बाकी सब सूबों से हमारे सूबे की टैक्सेज़ से रेवेन्यू कम आती है। लिहाज़ा जिन सड़कों का ज़िक्र माननीय यादवेन्द्र दत्त जी कर रहे थे, जिन स्कूलों का ज़िक्र करते थे और भी लोगों को सुविधायें तथा सहूलियतें दी जायं, लेकिन इसमें कठिनाई है। मैं इस समय यह जवाब देना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि हमारे सूबे में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, यह गलत है और सरासर गलत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी यह एग्रीकल्चरल स्टेट है। तीन ही स्टेट्स मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा हैं जो हम से भी ज्यादा हैं। इसलिये उनकी आमदनी कम है, लेकिन कुछ बेहतर हैं। हमारी आमदनी कुछ ज्यादा है। बाकी जो स्टेट्स हैं उनका एग्रीकल्चरल अनुपात हमारे यहां की अपेक्षा कम है, इसलिये उनकी हालत अच्छी है हमारे यहां भी नान-एग्रीकल्चरल लोगों की तादाद ज्यादा बढ़े तो दूसरा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने एक बात का जिक्र किया था कि फूड-ग्रेन डीलर्स पर सेल्स टैक्स लग रहा है तो उनके लिये जनाब के दिल में हमदर्दी का चश्मा उमड़ा पड़ रहा है जो १०/११ रुपये फी मन से भी ज्यादा नफा उठायें। केवल इसीलिये कि फूड-ग्रेन डीलर्स बाहर बैठे हैं, वह जानें और खुश हो जायं कि हमारी बात राजनारायण जी ने कही, लेकिन यह बात स्टेट की और जनता की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह उठाया गया जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन के सम्बन्ध में। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मैजिस्ट्रेट्स को सिवाय प्रीवेंटिव सेक्शंस १०७, ११० और ११७ में ही कुछ पावर्स हैं, इसके अलावा उनको और पावर्स नहीं हैं। कहने के लिये जो चाहे कह दिया जाय और जबानदराजी का जवाब नहीं दिया जा सकता है। लोग अपने सीने पर हाथ रख कर बतायें कि किसी प्योर जुडीशियरी के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफियरेंस होता है? (व्यवधान) मैंने पहले ही कहा था कि सीने पर हाथ रख कर बतायें (तालियां)।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक बात कही कि गवर्नमेंट को अज्ञात का ज्ञान होना चाहिये। अब अज्ञात का ज्ञान कैसे हो? वह सी० आई० डी० के जरिये होता है और जो जनाब करने जा रहे हैं उसकी बहुत-सी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अज्ञात का ज्ञान कभी कभी नहीं होता है और लोगों को मुगालता हो जाता है और खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साथी तीन-तीन बार इलेक्शंस में हारते हैं। वही कहते हैं कि अज्ञात का ज्ञान गवर्नमेंट को नहीं

[श्री चरणसिंह]

है तो नहीं होता है। कभी हम इसका दावा नहीं करते हैं। कौटिल्य शास्त्र किस सिलसिले में कहा गया था ? क्या फाइनेन्स मिनिस्टर की बजट स्पीच में कहा गया था कि खाद्य स्थिति खराब नहीं है ? मार्च के महीने में बजट स्पीच हुई थी और रबी की फसल अप्रैल में हुई है। अगर रबी की फसल खराब सिद्ध हुई और इसका ज्ञान फाइनेंस मिनिस्टर को फरवरी में नहीं हुआ, तो यह भी जुर्म आयद किया जा सकता है इस गवनमेंट के ऊपर। 'आई विल प्लीड गिल्टी'।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी० एस० पी० के लीडर्स के लिए कहा कि उनका बड़ा संतुलित बयान था। था संतुलित बयान। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब बातें सही थीं या ऐसी बातें थीं जिसके सिलसिले में गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है या करने का इरादा नहीं है। संतुलित बयान केवल इस मानी में कहा कि स्टारवेशन डेथ्स का उसमें जिक्र नहीं था। माननीय अशोक मेहता और दूसरे दोस्तों को मुबारकबाद ! उसमें यह भी कहा गया था कि फेमिन कंडीशंस नहीं हैं। श्री अशोक मेहता ने गोरखपुर और लखनऊ में भी यह कहा था कि गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करने से काम नहीं चलेगा, अपोजीशन को अपना काम करना चाहिए खाद्य की पैदावार बढ़ाने के लिये। इसलिए संतुलित कहा गया।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, जहां तक इस सूबे और देश के इकानामिक डेवलपमेंट का सम्बन्ध है, हो ही नहीं सकता और दुनियां में कहीं नहीं हुआ जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। चाहे बिजली को हम पहले लाने की कोशिश करते हैं, फैक्टरीज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर एकड़ इस देश का और सूबे का उतना ही रहता है। तो हमारे जितने साधन हैं औद्योगीकरण के उन सब को विदा करना होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मान लीजिये अब की से गलती हो गयी जो कम से कम हम नहीं देख रहे हैं, बहस की खातिर माने लेते हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि अगर खाद्य की पैदावार नहीं बढ़ती है तो प्राइसेज आइन्दा भी बढ़ी रहेंगी। जैसा कि मैंने बार-बार किसानों में भी जा कर समझाने की कोशिश की, जन-सेवक लोगों को भी कहने की कोशिश की, यही नहीं अगर इस देश की या सूबे की पैदावार नहीं बढ़ती है तो अमेरिका या अन्य देशों से कितनी ही मदद हो अकाल का रेड स्पेक्टर हमारे सामने खड़ा है, यह देख रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि हमने खाद्य की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में क्या किया ? यह कसौटी है जिस पर कस कर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर उसमें असफलता रही तो बेशक गलती है, बेशक गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए।

पेश्तर इसके कि यह बताया जाय कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया इस सिलसिले में, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जो कल एक बात कही उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। उनके लफ्ज थे कि माननीय माल मंत्री का दावा यह है कि रबी की पैदावार इस साल अच्छी है। मैंने यह कहा कि मैंने कहां दावा किया है ? जवाब क्या दिया ? जवाब वही दिया जो खिसियानी बिल्ली किया करती है। मैं और ज्यादा बात नहीं कहूंगा, खम्भा नोचने लगती है। उन्होंने अपना शिष्टाचार छोड़ कर मुझे नोचना शुरू कर दिया। बिटरनेस न हो। हम जानते हैं कि हम जंगली आदमी हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ लोग बीहड़ हैं, बांके हैं, माननीय माल मंत्री जी खुद सोच लें कि वे कौन हैं ? मैं मानता हूं कि बीहड़ हूं। मैं जंगली हूं, क्योंकि जंगल में पैदा हुआ हूं एक मामूली किसान के घर। मैं शहर में पैदा नहीं हुआ। लिहाजा मैं यहां बैठ कर कुछ शिष्टाचार और अदबो-आदाब सीखना चाहता था। तो मैं जवाब नहीं देना चाहता, मेरे पास दोहे तो रखे हैं हिन्दी के। माननीय त्रिलोकी सिंह जी किस मजबूरी की वजह से बैठ कर व्याख्यान देते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन वे चाहते हैं कि कड़ुवाहट न हो। तो जब मैंने यह कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि अब की बार फसल अच्छी हुई है तो राजनीतिक ईमानदारी का तकाजा यह था कि कहते कि 'आई स्टैंड करेक्टेड'। मगर उनका क्या जवाब है कि 'बीहड़पन'।

दूसरी बात यह कही गयी कि मालगुजारी माफ़ नहीं की गई। पहली बात यह है कि मालगुजारी में जो माफी दी जाती है वह ५० फीसदी लास पर दी जाती है। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि १६.६ प्रतिशत लास है रबी की फसल में। अगर १६ फीसदी या १७ फीसदी या ३० फीसदी लास सब जिलों में हो जाय और इस लॉस पर सब जगह माफी दी जाय तो एक पैसा भी मालगुजारी में नहीं मिलेगा। इसलिये इतने के लिये सिर्फ माफी नहीं दी जा सकती है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी इस बात को जानते हैं और हर बार यहां पर बहस हो चुकी है। वह रेवन्यू मैनुअल का यहां पर हवाला भी दे चुके हैं, लेकिन यहां पर शिकायत करते हैं कि मालगुजारी में माफी नहीं दी गयी। इसलिये आप का दावा यह है कि रबी की फसल अच्छी हुई। क्या कोई आदमी इस बात को कह सकता है ? क्या यह कोई आर्गूमेंट हुआ ? मैं इस गवर्नमेंट का एक अदना मेम्बर हूं और जैसा मैंने कहा कि बीहड़ जंगल में मेरी पैदाइश हुई ? लेकिन जो विरोधीदल के नेता हैं, जिनकी तकरीर को आज अखबारों में सुर्खी देकर छापा गया है कि वे आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की क्षमता रखते हैं, वे इस तरह की बात यहां पर कहें कि यह बीहड़पन रखने वालों की गवर्नमेंट है और इस पर वे इसरार करते हैं।

अभी ३ तारीख के 'पायनियर' में श्री मुकुटबिहारीलाल का एक स्टेटमेंट छपा है जो उन्होंने मुख्य मंत्री के जवाब में दिया है। वे यह कहते हैं कि:

"We are constrained to note that your Government has miserably failed to assess the food problem acurately and fed the people on wrong statistics prepared under instructions."

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बात या तो कोई गवर्नमेंट अफसर का दोस्त कह सकता है या कोई इत्तला से कह सकता है कि गवर्नमेंट ने यह इन्सट्रक्शन दे रखी हैं कि यह गलत स्टैटिस्टिक्स तुम भेज सकते हो। मैं इस अवसर पर यह निवेदन कर दूं कि श्री गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि ११–१४ या ११–१७ तक वह प्रश्नों की फाइल रेविन्यू मिनिस्टर के साथ रही। मैंने उस फाइल को अपोजीशन के मेम्बरों के सामने रख दिया था। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी फाइल माननीय त्रिलोकीसिंह जी को दिखा सकता हूं और एक लफ्ज भी छिपाने की कोशिश नहीं की जायगी और वह उसमें कहीं एक शब्द भी दिखा दें कि हमने किसी अपने आफिसर को रांग स्टैटिस्टिक्स तैयार करने के लिये कोई हिदायत दी है ? मैं इस बात को मान सकता हूं कि इन्सान से गलती हो सकती है। मुझसे गलती हो सकती है, सम्पूर्णानन्द जी से गलती हो सकती है, जवाहरलाल जी से गलती हो सकती है, लेकिन एक पार्टी के लीडर की तरफ से यह कहा जाना कि यहां से कोई हिदायत रांग स्टैटिस्टिक्स तैयार करने के लिये दी गई यह समझ में नहीं आता और, श्रीमन्, मुझे इसका सख्त अफसोस है।

जहां तक पैदावार को बढ़ाने की बात है, उसके लिये जमींदारी को खत्म किया गया, उस की चकबन्दी हम करने जा रहे हैं। उस चकबन्दी की मुखालफत की जाती है और कोई सुझाव नहीं दिया जाता है। सिंचाई के साधनों में इजाफा किया गया। रूरल कम्पोस्ट की कोशिश की जा रही है। तकावी लोन कई गुना दिया जा रहा है। किसानों को एडवांस्ड कल्टीवेशन का मैथड बताया जा रहा है जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हर जिले में बताया जाता है। हम यह जानते हैं और खुद मैं इस बात को मानता हूं कि हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि अगर नेचर ऐडवर्स हो जाय तो खेती की पैदावार तब भी बढ़े, यह कोशिश हर गवर्नमेंट की होनी चाहिए। किन्तु दो फैक्ट्स हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। एक तो हमारे सूबे में दूसरे सूबों के मुकाबले में एवरेज फैमिली के पास लीस्ट एरिया आफ लैंड है जो ४.८ एकड़ पड़ता है। और आपने चूंकि लाल बत्ती दिखा दी है इसलिये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडियन सेंसस रिपोर्ट को पढ़ लीजिये। सब सूबों के मुकाबले में यहां के किसान के पास जमीन कम है। दूसरी बात यह है कि पैदावार बढ़ा दी जाय बावजूद नेचुरल फैक्टर के, लेकिन खेती तमाम नेचुरल हैजार्ड्स से घिरी रहती है जैसा कि इंडस्ट्री में नहीं होता, लिहाजा अगर तीन साल तक बराबर ड्राट हो जाय तो नदियों में पानी नहीं आयेगा,

[श्री चरण सिंह]

कुवें सूख जायंगे, फसल होगी नहीं और मैन विल सीज टु एग्जिस्ट। तो नेचर को हम हर सूरत में ओवर राइड कर सकते हैं, यह बात नहीं है।

कल राजनारायण जी ने गांधी जी की एक बात सत्याग्रह के बारे में कही थी। गांधी जी का नाम लिया। खुद गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के बाद सत्याग्रह के बारे में क्या कहा था, इसको भी देखिये। ७ जून, १९४७ की बात है। एक सोशलिस्टों का डेलीगेशन जाता है महात्मा जी के पास। उनसे डिस्कशन होता है और वह क्या जवाब देते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिये। मैं ठीक-ठीक सुनाऊंगा। यह पुस्तक है महात्मा गांधी, दि लास्ट फेज वाल्यूम २, पेज २३५--

"Note down these words of an old man past the age of three score and ten: in the times to come people will not judge us by the creed we profess or the label we wear or the slogans we shout but our work, industry, sacrifice, honesty and purity of character".

इसके सिलसिले में दो बातें कही जा सकती हैं। आप कह सकते हैं कि हम आपसे ऐसा चाहते हैं। इसमें आगे है:

"They will want to know what we have actually done for them. But if you do not listen, if taking advantage of the prevailing misery and discontentment of the people you set about to accentuate and exploit for party ends, it will recoil upon your head and even God will not forgive you for your betrayal of the people".

श्री अध्यक्ष--अब मैं चाहता हूं कि सदन ५ मिनट और बैठे। श्री ग्राइस का संबंध किसी पार्टी से न होने के कारण उनको तो पार्टी की ओर से मौका नहीं मिलेगा। उनकी इच्छा है कि ५ मिनट का समय उनको दे दिया जाय। श्री ग्राइस।

श्री आर्थर सी० ग्राइस (आंग्ल भारतीय नाम निर्देशित)--मैं थैंकफुल हूं कि आप ने मुझे समय दिया है। मैं आप के द्वारा श्री त्रिलोकी सिंह और दूसरे लीडरों ने जो प्रस्ताव अविश्वास का पेश किया है उस के लिये उन्हें ठंडे पानी का डूश देने की कोशिश करूंगा और मैं श्री त्रिलोकी सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सब, बच्चे से ले कर बूढ़े तक आज जानते हैं कि गल्ले के दाम बढ़े हुए हैं। यह कोई नयी बात नहीं है, और अन्न के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार सो नहीं रही है। वह उसका इंतजाम कर रही है। चाहे आप लोग यह सोचते हों कि वह जल्दी नहीं चल रही है, लेकिन it is a matter of thought and ideas. जब मेरा नामिनेशन हुआ था और उसके बाद जब मैं पहली बार इस सदन में आया था तो मैंने एक कसम खायी थी और वह कसम यह थी कि:

"I having been nominated a member of the Legislative Assembly do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge my duty upon which I am about to enter".

हमारे कांस्टीट्यूशन में राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकिल १९ वां, कि "All citizens shall have the right to freedom of speech and expression".

लेकिन इसके माने यह नहीं है कि "We have complete, quite unrestricted, freedom of speech and expression, being quite unmindful of the consequences."

आब्जेक्शनेबिल मैटर्स भी दिये हुये हैं कि "to incite or encourage any person to interfere with the supply and distribution of food or other commodities essential for the essential services, promote feeling of enmity or hatred between different sections of the community.

जब हमने कसम खाई थी कि हम डिसएफेक्शन नहीं फैलावेंगे तो हमारा अब कोई राइट नहीं है कि हम यह कर सकें। "Shortage of food prevails; we have drought and we have floods. Then we have the transport and other difficulties. We cannot control nature".

खुदा हमसे आप से नाराज हैं। हमको तो अफसोस है वह दिन जब किसी नेता ने कहा था कि हम लोग पोलीटिशियन्स है यहां, और किसी रिलीजस एसोशियेशन के मेम्बर नहीं हैं। हम लोगों को काफी खाना नहीं मिल रहा है। गल्ले की कमी है। तो फिर गल्ले की कमी होगी और हम लोग अपना सिर फुड़ावेंगे। 'You will not be blaming anybody else for the breaking of heads which will occour during the civil disobedience movement or any movement which you are beginning, or threatening to begin.

अपोजीशन वालों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ठंडे पानी में नहा कर सोचिये कि आप क्या कर रहे हैं और उसका जनता पर क्या इफेक्ट होगा। चीफ मिनिस्टर ने भी और हमारे गवर्नर ने भी आपसे प्रार्थना की थी कि आप हमको मदद दीजिये। हम अपने गल्ले का इन्तजाम करेंगे। लेकिन आप तो शुरू से ही नान-कोआपरेशन करने की कोशिश करते हैं।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सोच लीजिये, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिये, किसी काम को करने से पहले कि पब्लिक पर उसका क्या इफेक्ट होगा और आप उसे कन्ट्रोल कर लेंगे या नहीं। आप लूट न मचवाइये, बलवा न करवाइये। आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं। आप नेता हैं। आप हम लोगों का सिर न फुड़वाइये Thank you।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय अधिक नहीं है, बातें अधिक करनी हैं इसलिये मैं जो कुछ कहूंगा इतनी तेजी से कहूंगा कि काफी कहा जा सके और अगर कोई साहब चाहें तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, बीच में विक्षेप करने की कोशिश न करें।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाई जहाज से दौरा किया और जो जनता भूख से तड़प रही थी, गोरखपुर में जो अस्थि कंकालों की शक्ल में पड़ी हुई थी उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाई जहाज से देखा होगा। जो असली कंकाल त्राहि माम्, त्राहि माम् मचा रही है उसको न देखा होगा। उन्होंने यह नहीं देखा होगा कि तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर, गांव सवना में खदेरू की औरत भूख से कराह कर मर रही थी। जहाज की उड़ान में उन्होंने यह भी नही देखा होगा कि मोह जादो शिकारपुर का भूख से मर रहा था, उन्होंने जहाज की उड़ान में यह भी नहीं देखा होगा बेलभरिया के तीन आदमी घु मुन, मुनवा और मुन्नू हरिजन भूख से तड़प रहे थे। ऐसी दो एक मिसालें नहीं हैं, ऐसी सैकड़ों घटनायें हैं। एक एक घटना के बारे में कहने से तो बहुत लंबा हो जायगा और मुझे डर है कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, वह रह जायगा। आज जो जनता भूख से पीड़ित है अगर उसके पास माननीय मुख्य मंत्री जी हवाई जहाज से न जाकर उन अस्थि कंकालों को आंखों से देखते तो उनको कुछ रोशनी मिलती और उनमें कुछ आशा का संचार होता, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज से दौरा करके महलों के कंगूरों को ही देखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यशपाल सिंह]

"सिल्वर स्पून इन हिज माउथ" लेकिर जन्मे उन्हें तो सावन के अंधे की तरह से चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, लेकिन इसके विरुद्ध जो लाखों की तादाद में जनता भूख से त्राहिमाम् मचा रही है उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि आज की यह जनता अब न भूख बरदाश्त कर सकती है, न गोलियां बरदाश्त कर सकती है और न डंडों की मार को ही बरदाश्त कर सकती है। यही कारण है कि आज प्रदेश की लाखों जनता का हृदय हमारे साथ है। और जहां हम जाते हैं लोग २०-२० हजार की तादाद में हमें सुनने के लिये आते हैं लेकिन जहां पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्तजाम करते हैं, कलेक्टर इन्तजाम करते हैं और वजीरों के भाषण होते हैं, वहां केवल कुछ पुलिस के सिपाही और ६०-७० की तादाद में जनता इकट्ठी होती है। यही कारण है और इससे मालूम होता है कि ६ करोड़ की जनता का हृदय हमारे साथ है। हम आपको शांति के साथ और प्रेम के साथ समझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप शांति और सद्भावना से ही अच्छे रास्ते पर आ जायं। लेकिन आप कहेंगे कि जिस दिन तक हमारी यहां मैजारिटी रहेगी, उस दिन तक हम आपकी शांति और सद्भावना से पराजय नहीं मान सकते।

श्री मदन पांडेय आज १४ दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मदांधता से उनके खत का भी जबाव नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय मित्र श्री जयवीर सिंह, कालीशंकर शुक्ला और श्री शांति प्रसाद त्यागी भूख से कराह रहे हैं, लेकिन आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे इतना तक नहीं हुआ कि उनके पत्र का जवाब तक देते। पत्र का जवाब तो गैर को भी दे दिया जाता है। अगर आपकी यही मंदांधता रही तो फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी यह कुर्सी रह नहीं सकती। मौलाना आजाद जिस वक्त कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने वहां के गेस्ट हाउस से फोन किया कि मैं शेख अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूं तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने जबाव दिया कि आप पंडित जवाहर लाल नेहरू के मातहत हैं इसलिये मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, पंडित जवाहर लाल बड़े आदमी हैं और अगर वे मेरे पास मिलने के लिये फोन करते तब मैं देखता कि उनसे मिलूं या न मिलूं। इस तरह से उन्होंने मौलाना आजाद से मिलने से इंकार कर दिया। आज यह सरकार श्री मदन मोहन पांडेय के खत का जबाव भी नहीं दे रही है, क्योंकि यह सरकार आज मदान्ध हो गयी है। अगर आज आप चाहते हैं कि देश में सुव्यवस्था कायम हो तो जिस तरह से आपने गोलियां चलायी हैं, जिस तरह से आज जनता भूखों मर रही है, इन सब पापों का आप प्रायश्चित कीजियेगा। मैं खासतौर से माननीय माल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनसे जितना मेरा सम्बन्ध है, उतना शायद और किसी का न हो वैदिकधर्मी होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते, आज से २० साल पहले जब असेम्बली में तशरीफ लाये उसके पहले के नाते। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप चलिये मेरे साथ, मेरे यहां रुड़की तहसील में चकबन्दी की हवा है कि दो माह के बाद चकबन्दी होगी। उसकी वजह से ४ साल से न तो कोई अपने खेतों में खाद डाल रहा है, न पानी दे रहा है, जिसकी वजह से वहां के खेतों की तरक्की रुक गयी है। मेरे यहां एक गांव मिर्जापुर अम्बेटा है जहां अकेले उस गांव में ५० हजार की पैदावार होती थी, लेकिन जब से चकबन्दी की बात सुनाई दे रही है तब से मुश्किल से २,००० की पैदावार होती है। आज वहां की हालत बड़ी खराब है, चूंकि लोगों को इस बात का इत्मीनान नहीं है कि कौन-सी जमीन हमको मिलेगी और कौन-सी जमीन हमसे छिन जायगी। यह सब चकबन्दी का ही नतीजा है।

यह ठीक है कि चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है, आपके अफसर भी बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अगर यह चकबन्दी आज से २० साल बाद, या १० साल बाद आप लागू करते तो मेरा यह खयाल है कि आज जो यह भुखमरी है वह नहीं होती। श्रीमन्, पहले तो बच्चों को भूत के नाम से डराया जाता था लेकिन आज हमारे यहां यह हालत है कि आज जब बच्चे को डराना होता है तो घर-घर में यही कहा जाता है कि चुप रहो, चुप रहो, चकबन्दी वाले आ गये। कोई मंत्री मेरे

साथ कार में चले और गांव वालों को मालूम हो जाय कि मंत्री जी चकबन्दी के सिलसिले में आ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दसों हजार आदमी कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए दरख्वास्तें लेकर खड़े होंगे कि हमारे यहां इस चकबन्दी को न चलाइये। मैं कहता हूं कि कोई भी मंत्री चलें, माननीय मुख्य मंत्री चलें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री चलें, चाहे विचित्रनारायण शर्मा जी ही चलें, चाहे कोई भी भाई-चलें, मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि पांच-पांच हजार और दस-दस हजार आदमियों की भीड़ उनकी कार के सामने लेटने को न तैयार हो, अपने प्राणों की आहुति देने को न तैयार हो तो मैं एम० एल० ए० शिप से इस्तीफा दे दूंगा।

आप ने जनता के ऊपर गोलियां चलायी हैं, निहत्थी जनता के ऊपर गोलियां चलायी हैं, ये आपके काले कारनामे और दुष्कर्म ऐसे हैं जिनके लिये आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि अंग्रेज जब गोलियां चलाते थे तो उनके जो एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० या सिटी मैजिस्ट्रेट होते थे वे काश्तकारों के घरों में से आते थे और उनके दिल व दिमाग का तकाजा होता था, उनके दस्ते बाजू में शक्ति होती थी किसी भीड़ का मुकाबला करने के लिये, लेकिन आज जो एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० या सिटी मैजिस्ट्रेट आते हैं वे वजीरों की चिट्ठियों और सिफारिशों पर आते हैं जिनके दिल व दिमाग में यह डर रहता है कि हम भीड़ का मुकाबला बिना गोलियों के नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि अगर आपको सरकार चलानी है तो इस तरह की चिट्ठियों और सिफारिशों से इन लोगों के रखने का जो सिलसिला है उसे बन्द करने का इन्तजाम किया जाय।

नो कान्फिडेंस क्या है? नो कान्फिडेंस वाले तो खुद ही उड़ जाते, खुद ही भाग जाते। जिस वक्त नो कान्फिडेंस आया आप यह ऐलान कर देते कि सारे सूबे में १५ रुपये मन गल्ला बिकेगा, तो कोई वजह नहीं थी कि यह नो कान्फिडेंस वाले यहां खड़े रहते, पब्लिक उन्हें निकाल देती और यह अपनी कांस्टीट्यूएंसी में मुंह दिखाने लायक न रहते।

आप कहते हैं अपोजीशन ने गल्ला मंहगा कर दिया। पिछले साल अपोजीशन ने गल्ला क्यों नहीं मंहगा कर दिया? पिछले साल वह क्यों नहीं कर पाये? अगर आपके पास गल्ले का भंडार था तो वह किस वक्त काम आयेगा? कब उसे आप खोलेंगे? आज इस प्रदेश का रहने वाला ३० रुपये मन गल्ला नहीं खरीद सकता। एक तरफ विद्यार्थियों को गोली से भूनते जाते हो, और दूसरी तरफ हमसे कहते हो कि गल्ला पैदा करो।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से जो प्रस्ताव माननीय विरोधी दल के नेता द्वारा अविश्वास का इस हाउस में रखा गया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसका एक कारण है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रस्ताव के लाने के पूर्व उसका एक उद्देश्य होता है और मैंने देखा कि जो भाषण माननीय विरोधी दल के नेता ने किया उसमें कोई तत्व नहीं रहा। केवल यह मकसद था कि किसी तरह से प्रान्त के अन्दर अशान्ति पैदा की जाय, प्रान्त के अन्दर गुंडई को प्रोत्साहन दिया जाय, डाका डालने वालों को बल दिया जाय। इसके अलावा और कोई बात मैंने उनके भाषण में नहीं पायी। इसी हाउस में जबकि माननीय माल मन्त्री के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया, उसके जवाब में ज्यों ही माननीय माल मन्त्री ने उनसे पूछा, त्यों ही उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया।

श्रीमन्, आपके द्वारा यह भी बता देना चाहता हूं कि जो भी इस प्रस्ताव के समर्थन में विरोधी की दल तरफ से तर्क दिये गए उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे कि इस प्रान्त की भलाई हो सकती। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिस प्रान्त में विरोधी दल की यह नीयत हो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनुषधारी पांडेय]

गल्ले की दूकानें लूटी जायं, यह प्रोग्राम बनाया जाय कि ५० गज के फासले पर उनका जुलूस जाय और जुलूस के आगे आगे सत्याग्रह करने वाले हों, आगे बढ़ कर गल्ला निकाल कर लुटेरों को दें, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस पार्टी का यह उद्देश्य हो कि लूटने की नीयत पहले से ही उनकी हो, उसके लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा, हालांकि मैंने पार्टी से नहीं पूछा है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी भी उसको पूरा पूरा बल देगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार उनके साथ कड़े से कड़ा रुख अख्तियार करे जिससे कि सरकार ऐसी कार्यवाही को रोक सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही को अगर नहीं रोकेगी तो इसके माने यह होंगे कि प्रान्त में कदम कदम पर अराजकता फैलेगी। इस तरह की कार्यवाही के कई एक नमूने आपने अभी देखे हैं—हाथरस में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, मेरठ में हुआ, फतेहगढ़ में हुआ और भी कई जिलों की खबर है। कानपुर में भी परसों होने ही वाला था लेकिन पुलिस की तत्परता से बच गया ।

कहा जाता है कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप अराजकता को बढ़ाते हैं, गुन्डई को बढ़ाते हैं तो पुलिस कौन-सी कार्यवाही करेगी ? शान्ति स्थापना के लिए पुलिस को हरएक कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा।

मैं एक बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने कल यह कहा कि छितवापुर में विद्यार्थियों का जुलूस जा रहा था, उस पर पुलिस ने गोलियां चलायीं। उसको माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा बहुत ठीक है और उसके लिए त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि पृथ्वी फट जाती और उसमें मैं और गृह मन्त्री समा जाते। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त मलीहाबाद में उनको किसानों ने ठोकर दिया वह समय था कि वे लुप्त होते, पृथ्वी फटती, वे सामने नहीं आते, नेता बन कर हाउस में नहीं बैठते। लेकिन इतनी शर्म के परदे को डालने के बावजूद ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। फिर भी वे सोचें, जो कार्यवाही उन्होंने अपनायी है उसको देखते हुए, श्रीमन्, मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस प्रकार का रवैया वे अख्तियार करेंगे तो इस तरह से समस्या हल नहीं होगी। यह खाने की समस्या ऐसी है जिसके लिये प्रदेश का बच्चा-बच्चा जिम्मेदार है। इसमें कोई २ राय नहीं है कि गल्ले की कमी है, लेकिन उस का हल क्या है ? उसके लिये विरोधी दल के नेता ने कोई सुझाव नहीं दिया। हमारी सरकार ने इस समस्या के हल के लिये जो कदम उठायें वे बहुत साफ हैं, यदि आप के बुद्धि है तो आप उसको समझ सकते हैं और यदि उनके आंख है तो पढ़ सकते हैं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने क्या किया है।

सन् १९४६ से जब से इस सरकार ने अंग्रेजों से हुकूमत ली उस समय हमारे पास सिंचाई के कितने कम साधन थे। उस समय हमारे पास केवल १,८४७ ट्यूबवेल थे और १७,८२७ मील लम्बी नहरें थीं जबकि आज हमारे यहां ३५,००० मील लम्बी नहरें हैं और ३,२०० ट्यूबवेल लग चुके हैं। यह सब किया गया, एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से अपने यहां खेती का उत्पादन बढ़े और सबसे अधिक रुपया इसी काम के लिये खर्च किया गया, अच्छा-अच्छा बीज देने के लिये नाना प्रकार के उपाय किये गये, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, कृषि उपयोगी औजार उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई और इस चीज को बराबर विरोधी दल भी स्वीकार करता है। हमारे दोस्त जो कह रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जिस वक्त गोरखपुर में नारायणी नहर बन रही थी और टांडा पम्प केनाल बन रही थी आजमगढ़ में उस वक्त विरोधी दल ने क्या किया। माननीय झारखंडे राय जी जो केवल ९ आदमियों के नेता हैं और पार्टी बनाये हैं और जिनको मुझे दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल ९ आदमियों के बल पर नेता बनने का अवसर दिया, लेकिन फिर भी वे आज इस तरह की बातें करते हैं। आज श्री मदन पांडेय, श्री झारखंडे राय जी और उनके अन्य साथी श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने सत्याग्रह आरम्भ किया है और वे किसानों से ललकार कर कहते हैं कि काम

बन्द करो तो आप सोच सकते हैं कि सरकार विवश हो सकती है कि ऐसी चीजों को रोके। इस पर भी कहा जाता है कि अन्न की समस्या कैसे हल हो सकती है? बड़े अफसोस की बात है कि जब प्रान्त की जन-संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और १.३३ प्रतिशत यह बढ़ गई है और यदि आप सन् ५१ से ५८ तक देखें तो ६० और ६५ लाख तक यह आबादी बढ़ चुकी है और उस पर जमीन केवल साढ़े ३ लाख बढ़ी है और अब आगे बढ़ने को नहीं है। तो हमारे सामने एक ही रास्ता रह जाता है कि जो उपज बढ़ाने के तरीके हैं, जो सुविधायें हैं उन्हें हम किसानों को देते चलें।

अभी श्री यशपाल सिंह जी कह रहे थे कि फलां गांव में एक बुढ़िया मर गई, फलां जगह वह आदमी भूख से मर गया, इस तरह की बातें हम बहुत दिन से सुन रहे हैं लेकिन हमें मालूम है कि जिस बुढ़िया का उन्होंने मरने का जिक्र किया है वह ४ मास से बीमार थी। उधर वालों के नेता श्री शिब्बनलाल जी बराबर इसी तरह की बातें कहा करते हैं कि यहां इतने आदमी भूख से मर गये, गोरखपुर में इतने आदमी मर गये। इस तरह की फर्जी बातें कहना बड़े शर्म की बात है। इस तरह से असेम्बली के सदस्य गैर-जिम्मेदारी के साथ बोलें, अनशन करें और आन्दोलन की धमकी दें तो इस तरह से खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती।

अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि हमारा अविश्वास का प्रस्ताव पूरे कैबिनेट के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है। अगर उनका विश्वास कांग्रेस पर है तो यह कैबिनेट कांग्रेस पार्टी की है और हमारा विश्वास कैबिनेट के मेम्बर्स पर है अगर वह हिम्मत रखते हैं और शान्ति रखते हैं तथा शान्ति रखने की जगह उनके हृदय में है और वे समझते हैं कि इस तरह से प्रस्ताव रख कर उन्होंने भूल की है, तो यह उचित नहीं है कि वे इस तरह की बातों को रिपीट करें और उनको इस तरह के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये। श्रीमन्, मैंने बराबर इस बात को कहा है .....

श्री उपाध्यक्ष—आप नये विषय में न जायें, क्योंकि आप का समय खत्म हो गया है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान सरकार ने आज के इस अविश्वास के प्रस्ताव का स्वयं आमंत्रण किया है। मेरा यह भी विश्वास है कि माननीय उप-खाद्य मंत्री ने जो कहा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह अविश्वास का प्रस्ताव.....

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मैंने ऐसा नहीं कहा और मैंने कभी भी यह नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बल्कि जैसा उन्होंने कहा और उसके लिये मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला भी दिया कि वही पार्टी या वही आपोजीशन जो कि आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकती है, अविश्वास का प्रस्ताव दे सकती है, इसके बारे में उन्होंने कहा। बृटिश पार्लियामेंट की मैं बीसों मिसालें दे सकता हूं जहां कि एक सदस्य के वोट से वोट आफ कान्फीडेन्स या वोट आफ नो-कान्फीडेन्स का प्रस्ताव लाया जाता है। स्वयं विस्टन चर्चिल ने सन् १९४७ में दिसम्बर के महीने से, आम चुनाव के ६ महीने बाद लेबर गवर्नमेंट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा था और वह भी उस समय जब कि उनकी पार्टी की संख्या १९७ थी और लेबर पार्टी की संख्या ३८१ थी यानी १८४ सदस्यों की संख्या अधिक थी। लेकिन इस पर भी वोट आफ सेन्श्योर का सवाल उठाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सरकार इस तरह के अपोजीशन के अविश्वास के प्रस्तावों का स्वागत करती है क्योंकि इस से उनको सफाई देने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के शब्दों में उनको सिर्फ मौदहा और मलिहाबाद ही याद आता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हमारे भाई गोविन्द सहाय जी ने एक मौलिक व बुनियादी बात का जिक्र करते हुये कहा था कि सरकार की तरफ से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, उस समय सरकार को यह पता नहीं था कि हमारे प्रदेश में फूड में सेल्फ सफीशियेन्सी नहीं है। मेरे पास तीन, चार साल के बजट यहां रखे हुये हैं, माननीय हाफिज जी के समय के और इस के साथ ही गवर्नर ऐड्रेसेज भी रखे हुये हैं। उस समय सरकार की ओर से डंके की चोट पर यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश ने फूड के मामले में सेल्फ-सफीशियेन्सी हासिल कर ली है और वह अब एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह बात थी और उनको दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय इसका पता नहीं था। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सामान अधिक है और वह उसे कमी वाले स्थानों में भेजे जाने की स्थिति में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो यह कहा गया कि यह स्टेट सेल्फ सफीशियेन्ट हो गया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस तरह की बात आ जाती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न रखा और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अक्तूबर, सन् ५५ में, जो इसमें प्रस्तावना है, उसमें उन्होंने यह कहा कि इस अवधि में हम यह भूल चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जब हमने यात्रा आरम्भ की, देश में यथेष्ट मात्रा में खाद्य नहीं था, वस्त्र का अभाव था और जीवन के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं के दाम इतने बढ़े हुये थे कि उन्हें क्रय करना साधारण जन के लिये कठिन था। अक्तूबर सन् ५५ से लेकर सन् ५७ तक वह भूले हुये थे कि खाद्य समस्या हल हुई या नहीं।

हम से तो कहा जाता है कि आप लोग पोलिटिकल प्रोपैगेन्डा करते हैं। हाथरस में जिस तरह से वाकया हुआ, उसके लिये यहां सदन में प्रस्ताव पर जब दो घंटे तक बहस हुई थी, उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाथरस में इस तरह से लूट हुई। कल माननीय उप-खाद्य मंत्री जी ने हाथरस में जो लूट हुई उसका जिक्र किया और कहा कि आपोजीशन पार्टी की तरफ से वहां लूट कराई गई और पोलिटिकल पार्टी ने करायी। मेरे पास एक प्रेस नोट रखा हुआ है सरकार की ओर से जो निकाला गया, सभी अखबारों में छपा होगा, २७ तारीख का 'नव-जीवन' है। इसमें लिखा है---

"राज्य सरकार ने आज अपनी एक प्रेस नोट विज्ञप्ति में बताया कि आज के कुछ पत्रों में हाथरस, सादाबाद, फिरोजाबाद और जालेश्वर में खाद्यान्नों की कमी के कारण गल्ले की दूकानों के लूटे जाने का जो समाचार छपा है, वह बिलकुल झूठा और निराधार है।"

एक बार यह कहना कि लूट हुई, दूसरी बार यह कहना हाथरस में लूट नहीं हुई, अब आप ही देखें कि कौन पोलिटिकल पोप्रेगेन्डा करता है? दो, तीन बार अपने वरजन को बदलना यह क्या प्रकट करता है? यह कहा जाता है कि हम तो पूरी चेष्टा कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार से कोटा ले रहे हैं। हम पूछते हैं कि कितना कोटा मांगा गया और कितना मिला? क्या यह सही नहीं है कि यू० पी० को अगस्त के महीने में जितना कोटा मिलना चाहिये वह नहीं मिला? क्या यह सही है कि जो स्पेशल ट्रेन यहां आने को थी वह यहां न आ कर बिहार भेज दी गई? आपकी रिपोर्ट में छपा है कि फरवरी में ले कर मई तक केन्द्रीय सरकार से एक मन गल्ला नहीं प्राप्त हुआ। और, श्रीमन्, इसी प्रकार के तथ्य यह हैं कि.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य से) अगर कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है तो आप कृपया बठें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने, श्रीमन्, कल यह कहा था कि ६० हजार टन प्रति मास मिला, ऐवरेज है यह। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि फरवरी से अब तक एक टन भी नहीं मिला....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे खेद है कि माननीय उप-मंत्री जी को यह पता नहीं कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या होता है।

श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सरकार चलाने जा रही है, लेकिन इसे यह पता नहीं कि जितने फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत है वह मिलने वाला है या नहीं। आज ही मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने बताया कि लोहा, सीमेंट जितना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च होगा उसका चौथाई भी नहीं मिलेगा। श्रीमन्, केवल एक मिसाल मैं दूं। १९५६-५७ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये लोहा २,६२,००० टन की जरूरत थी जिसमें से कुल ४२,००० टन मिला। इसी तरह से ८,४३,००० आवश्यकता थी लेकिन मिला ४,००,००० टन। इसी प्रकार और चीजों का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कागजी चित्र और घोड़े हमारे सामने दिखाये जाते हैं।

इसी प्रकार, श्रीमन्, आप देखें कि इस हाउस की इस गवर्नमेंट ने क्या इज्जत की? ऐस्टीमेट्स कमेटी ने ८ रिपोर्ट्स दीं, माननीय नवलकिशोर जी कहीं शायद बैठे हों, उसने सिफारिश की कि स्टेट डिपार्टमेंट को तोड़ दिया जाय, लेकिन उसको स्थायी बना दिया गया। इसी प्रकार कमेटी ने यह कहा कि शारदा पावर हाउस के एस्टीमेट्स की जांच करे सरकार क्यों ४,००,००,००० रु० की जगह ७,००,००,००० रु० खर्च हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। माता टीला बांध में ४,००,००,००० के स्थान पर ११,५०,००,००० रु० खर्च हुए और वह भी बिना ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के। यह सरकार के कारनामें हैं।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव में खाद्य समस्या का प्रश्न उठाया है, उनको यह शिकायत है कि सब बातें क्यों नहीं कही गईं? बहुगुणा जी कहते हैं कि श्रम नीति बहुत अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से छपा है कि कानपुर में प्ले आफ की संख्या सबसे ज्यादा है भारतवर्ष में। अब इसके बाद क्या श्रमिकों की बात कही जाय? जो सबसे ज्यादा कलाकार श्रमिक माने जाते हैं, श्रमजीवी पत्रकार, उनसे आप पूछिये किस प्रकार हाई कोर्ट के आर्डर को घुमा फिराकर, अवहेलना करके ऐडजुडीकेशन आर्डर को भी निरस्त किया जाता है। यह तो सबसे कलाकार श्रमिकों की बात है जो सबसे चैतन्यशील हैं।

पर-कैपिटा इनकम रूरल एरियाज की आज ४७ रुपया पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अब तक २७ रुपया प्रति व्यक्ति पर-कैपिटा इनकम घटी। कहते हैं कि हम पर विश्वास रखिये, हम २५ परसेंट बढ़ायेंगे, लेकिन वह तो घटती जा रही है।

श्रीमन्, मुझे कुछ समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अधिक समय बिलकुल नहीं मिल सकेगा। आप जल्दी खत्म करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अब तक हम उनको भले आदमी समझते थे, लेकिन कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह लोहे और फौलाद की सरकार है। श्रीमन्, शायद मंत्री जी को पता नहीं कि लोहे और फौलाद को भी गलाने वाली धातुएं हैं जो सेकेंडों में इनको गला सकती हैं। इसलिए भविष्य में यदि खाद्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहा करें तो अपने को लोहे और फौलाद का न बता कर के कहा करें कि हम तो मैंगनीज के बने हुए हैं, प्लुटोनियुम के बने हुए हैं, यूरेनियम के बने हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

माननीय मालमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे यहां टैक्स रेवेन्यू सब से कम है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखें, पर-कैपिटा लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा देश में उत्तर प्रदेश में है।

श्री चरणसिंह---नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देखिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त जी, जवाब देना हो तो बैठ जाया कीजिये वर्ना उनकी उपेक्षा कीजिये।

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह अविश्वास का प्रस्ताव जो आज ५ विरोधी दल के नेताओं की तरफ से पेश है उसके विरोध ही में मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे चन्द बातें निवेदन करनी हैं, विशेषकर जो मंत्रिपरिषद् पर खाद्य की एकदलीय जिम्मेदारी दी जाती है, मैं कहूंगा कि यह सही है कि हम पर जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि उस हमारी जिम्मेदारी से उनकी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। जितने सुझाव इस सदन में दिये गये, क्या कोई सुझाव आपकी ओर से ऐसा आया कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए क्या-क्या तरीके होने चाहिए। सुझाव यह आया, समाचार-पत्रों में यह निकला कि कहीं अनशन चल रहा है, कहीं "घेरा डालो" आन्दोलन चल रहा है और कहीं गल्ले गोदामों को लूटने का प्रयास और कोशिशें चल रही हैं। इस वक्त मालूम यह होता है कि इस प्रदेश में जो एक सुचारुरूप से शासन चल रहा है उसकी सारी कार्यवाहियों को और व्यवस्था को ठप करने के लिए एक धमकी विरोधी दलों की तरफ से दी जा रही है और उसके पीछे एक बड़ा भारी षड़यंत्र है, बड़ा भारी हाथ है।

खाद्य की कमी है, इससे न इधर के लोगों को इनकार है न उधर के आदमियों को इनकार है, लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ और आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हम और आप जिम्मेदार आदमी हैं और हमें क्या करना है? जब आज इस षड़यंत्र की पृष्ठभूमि इस प्रदेश में बनायी जा रही है और उसके सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य जो यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि इधर वाले पं० जवाहरलाल जी के शब्दों को नहीं पढ़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम जवाहरलाल जी के शब्दों को नहीं पढ़ते, लेकिन वह जो कृपलानी जी ने कहा है "घेरा डालो" आन्दोलन के संबंध में, क्या उसको पढ़ने की आपने कृपा की? अगर हम पं० जवाहरलाल जी के शब्दों को नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि को संतुलित और ठीक रख कर जरा इन कृपलानी जी के शब्दों को पढ़ें कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप आन्दोलन चलाने जा रहे हैं उसके बारे में कृपलानी जी के क्या विचार हैं यह आपने जाना? उन्होंने इस विषय में एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का एक खतरनाक वातावरण इस समय पैदा हो गया है उसमें कोई भी अहिंसात्मक आन्दोलन चलाना ठीक न होगा, वह बिल्कुल हिंसात्मक तरीके की तरफ जायगा। तो आचार्य कृपलानी जी, जिनकी ७० वर्ष की आयु है और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बड़े मानी और ज्ञानी नेता हैं और जिनका देश में एक बहुत उच्च स्थान है उनके शब्दों और विचारों को क्या आपने जानने की कोशिश की? आप उनके विचारों को जानने की कोशिश करें और कम से कम इस प्रदेश में ऐसा वातावरण न लायें जिससे सार्वजनिक जीवन ठप हो जाय। अगर कहीं ऐसा हुआ तो गुन्डागर्दी, हिंसा और लूटमार का बोलबाला होगा और नागरिक जीवन ठप हो जायगा। उधर से कहा गया कि सरकार कहती है कि हम इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। मैं कहता हूं कि सरकार मुकाबला करे या न करे लेकिन प्रदेश की जनता इस प्रकार की एनार्की को हर्गिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लिये मित्रों.....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया मित्रों और साथियों को यहां न सम्बोधित करें, यहां केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही सम्बोधित करें।

श्री राजदेव उपाध्याय—मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन चलाने जा रही है, "घेरा डालो" आन्दोलन चलाने जा रही है और इस प्रदेश में कई अन्य प्रकार की कार्यवाहियां होने जा रही हैं, तो क्या मेरे मित्रों ने, जो उस तरफ अक्ल का पिटारा लिये बैठे हैं, कभी यह सोचा कि इस सब का नतीजा क्या होगा ? जन-जीवन को उठाने के लिये इस प्रदेश की सरकार ने कोई कसर उठा नहीं रखी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि किसी माननीय सदस्य का भाषण जल्दी बोलने के कारण सुनाई न पड़े तो क्या वे अपना भाषण दोहरा सकते हैं ? यदि दोहरा सकते हों तो कृपया उनको अपना भाषण दोहराने की आज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय नागर जी से कहूंगा कि इस किस्म का गलत व्यवस्था का प्रश्न उठा कर माननीय सदस्य को बोलने से न रोकें ।

श्री राजदेव उपाध्याय—मैं समझता हूं कि मेरा भाषण ठीक सुनायी दे रहा है । अगर माननीय मित्र के कान ठीक न हों तो उसकी मेरे पास दवा नहीं है ।

मैं कह रहा था कि इस प्रदेश की सरकार ने खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिये कुछ भी कसर नहीं उठा रखी, लेकिन प्रकृति के कोपों की वजह से, अतिवृष्टि और सूखे के कारण इस प्रदेश की और विशेषतौर से पूर्वी जिलों की कमर टूट चुकी है । इस प्रदेश की खाद्य समस्या लगातार कई वर्षों की अतिवृष्टि और सूखे के कारण बहुत बिगड़ गयी है ।

इसलिये मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस समस्या को ठीक करना है और नागरिक जीवन को अस्त-व्यस्त नहीं होने देना है तो ईमानदारी से खाद्य समस्या के बारे में हम और आप मिल कर सोचें। मैंने पूरे भाषणों को सुना, लेकिन क्रिटिसिज्म के अलावा खाद्य समस्या का किस प्रकार हल हो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुना । मैं आशा करता था कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी से जो वकील हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, यह सुझाव आयेगा कि खाद्य स्थिति किस प्रकार से ठीक की जा सकती है और वह सरकार को बतायेंगे कि खाद्य समस्या किस तरह से हल की जा सकती है । माननीय पालीवाल जी से सुना था कि इधर के बैठने वाले मालकम हैली हैं, हैलेट हैं तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह गौरव तो माननीय पालीवाल जी को प्राप्त हो चुका है । अगर हम माल्कम हैली और हैलेट के रूप में हैं तो वह गौरव उनको हासिल हो चुका है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब को ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है कि खाद्य समस्या का हल किस तरह से हो सकता है, यह चीज हमको और आपको, सब को देखने की जरूरत है । खाली एक दूसरे पर लांछन लगाने से काम नहीं चल सकता है । इसी से अगर यह समझा जाय कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो यह बात नहीं है ।

पूर्वी जिलों में जो गल्ला सरकार द्वारा पहुंचाया गया है, यह मैं मानता हूं कि वह आवश्यकता के अनुसार कम रहा और जितनी मांग रही उतना नहीं रहा । लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह अगर गल्ला न गया होता तो कितनी मौतें हुई होतीं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर कल से लेकर अब तक बहुमत पक्ष की ओर से जितने भाषण हुए हैं, उनको मैंने बड़े ध्यान के साथ सुना है और वह इस भावना से कि मुझे उन भाषणों में एक भी बात ऐसी मिल जाय जिससे मैं यह अनुभव कर सकूं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाकर मैंने कोई गलती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

की है और अर्जुन के शब्दों में मैं यह कह सकूं कि—

"निवृत्तोऽस्मि संशय:"

मेरा संदेह दूर हो गया है और मैं अपने अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि ऐसी एक भी बात मुझे उनके भाषणों में नहीं मिली। सच बात तो यह है कि जितने भाषण हुए हैं उन में से दो भाषण हुकुमसिंह जी और चरणसिंह जी के ऐसे हुए कि जिनके कारण इधर के लोगों में बहुत क्षोभ है। वह चाहते हैं कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं और मेरा भी जी चाहता है कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी बातों का जवाब दूं। मैं समझता हूं कि अधिकतर वह बातें ऐसी हैं कि जिनका जवाब न दिया जाय तो ही अच्छा है और अगर साथी यह चाहते हैं कि कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया जाय तो मैं उनकी सेवा में निवेदन करूंगा कि इतना ही जवाब काफी होगा कि तुलसीदास जी बहुत पहले कह गये थे कि:—

"तुलसी बुरा न मानिये, हुकुमसिंह कह जायं या चरणसिंह कह जायं।"

इसलिये मैं उन बातों का इससे अधिक जवाब देना नहीं चाहता हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं कि जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उदाहरण देने के लिये हुकुमसिंह जी ने माननीय त्रिलोकी सिंह जी के बारे में यह कहा था कि मलिहाबाद में चूंकि किसानों का उन से प्रेम नहीं था इसलिये वह वहां से हार गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सामने और हुकुमसिंह जी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि वह क्यों हारे? इसका कारण यह नहीं था कि मलिहाबाद के किसानों का प्रेम उनके प्रति नहीं था बल्कि यह था कि अब जो खाद्य स्थिति बिगड़ी है, आपकी गलत खाद्य नीति के कारण, १९५७ में प्रदेश की जनता में इतना असंतोष व्याप्त था कि आपके भूतपूर्व खाद्य मन्त्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त को हराया और त्रिलोकी सिंह जी ने आपकी खाद्य नीति के कारण ही चन्द्रभानु गुप्त को हराया। मैं फिर दुहराता हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त को हराया, यह हार चन्द्रभानु गुप्त की हार नहीं थी। मैं ऐसा भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं और न उनमें कोई व्यक्तिगत दोष ही था और बाकी सब मिनिस्टर्स जो यहां बैठे हैं, यह उनके साथी निर्दोष हैं, इसलिये ये जीत गये और वे हार गये। कारण एक मात्र यही था खाद्य और पूर्ति विभाग जो कि उनके हाथ में कई वर्षों से थे उन्हीं के कारण उनकी बदनामी हुई, उनकी लोकप्रियता में कमी आयी जिसके कारण वे हारे। इसका प्रमाण यह भी है कि अगर वैयक्तिक कारण होते तो वह अकेले हारते लेकिन उनके विभाग से सम्बन्धित जितने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर थे वे भी हारे। माननीय फूलसिंह जी हारे, माननीय चन्द्रभानु गुप्त हारे, सभा सचिव बनारसी दास जी हारे। इन सब का कारण क्या है? वह एक ही बात कहता है, एक ही कहानी कहता है। वह यह कि जो गेंदा सिंह जी ने बताया। आपकी खाद्य नीति इतनी बुरी है कि आज भी अगर आप परीक्षा करना चाहें, आपको इस बात का विश्वास है कि जनता आपके साथ है, आप खाद्य नीति के सम्बन्ध में जनता का विश्वास प्राप्त कीजिये, इस नीति पर चुनाव कराइये और देखिये फिर कौन चुन कर आता है। तभी मालूम हो सकेगा कि आपमें जनता का विश्वास है या नहीं। जनता का विश्वास ऐसा नहीं होता जैसा कि कुछ तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा और माननीय कमलकुमारी गोईंदी जी ने भी कहा कि १०० वर्ष तक हम नहीं जायंगे। उन्होंने कहा कि हम रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। हम फौलाद के हैं। एक ही बात मेरी समझ में नहीं आई कि माननीय हुकुमसिंह जी फौलाद के हैं, माननीय चन्द्रभानु गुप्त मोम के थे? अगर माननीय चन्द्रभानु गुप्त हार सकते हैं तो माननीय चौधरी चरणसिंह जी भी हार सकते हैं? माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी हार सकते हैं। यह अभिमान कि हम कभी नहीं हारेंगे, १०० वर्ष तक नहीं हारेंगे, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है।

अगर इतिहास का कोई उदाहरण लेना हो तो आपने क्या किया है, जिन्होंने किया है वह आज रहे नहीं, उनकी तस्वीर आपने झूठी यहां टांग रखी है। लेकिन जिस चर्चिल ने इंगलैंड को पिछले महायुद्ध में जिताया उसी चर्चिल को उसके बाद ही जब चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया। इसलिये इस बात का अभिमान करना कि वे अजर-अमर हैं,

सही मनोवृत्ति नहीं है । माननीय त्रिलोकी सिंह जी इसलिये हारे कि जनता ने सोचा कि चूंकि ये चुने जा चुके हैं अब हमारे वोट से नयी जगह तो नहीं जायंगे, इसलिये उसने वोट देने से इन्कार किया, दूसरे लोगों को वोट दिया और वे हार गये । इसलिये नहीं हारे कि उनसे किसानों को प्रेम नहीं था ।

दूसरे माननीय हुकुमसिंह जी ने यह कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर जो भाषण हुए उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे हम लाजवाब हो जाते । माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी कहा । इस समय सदन में वे दिखायी नहीं दे रहे हैं । उन्होंने कहा कि कोई नयी और माकै की बात नहीं कही । हमें खुशी है कि वे मौजूद हैं । इन दोनों सज्जनों की सेवा में मेरा निवेदन यह है कि जनता की जिन्दगी के लिये जरूरी समझें, गरीबों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मंहगी की समस्या, रोजी और रोटी की समस्या, ये समस्याएं ऐसी हैं कि जब तक यह हल नहीं होतीं तब तक हमेशा नयी रहेंगी । जब तक आप उन्हें हल नहीं कर लेंगे तब तक आप उनका यह जवाब नहीं दे सकेंगे कि हमने उनको हल कर लिया और आप लाजवाब हो जायेंगे । इसलिये अविश्वास के प्रस्ताव में जब खाद्य नीति, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, आपकी असफलताओं का प्रश्न आता है तो वह नया प्रश्न है, पुरातन होते हुए भी नूतन है, मौलिक है और ऐसा भी है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है कि जिसके उत्तर में आप यह कह सकें कि आपने उन्हें हल कर लिया ।

कहा यह जाता है कि आप अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सवाल यह नहीं है कि अविश्वास का प्रस्ताव हम क्यों लाये । सवाल यह है कि क्या कोई कारण ऐसा है कि जिसकी वजह से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये था । आपने जन-जीवन की कौन-सी समस्याओं को हल कर लिया है ? मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं और मुझ से पहले माननीय दुबे जी सब बता चुके हैं कि खाने की, मकानों की, यातायात की, शिक्षा की, जन-स्वास्थ्य की, कोई भी समस्या आपने हल नहीं की है । इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने हरिजनों की , पिछड़ी जाति की समस्या को हल कर लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार के बैकवर्ड कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी सिफारिशों को आपने कहां तक कार्यान्वित किया है जिससे उनकी समस्या हल समझी जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शान्ति-व्यवस्था की बात है और जो पुलिस राज्य का काम है क्या आपने उस शान्ति-व्यवस्था को भी यहां पर पूर्णतया स्थापित कर दिया है ? आपका जो जनता की जान-माल की रक्षा करना कर्तव्य है क्या उसको भी आपने पूरा कर लिया है ?

कुछ दिनों पहले की बात है मैंने माननीय गृह-मन्त्री से एक प्रश्न किया था । प्रश्न यह था कि क्या झांसी जिले के ललितपुर डिवीजन में वहां के कांग्रेसी-जनों ने डाकुओं के आतंक से विवश हो कर यह बात कही है कि वहां के आदमियों की रक्षा करने की नीति के विरोध में वे सत्याग्रह कर रहे हैं ? न तो वह सत्याग्रह राजनारायण जी कर रहे हैं, न झारखंडे राय जी, न दुबे जी और न त्रिलोकी सिंह कर रहे हैं । वह बात तो कांग्रेस जनों ने कही थी । मुझे खुशी है कि माननीय गृहमन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां की स्थिति ऐसी है । मैं आपके द्वारा इस ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५७ में बाह तहसील में पी०ए०सी० की फौज पड़ी हुई थी लेकिन उससे १०० गज की दूरी पर डाकू आये और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार आदमियों की हत्या करके चले गये । क्या यह शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करना है ? क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आपने इस प्रारम्भिक काम को पूरा कर लिया है ? जब तक यहां पर इस तरह की बातें हैं तब तक आप यह नहीं कह सकते कि आपके विरुद्ध हम यह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाये ।

कुमारी गोईंदी जी ने एक बात कही कि मैंने यह नहीं बताया कि जब सरकार की नीयत पर कोई शिकायत नहीं है तो क्यों यह प्रस्ताव लाये । मैं मानता हूं कि सरकार कोशिश करती है और उसने समस्या को हल करने की कोशिश की । मुझको इससे इन्कार नहीं है, लेकिन मेरा यह दावा है कि जो आज यह खाद्य समस्या का मामला है उसके सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

वह बिलकुल गलत है । उन्होंने यह कहा था कि मैंने यह नहीं बताया कि क्या गलत है । यही शिकायत माननीय गृह मन्त्री ने उस समय जब कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई थी तब मर भाषण का जवाब देते हुए की थी । मुझे दुख है, मैंने विधान सभा की कार्यवाहियों में अगर पढ़ा जाय जो छपी हुई मौजूद है, इस सदन में कई बार खाद्य समस्या के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव दिये हैं । मैंने बताया है कि क्या उस नीति में कमी है ।

आज चौधरी चरणसिंह जी ने जो कहा उससे मैं अक्षरशः सहमत हूं कि जब तक ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक प्रदेश की खाद्य स्थिति ठीक नहीं हो सकती और तब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती । उनकी इस बात से मैं सहमत हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री चरणसिंह जी ने जो नीति ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये अभी तक अख्तियार की है क्या वह सही है ? मैं उनका ध्यान प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के महत्व को और उसकी प्रायोरिटी को अब हमने ११ वष बाद अनुभव किया ह । अब तक अनुभव नहीं किया था । तो जिस सरकार के प्रधान मन्त्री महोदय इतनी समस्या को ११ वर्ष तक न समझें हों उस सरकार की आलोचना क्या हमें नहीं करनी चाहिये ?

इस सरकार की सब से बड़ी गलती यह है कि वह यह कहती है और इस बात को स्वीकार करती है कि वह किसानों की हितैषी है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसानों की सेवा करने का वे प्रयत्न करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस मंत्रिमंडल में आकर, सरकार की गलत नीति पर चल कर वे अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं । मैं उनसे कहता हूं कि किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रेरणा देने के लिये आपने अब तक क्या किया है ? हैव यू प्रोवाइडेड ऐनी इंसेंटिव ? "ग्रो मोर फूड" के लिये आप ने क्या किया ? व्हेयर इज इट ? हर आदमी अपने मुनाफे के लिये कारोबार करता है, लेकिन आपने खेती को मुनाफे की खेती बनाने के लिये क्या किया ? क्या आपने किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइसेज पर चीजें पाने का इंतजाम किया और क्या यह रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया ? वे कह सकते हैं कि रोज की बात है ।

जब मैं केन्द्रीय विधान सभा का सदस्य था तो मैंने और प्रोफेसर रंगा ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही की यही आलोचना की थी जो आज कर रहा हूं । और आप की नीति उससे कतई भिन्न नहीं है सिवाय इसके कि आप आमदनी से कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हैं । उस समय भी मैंने कहा था कि दूसरी चीजों पर जो अरबों रुपया बरबाद किया जाता है उसको बचा कर किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइसेज पर चीजें दिलाने का इंतजाम किया जाय । वे अपने स्वार्थ के लिये अपना उत्पादन बढ़ायेंगे और आपका यह 'ग्रो मोर फूड' कंपेन इसको नहीं बढ़ा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये क्या प्राइसेज में पैरिटी कायम की ? मिलों की पैदावार में और किसानों की पैदावार में क्या पैरिटी है आज ? कोई काम आपने ऐसा किया जिससे किसान उत्साहित होते ? तो आपकी नीति में यह गलतियां हैं ।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि कोई मौलिक, बुनियादी बात कही जानी चाहिये थी । मैं एक बात कहना चाहता हूं । नीतियों का स्रोत, उनका उद्गम स्थान क्या है ? मनोवृत्ति, दृष्टिकोण । इस से प्रेरित हो कर ही नीतियां प्रभावित होती हैं । तो जैसा मैंने पहले कहा था, आज फिर कहता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है । वह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है जो साथी शिब्बनलाल सक्सेना और साथी मदन पांडेय के प्रति उपेक्षा का भाव रखे ।

आप सख्ती की बात कहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि होर्डर्स के खिलाफ आपने क्या सख्ती की ? मैं जानना चाहता हूं कि जनद्रोही तथ्यों के खिलाफ, चोरबाजारियों के खिलाफ आपने क्या सख्ती की ? बड़े-बड़े दावे थे कि सत्ता हाथ में आने पर झाड़ू हाथ में ले कर सफाई करेंगे, उस के बाद चोर बाजारियों को पेड़ की सब से ऊंची शाख पर टांग कर लटका देंगे । आज तक कुछ किया गया ? लेकिन चन्द्रजीत यादव को डंडा लगाते समय इस सरकार को जरा

भी देर नहीं लगती। अपने साथियों और जनसेवकों को जेल भेजते समय आपको देर नहीं लगती।

सुझावों की बात आप कहते हैं। आपने कोई भी सुझाव विरोधी दल का माना है? जुलाई में शिब्बनलाल जी सक्सेना ने पत्र लिखा था—इस समस्या के बारे में, दो माह बीत गये, सब कुछ हुआ, लेकिन आप ने उस की जांच नहीं करायी। इसलिये अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से आप के द्वारा एक ही प्रार्थना करूंगा और मैं तो प्रार्थना और अपील का ही रास्ता उस समय तक अख्तियार करना चाहता हूं जिस समय तक कि हमारा वश चले और मुझे माननीय हुकुमसिंह जी सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हमने कोई आन्दोलन अभी शुरू नहीं किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप राजनीतिक सुलह की बात करते हैं, आप के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी इसके लिये अपील निकालते हैं, आपके प्रधान मंत्री जी भी यह कहते हैं कि विरोधी दल को इस समस्या के हल निकालने में सहयोग देना चाहिय, लेकिन आपकी ओर से कभी सहयोग का हाथ बढ़ा है? आप कहते हैं कि हम सब बातों को मानने के लिये तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं अभावग्रस्त जिलों में, गोरखपुर आदि में जो कोअर्सिव प्रोसेस मालगुजारी वसूल करने में लिये जाते हैं वह बन्द कराना क्या असंभव है? और मैं यह भी मानता हूं कि मालगुजारी १।२० से कम है, लेकिन साल्ट पर खर्चा कितना आता था कि जिस मनोविज्ञान के प्रश्न को उठाकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज्य को यहां से खत्म कर के यहां आप को बिठा दिया? टी के मामले में कितना खर्चा पड़ता था जिस पर अमेरिकन वार लड़ी गयी?

तो जनता का मनोविज्ञान भी देखा जाता है, केवल आंकड़ों को ही नहीं देखा जाता। मानव से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है, मानव सब से बड़ा है। जनता के मनोविज्ञान से बढ़ कर आंकड़े नहीं हैं। इसलिये सरकार को कहता हूं कि वह इस बात को मान ले। अगर तात्कालिक सहायता के लिये मैं सुझाव दूं तो क्या यह भी असंभव है? क्या संभव है और क्या असंभव है, इस बात को तय करने के लिये सर्वदलीय समिति बनाना चाहते हैं जो आपस में बात तय करके जो भी संभव हो उस के लिये कोई तरीका निकाला जाय और कोई सहयोग का रास्ता निकाला जाय। लेकिन अगर आप सलाह और सहयोग का रास्ता नहीं चाहते हैं, आप दमन से ही काम लेना चाहते हैं और इसी घमंड की राह पर चलना चाहते हैं तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि—

'दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय,
मरी खाल की सांस से सार भसम हो जाय।'

अगर जनता दुःखी हुई और आपने उसका कोई निदान न किया तो आप वहां बैठे हुए २८६ अपने साथी जिनको आप चाहे जितना अधिक और जोरदार समझें, लेकिन जनता की क्रोधाग्नि में तिनके की तरह से आप भस्म हो जायंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)— मान्यवर, मैं माननीय नारायणदत्त जी की इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि विरोधीदल का यह अधिकार है कि वह जब भी चाहे, केवल इस इरादे से नहीं कि सरकार को निकाल दें बल्कि इस इरादे से भी कि सरकार की किसी नीति की टीका करें और यदि संभव हो तो उसकी भर्त्सना करने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव पेश करें। इसके अनेक उदाहरण हैं। अधिकार की बात सही है, पर आवश्यकता इस बात की भी होती है कि अधिकार का उपयोग किया जाय, संभव हो तो सदुपयोग किया जाय और उसका दुरुपयोग न किया जाय।

आपका अधिकार है और आप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि जिम्मेदारी इस सरकार की है, इस प्रदेश के योगक्षेम के लिये या जनता के कष्टों को निवारण के लिये है। साथ ही साथ यदि आप कभी ऐसा अवसर सोचकर, जो उचित न हो, इस प्रकार का प्रस्ताव ले आयें और गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें तो निस्संदेह ही वह अधिकारों का दुरुपयोग होगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं समझता हूं कि हमारे भाई और विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी जानते हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को क्यों पेश किया। उसके दो तीन कारण स्पष्ट हैं। पहला कारण तो यही है कि यह जानते हुये भी कि अवसर उपयुक्त नहीं है, आवश्यकता इस बात की नहीं है, प्रश्न ऐसा कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो उसका एक बड़ा भारी कारण तो यह है कि पिछली बार वह जो चूक गये, अपनी उस गलती को दुरुस्त करना चाहते थे। पिछली बार हमारे समाजवादी दल के नेता माननीय राजनारायण जी से वह छलकबड्डी बड्डी में पाला छोड़ गये और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पहले पेश कर दिया था। अब अपनी उस चूक को किस प्रकार से ठीक किया जाय और उसको ठीक करने का क्या साधन ग्रहण किया जाय कि चूक का परिहार हो जाय, एक तो इस कारण वे इस प्रस्ताव को लायें।

दूसरा इरादा इस प्रस्ताव के पीछे यह है कि जो आगे आन्दोलन का एक मंच बनाया जा रहा है उसके लिये कोई भूमिका बांधी जाय। और ऐसा प्रचार किया जाय कि किसी तरह से उस गैर कानूनी कार्य को किया जा सकें और जनता को भड़काया जा सके। जो गैर-कानूनी कार्यवाही करने की धमकी हमारे विरोधी दलों की ओर से २-४-६ दिनों से दी जा रही थी मैं समझता हूं कि इन दोनों लक्ष्यों को सामने रख कर उन्होंने जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने में भी वे सफल नहीं हुये हैं, क्योंकि हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी कदाचित् अपने हृदय में समझ रहे थे कि इस समय यह प्रस्ताव उपस्थित करना उचित नहीं है और अवसर भी ठीक नहीं है। मान्यवर, जहां किसी चीज में आस्था न हो, निष्ठा न हो— और कदाचित् वे यह भी समझ रहे थे कि जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है उससे बढ़िया दूसरी सरकार सम्प्रति उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकती, वे कदाचित् यह भी समझ रहे थे कि जिस नीति का संचालन यह सरकार कर रही है उस नीति से बढ़िया कोई दूसरी नीति हो नहीं सकती जिससे इस प्रदेश की जनता की सेवा हो। उन्होंने इस प्रस्ताव को बिना किसी निष्ठा के बिना किसी विश्वास के अपने दल के दबाव से, किसी के प्रभाव से और हमारे भाई राजनारायण की जो पहली उछल थी उसका परिहरण करने के विचार से इस प्रस्ताव को पेश किया है। उस प्रस्ताव को वे आस्था से या बलपूर्वक सदन के सामने नहीं रख सके।

कल उनकी सारी स्पीच से ऐसा मालूम हुआ जैसा कि, मान्यवर, मेरे एक मित्र ने कल कहा था कि मालूम होता है कि पटरी से रेलगाड़ी उतर गयी। कोई केस वे तैयार नहीं कर सके। जब वे बोल रहे थे तो उनको मेरे आदरणीय मित्र राजस्व मंत्री जी ने बीच में कहीं गलत बात कहने पर टोका, बस, उनकी बोलने की धारा ही कुंठित हो गयी और जैसी भूमिका उन्होंने बांधी थी, कदाचित् वे आवेश में आ गये और उनकी सारी स्पीच, उनका सारा भाषण एक दूसरी ओर ही मुड़ गया। आज मैंने समाचार-पत्रों में भी इसकी टीका देखी। एक टीका यह थी कि उनका भाषण कलरलेस, बेतर्क, बेबुनियाद और बेजान सा था। आज उसी को ठीक करने के लिये माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को ठोक पीटकर खड़ा कर दिया गया और चेष्टा की गयी कि जितनी मंडली पीछे बैठी हुई है वह मौके बे मौके खूब हथौड़ी पीटे, इस बात को बिना देखे व समझे हुए कि बात गलत है, सही है या क्या है। यानी जिस तरह से भी हो जल्दी-जल्दी अपनी बातें कहते जाओ, और इस तरह से हुल्लड़ मचाओ कि जिससे मालूम हो कि हम जीत गये। तो इस तरह से कलर लाने की चेष्टा की गयी है।

अस्तु, मान्यवर, मैं तो केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं उन बातों का उत्तर देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं जो यहां अविश्वास के प्रस्ताव के बजाय फूड डिबेट के सिलसिले में बातें कही गयीं हैं। क्योंकि श्रीमन्, पिछले दो तीन महीने से जब से कि असेम्बली चल रही है, वक्तन फवक्तन दाहिने बायें, जैसा कि पालीवाल जी ने तुलसीदास की चौपाई कही थी "जे बिनु काज दाहिनें बायें," तो ऐसे लोग दाहिने बायें हैं जो अक्सर फूड डिबेट के सवाल को उठाते ही रहते हैं। तो मैं फूड डिबेट का उत्तर नहीं देना चाहता हूं। केवल यह जानना चाहता

हूं कि प्रदेश की खाद्य समस्या कठिन है तो उस कठिन समस्या का समाधान करने के लिये आज कौनसा उपाय आप कर रहे हैं और कौनसा उपाय सरकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न हमारे प्रदेश की जनता के सामने जाय, जनता ही हमारा न्यायालय है और वही इसका फैसला करे कि यदि समस्या कठिन है तो उसके समाधान के लिये कौनसी नीति हम बरत रहे हैं और कौन सी नीति वे बरत रहे हैं जिन्होंने आज यह प्रस्ताव कर दिया कि हमको इस मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है। जो जनता है वही आज इस विषय को देखें कि खाद्य समस्या ऐसी क्यों है?

हमारे भाई श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा कि स्केयरसिटी तो है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे प्रदेश में जो होर्डर्स हैं, व्यापारी लोग हैं उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठा कर अन्न के दाम को बढ़ाया है। इसलिए यह परिस्थिति आज दिखाई दे रही है। यह एक नयी बात है। हमारे भाई गेंदा सिंह जी रोज शोर करते हैं कि बड़ा अन्न का अभाव हो गया। हमारे भाई श्री झारखंडे राय जी यहीं बैठे हुये हैं। वह आजमगढ़ के एक गांव में गए। गांव के कोने से दूसरे गांव के आखीर तक गए थे। एक औरत बुड्ढी मर गयी। सब लोग इनको रास्ते में मिलते गए यह कहने के लिये कि हां, साहब वह मर गई औरत, बुढ़िया थी, मर गई। आप उसके घर में गए। ६,३२,००,००० की आबादी का यह प्रदेश, कहीं आप की कांस्टीट्यूएंसी के एक गांव में एक बुढ़िया मर गई, गांव में जिस वक्त घुसे बिना सूचना दिये हुये पहुंचे थे तो उस के एक कोने से लेकर आखीर तक गांव वाले उनसे कहते गए कि वह बुढ़िया मर गई। लानत है उस गांव पर, लानत है उस कांस्टीट्यूएंसी पर जहां के लोगों ने शुरू से आखीर तक यह कहा कि वह बुढ़िया मर गई और जब वह बुढ़िया मर रही थी तो उस बेचारी गरीब को पूछने वाला कोई नहीं था। यह है इनका कम्यूनिज्म, यह है इनका गरीबों का प्रेम। मान्यवर कौन कह सकता है कि ६,३२,००,००० की आबादी में कहीं कोई मरता नहीं, अन्न के अभाव के कष्ट में नहीं है। कौन यह कह सकता है कि ऐसी परिस्थिति भी किसी के सामने न आती होगी कि वह उपवास कर जाय एक पहर, दो पहर? लेकिन यह कि गांव के लोग इतने उत्सुक थे कि बिना सूचना दिये पहुंचने पर आ कर कहने लगे कि वह बुढ़िया मर गई लेकिन जब तक वह मरी नहीं थी या उसके यहां अन्न का अभाव था तब तक कोई भला आदमी उसे पूछने नहीं गया। स्वयं कांस्टीट्यूएंसी के प्रतिनिधि साहब उसे पूछने नहीं गए। हां, बेचारी जब मर गयी तो उन्हें सात पैसे लुटिया में दिखाई पड़े। चार महीने से बीमार थी। यह है आपकी गरीबों की सेवा जो कि आज आग लगा रहे हैं, भस्म हो जायगा, नष्ट हो जायगा, प्रदेश नष्ट हो जायगा, तुम मरोगे, और तुम गलोगे, यह आप की सेवा है। (व्यवधान) कृपा कर के सुनते चलिये। यह नामुनासिब बात है। आप तंजेब का कुर्ता पहनते हैं तो खद्दर के कुर्ते के सामने आइए.....

श्री उपाध्यक्ष— माननीय मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई शिकायत हो तो मुझसे कहें, सीधे माननीय सदस्यों से न कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, बड़ी मुश्किल यह है कि शिकायत तो आप से करूं, लेकिन जो शिकायत पैदा करते हैं जरा दो बात उनको भी सुना दूं कि जरा बीच में टोकें नहीं।

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रदेश में मान भी लिया जाय कि अन्न की समस्या कठिन है तो आपने उस अन्न की समस्या के समाधान के लिये क्या किया और हमने क्या किया? हमारी नीति में कमजोरियां हो सकती हैं, हमारे पास धन का अभाव हो सकता है, साधनों का अभाव हो सकता है, हमें भारत सरकार से जितना चाहिए था देश की समस्त परिस्थिति को सामने देखते हुये कदाचित् वह उतना हमें न दे सकें हों जिससे कि हमारी कठिनाईयां भी बढ़ गईं, हमारे विरुद्ध प्रकृति भी रुष्ट हो, एक साल, दो साल नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

चार-चार साल से हमारी फसल को नष्ट कर के हमें परेशानी में डालती रही हो, बावजूद इन तमाम चीजों के, मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में जब गल्ले का इतना बढ़ा हुआ भाव है तब भी कोई आदमी भूखा मरता नहीं दिखाई दे रहा है । जिस गल्ले के बढ़े हुये भाव की ओर यादवेन्द्रदत्त जी ने संकेत किया भाव बढ़े, और बावजूद इतने भाव बढ़ने के आज यह प्रदेश चल रहा है, लोग अन्न खरीद के खा रहे हैं। यहीं लखनऊ का शहर है, इतने माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं, कोई आज खोज के निकालकर के यह नहीं कह सकते कि यह आदमी आज भूखों मर रहा है अन्न के अभाव में। (व्यवधान) मुंह से जितना मन हो उतना शोर कीजिये बार-बार शोर करने से और किसी बात को बहुत तेजी से और जोर से कहने से झूठी बात सच्ची नहीं हो सकती। (व्यवधान) मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से टोकने टाकने से मैं भी आप की दया से पुराना अखाड़िया हूं—घबड़ाने वाला नहीं हूं। डीरेल कोई दूसरा होता होगा। मैं डीरेल होने वाला नहीं हूं ।

तो, मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था इस बीच में हमने गल्ले की परिस्थिति को सुधारने के लिये जो चेष्टायें कीं वे हमारे आप के सामने हैं। और यह मानते हैं कि गल्ले की स्थिति कठिन है पर निश्चयपूर्वक आप की आज्ञा से इस स्थान से यह निवेदन करना चाहता हूं और भगवान की कृपा का आकांक्षी होते हुये कि उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति पूरी तरह हमारे नियन्त्रण में है कोई कारण नहीं उसकी परिस्थिति इतनी बिगड़ जाय कि जिसके लिये प्रदेश आतंकित हो और कोई औचित्य नहीं है इस बात में कि सदन में अविश्वास के प्रस्ताव को लाकर एक आतंक को फैलाने की चेष्टा की जाय, अन्न के भय को फैलाने की चेष्टा की जाय जिसका अस्तित्व नहीं है और जिसके फैलाने की वजह से हमारे यहां के लोगों का प्राण संकट में पड़ सकता है। खाद्य स्थिति काबू में है । अन्न की देश भर में कमी है ।

मैं माननीय यादवेन्द्रदत्त जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में तो हमारी कमजोरियों से अन्न का भाव बढ़ा। बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जहां ३२-३४ रु० मन चावल है। मध्य प्रदेश में क्या है, केरल में क्या है? क्या सर्वत्र उत्तर प्रदेश की सरकार हुकूमत कर रही है? तर्क कीजिये तो युक्तसंगत हो, बुद्धि उसमें हो। जिस प्रकार आपकी नीति बुद्धिहीन है, जिस प्रकार आप कल्पनाहीन हैं, जिस प्रकार आप अदूरदर्शी हैं, जिस प्रकार आप प्रदेश के जीवन को छिन्न-भिन्न करने पर लगे हुये हैं, जिस प्रकार किसी कठिन समस्या का समाधान करने के बजाय उसको उलझाने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं उसी प्रकार आप के तर्क भी निराधार, बेदम, युक्तिहीन और तर्कहीन हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, और फिर मैं पूछता हूं आप यह कहें कि हम सत्याग्रह करेंगे क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि १५ महीने इस सरकार को बने हुए हो गये, १५ बार सत्याग्रह शुरू हुए, जिसका नाम सत्याग्रह दिया जाता है उसको मैं दुराग्रह कहता हूं। कोई समस्या बाकी रही, कोई प्रश्न बाकी रहा, इन १५ महीनों में जिस पर सत्याग्रह न किया गया हो? कभी पी० एस० पी०, जनसंघ सोशलिस्ट और कभी कम्युनिस्ट। आज कम्युनिस्ट को अहिंसात्मक आन्दोलन में विश्वास उत्पन्न हुआ है। आप कहते हैं कि भूख हड़ताल करेंगे। हमारे माननीय झारखंडेराय जी ने जैसा देखा तब तैसा स्वरूप बदल दिया। जनसंघ ने कहा कि सरकारी वसूली बन्द करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी का घेरा डालो आन्दोलन हो गया, पी० एस० पी० लूट और खसोट को अग्रसर करने में प्रोत्साहन दे रही है। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है? सबसे खराब काम होता है अनशन करना। और वही काम माननीय झारखंडे राय जी की पार्टी के लिये रह गया। और कहते यह हैं कि हालत होगी तुम्हारी जर्मनी और इटली की।

मान्यवर, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को देखें, कम्युनिजम के गर्भ से फासिज्म पैदा हुई और जर्मनी में हिटलर हुआ।

आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जहां नेशनलिस्ट फोर्सेज देश का जो कार्य करने मे लगे हों वहां उनके मोरेल को तोड़ दो और जिन लोगों का साथ पकड़ा उन्हीं की पीठ में छरा भोंकना, यही आपकी नीति है।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि त्रिलोकी सिंह जी के हृदय में लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा है और उतनी ही है जितनी मेरे में है, लेकिन अगर आप समझते हों कि किसी सरकार को खड़ा कर दो और वह सरकार ऐसी रहे कि कानून तोड़ने वालों के सामने साष्टांग सूर्य दंडवत करे फिर खड़े होकर कहें कि "त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव"। ऐसी निकम्मी और निर्जीव सरकार में आप खुद रहना पसन्द न करेंगे। हमें आप के ऊपर रोक लगानी पड़ी, आपके ऊपर गोली चलानी पड़े, इससे बढ़कर हमारे लिये और कोई दुख की बात नहीं है।

स्नेहं दहां च सौख्यं च अथवा जानकीमपि,
आराधनाय लोकानां मुचतों नास्तित में व्यथा।

जिस तरह से भगवान राम कहते हैं कि हम जनहित के लिये अपनी प्रिय वस्तु को भी छोड़ देंगे, उसी तरह से इस देश की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये तथा यहां शान्ति स्थापित करने के लिये हमारा जो कर्तव्य है, हम उसके लिये हर तरह से त्याग करने को सदा तत्पर रहेंगे। हम हृदय पर पत्थर रखकर इस चीज को करेंगे। हम आप से कहते हैं कि आप अराजकता न फैलावें। आप इस तरह से अराजकता फैलाकर इस प्रदेश के जीवन को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं। इस तरह से कभी भी खाद्य की समस्या नहीं सुलझ सकती है। आज अपने इस तरह से कार्य करके प्रदेश की जनता की भावनाओं को उभाड़ा है और हमारे प्रति दूषित भावनायें फैलाई हैं, उनके हृदय में हमारे प्रति सन्देह के भाव उत्पन्न किये हैं। इस तरह से प्रदेश की शान्ति को भंग करना किसी तरह से भी उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस तरह से आप प्रदेश में अमन व शांति नहीं ला सकते हैं और न किसी समस्या का हल ही निकल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का समय खत्म हो गया है।

***श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—श्रीमन्, बहुत ओजस्वी भाषण हमारे पुलिस मंत्री ने दिया। मैं दो रोज से इस बात को सुनने की कोशिश कर रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव दिये जायेंगे जिस से कि इस प्रदेश के ६ करोड़ ३५ लाख की जनता पर जो आज खाद्य संकट है, उस में कुछ सुधार हो सकेगा, लेकिन कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। मैंने चौधरी चरणसिंह जी का भाषण भी सुना और वे खाद्य समस्या किस तरह से हल हो, इसके लिये वे बहुत निपुण हैं। यहां बहुत गर्व के साथ बातें कही गई हैं और सोशलिस्ट पार्टी के "घेरा डालो" आन्दोलन की उपेक्षा की गई है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सन् १९४३–४४ में जब ४० लाख मनुष्य कलकत्ता और बंगाल में भूखे मर रहे थे और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल से निकले, तो उन्होंने कहा कि क्या सब लोग नपुंसक हैं, आप लोग अन्न को लूट लें, यदि आज हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से "घेरा डालो" आन्दोलन किया गया, तो क्या आफत आ गई? आज पूर्वी जिलों में खाद्य समस्या की क्या हालत है। मैं मिनिस्टरों को और खास तौर से पुलिस मिनिस्टर को दावत देता हूं कि बलिया तथा आजमगढ़ जिले में आयें और देखें। वहां पर सैकड़ों मनुष्य मकानों के अन्दर जिन बर्तनों में दाल, सब्जी आदि पकाते हैं, वे बर्तन मिट्टी के बने होते हैं। उनको खाने को ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, कितने ही लोग वहां भूख से मर गये हैं। नेहरू जी ने सन् १९४३–४४ में इसी तरह की आपत्ति में क्या कहा था। सोशलिस्ट पार्टी ने सन् १९४६ में खास तौर से इसी तरह की बातों के लिये संकल्प किया था और प्रतिज्ञा की थी। इस देश में जब तक जनतंत्र है कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हमरा आन्दोलन १० मई, सन् १९५७ को आरम्भ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

हुआ उसके विरुद्ध क्या-क्या नहीं कहा गया जबकि इस देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बंगाल के अकाल की बात को सुनकर कहा था कि वह नपुंसक जनता क्यों शांत बैठी रही। हम जानते हैं कि आप अपनी इस निकम्मी नीति से आज नहीं सन् १९६१ और ६० तक भी अन्न समस्या हल नहीं कर सकेंगे और उस समय हम यह "घेरा डालो" आन्दोलन की बात करने पर मजबूर नहीं होंगे बल्कि आप के खिलाफ हम कोई "कुर्सी बदलो आन्दोलन" लायेंगे। हमारा दावा है कि यह खाद्य समस्या इस सरकार के किये हल नहीं हो सकती। आज जिन कानूनों को और जिन सुधारों को लेकर सरकार चल रही है और अपनी योजनायें ला रही है प्लानिंग विभाग के द्वारा और दूसरे विभागों के द्वारा मैं चौधरी साहब से विशेष कर कह रहा हूं कि आप की यह तमाम योजनायें केवल ऊपर से चल रही हैं और आज भी वह गलत हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सन् १९५८ की क्या बात है, यह समस्या इस सरकार के किये १९५९ और ६० तक भी हल नहीं हो सकती।

माननीय पुलिस मंत्री जी ने अभी बिलकुल झूठी बात कही है कि आज की खाद्य स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे कोई बड़ा संकट आ गया है। मैं कहता हूं कि आज वह न मानें कि यह स्थिति ऐसी भयानक है। सन् १९६० तक वह परिस्थिति अपने इस गलत खयाल से वह स्वयं ले आयेंगे कि यह सरकार चल नहीं सकेगी और वह इस सूबे की जनता को अनाज नहीं पहुंचा सकेंगे। कारण यह है कि उनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। प्रोग्राम आप हमसे लीजिये। हमने १० मई को सन् १९५७ में प्रोग्राम दिया और हिन्द किसान पंचायत ने अपनी योजना दी कि पहले तो छोटे-छोटे काश्तकारों की मालगुजारी खत्म की जाय। पहले आप ६।। करोड़ मालगुजारी जमींदारों से लेते थे और ११–१२ करोड़ जमींदारों पर छोड़ देते थे। जमींदारी टूटी लेकिन उससे जमींदार तो टूटे लेकिन वह व्यवस्था नहीं टूटी, आज तो लेखपाल और मजबूत हो गये। व्यवस्था वही है। यह साढ़े छः करोड़ रुपया किसानों को जाना चाहिये, आज आप २३ करोड़ ले रहे हैं। तो पहला सुझाव तो यह है कि किसान जो छोटे हैं उनकी मालगुजारी माफ की जाय।

इसके अलावा भाखरा डेम की योजना सन् १९६२–६३ में आयेगी लेकिन इस समय की फौरी जरूरत है कि लाखों की तादाद में कुएं बनवाये जायं और हर २० एकड़ पर एक कुआं होना आवश्यक है। वरना यह फसल खराब हुई और रबी की फसल भी वैसे ही रह जायगी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि किसान की हालत सुधारने के लिये आप उसको लान्ग टर्म के लिये ३०-४० साल के लिये तकावी दें ताकि वह इस हालत में हो जाय कि अच्छे साधनों द्वारा खेती की समस्या को सुलझा सकें।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय त्रिलोकी सिंह जी के द्वारा पेश किये गये अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत कुछ विरोधी पक्ष की ओर से कहा जा चुका है और यह खास प्रस्ताव जो इस वक्त लाया गया है वह खाद्य समस्या से सम्बन्धित है। इसके अलावा और भी समस्यायें हैं लेकिन जो खाद्य समस्या का रूप इस समय है वह बड़ा भयंकर है और इस तरह से हमारे सूबे की जो खाद्य की समस्या है जो कमी है वह पूरी नहीं हो सकती। इस समस्या को हल करने में यह सरकार पिछले दस साल से कामयाब नहीं हो सकी है और इसीलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ लाया गया है। सब से पहले यह आवश्यक है कि किसान की हालत सुधारने के उपाय पहले किये जायं, खेती के साधन, अच्छा बीच, अच्छे औजार उसे मोहैया कराये जायं। सरकार ने इस बात का दावा तो किया कि उसने इन दस साल में एक करोड़ आठ लाख एकड़ खेती के सिंचाई के साधन पैदा कर दिये लेकिन हम देखते हैं कि पिछले दस सालों में कभी भी खेती की सिंचाई ७० लाख एकड़ से ज्यादा नहीं हुई। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि साधन तो उत्पन्न किये गये, ट्यूबवेल बना दिये गये, नहरें खोदी गयीं पर उनमें पानी नहीं पहुंचता। अगर

पानी पहुंचा तो उस नहर के पास, ट्यूबवेल के पास वह छोटे-छोटे किसान जिनके पास छोटी आराजी है वह महमूल की महंगाई की वजह से अपने खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाते इस सरकार की नीति, जो पानी देने की है, वह व्यापारिक नीति है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को इस नीति को छोड़ देना चाहिए और छोटे छोटे किसानों से कुछ समय के लिये जब तक कि खाद्य समस्या ठीक तरह से हल न हो जाय, आबपाशी के महसूल न लिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

आज किसान कर्ज से बहुत लदा हुआ है। आज वह महाजन के कर्ज से इतना लदा हुआ है कि उससे वह उभर नहीं सकता और खेती की पैदावार के लिए ठीक से साधनों को वह जुटा नहीं पाता है। आज स्टेट गवर्नमेंट और कोआपरेटिव सोसाइटीज ने जो किसान को कर्जा दिया है वह सिर्फ दो परसेंट तक पहुचाता है, ज्यादातर तो किसान महाजन के बोझ से दबा हुआ है। छोटे किसान के उसके लिए तकावी का कोई प्रबन्ध नहीं है। तकावी के जो कानून हैं उनमें आजतक कोई परिवर्तन नहीं किया गया और छोटे किसान मौजूदा तकावी की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार बड़ी फौलादी सरकार है और वह गुंडागर्दी को पनपने नहीं देती, मैं समझता हूं यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं पुलिस मंत्री जी के सामने अपने जिले की मिसाल रखना चाहता हूं। मुहम्मदाबाद थाने के अन्दर रात में जब पूरा अमला मौजूद था, संतरी फाटक पर खड़ा हुआ था और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर सी० आई० डी० भी मौजूद थे तो थाने के इंचार्ज का रात में बुरी तरह से मारा गया, और लोग उसे मरा हुआ छोड़ कर गये, उस वक्त फौलादी सरकार के वह सिपाही थाने से कहां चले गये थे? मुझे पता नहीं। वह गुंडे जो छोटे छोटे किसानों को जो बैकवर्ड क्लासेज तथा हरिजन हैं उनको परेशान करते हैं तो उनकी रक्षा के लिए फौलादी पुलिस कहां चली जाती है? श्रीमन्, जब मुझसे कहा जाता कि आप उन लोगों के नाम नहीं बतलाते हैं, लेकिन जब मैं नाम बताता हूं तो सरकार उनके विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार नहीं होती, बल्कि उनको बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ फलां महाशय ने कहा है और इस प्रकार उनको और उत्साहित किया जाता है उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ये ऐसे हालात हैं जिनसे मजबूर होकर अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पेश किया गया है।

मैं एक मिसाल आपके द्वारा रखना चाहता हूं सरकार की एफिशियेंसी की मिसाल है। हमारे जिले की अंतरिम जिला परिषद् के एक पदाधिकारी के सम्बन्ध में इस सरकार की ओर से त न बार तीन प्रकार के आर्डर गये। कभी निकाला जाता है, कभी सस्पेंड किया जाता है और फिर बहाल किया जाता है। दूसरा दल आता है और फिर सस्पेंड कराया जाता है। फिर तीसरा आर्डर निकलता है। १५ दिन के अन्दर तीन तीन आर्डर बदलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सरकार की क्या कदर और क्या ऐतकाद जनता के बीच में पैदा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पार्टीबन्दी के आधार पर काम किये जाते हैं, या आर्डर पास किये जाते हैं इससे जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है और इसीलिए जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये और जनता की राय जाहिर करने के लिये माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है जिस पर आज विचार हो रहा है। इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये।

आज पश्चिमी जिलों में भी हालत अच्छी नहीं है। अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार से कई लाख रुपया बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को तैयार कराने में खर्च किया और वह बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट हमारे प्रदेश के सामने इस सरकार ने अब भी पेश नहीं की।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की शान्ति सुरक्षा द्रौपदी के मर्यादा चीर को हरण करने वाले दुःशासन पर अन्तिम प्रहार करने के लिये आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह समझ रहे होंगे कि केवल विरोधी दल के सदस्य ही इस मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास करते हैं ऐसा नहीं है वे तो करते ही हैं, कांग्रेस के सदस्य और मिनिस्टर भी इस मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास करते हैं यह सिद्ध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। देखिये, मैं माननीय गौतम जी का एक भाषण आपके सामने उपस्थित करता हूं कि किस तरह से उन्होंने इस मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट किया। कांग्रेसी सदस्य और इस समय मिनिस्टर माननीय मोहनलाल गौतम जी ने १६ अप्रैल, १९५७ को महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुये पिछले दस वर्ष के कांग्रेस शासन की रूपरेखा खींची थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दस वर्ष के राज्य में किस तरह से गरीब अधिक गरीब हुये और अमीर अधिक अमीर हुये। मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके मंत्री हो जाने के बाद क्या वे अधिक गरीब अमीर हो गये या अधिक अमीर बराबर हो गये? उनके मिनिस्टर होने के बाद ही कैसे यह परिवर्त्तन हो गया?

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आगे उन्होंने कहा कि एल० एस० जी० के एक कमिश्नर हैं जिनको ३,००० रुपये तनख्वाह मिलती है, उनका क्या काम है यह मुझे अब तक नहीं मालूम हुआ। यह उनका कहना है। एक कमिश्नर का क्या काम है जब स्वयं मंत्री को यह नहीं मालूम तो ऐसी सरकार में अविश्वास न हो फिर और क्या हो? आगे उन्होंने कहा कि "क्या हम सोशलिस्ट पैटर्न कहलाने वाले समाज की तरफ जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं लेकिन सारे समाज और सारे लोगों के विचार करने के लिए यह बात पेश कर रहा हूं कि हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम अच्छी तरह से सोचें, विचार करें और अगर हमारा कदम सही नहीं है तो हम अपनी जगह से हटें"। तो इस मंत्रि-परिषद् में स्वयं मंत्री जी को विश्वास नहीं है हम तो अविश्वास करते ही हैं।

इसके अलावा बनारस जो बहुत प्रसिद्ध है वहां के माननीय गृह मंत्री जी और उनके डिपार्टमेंट के विषय में मैं कुछ बता देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में ४३१ एम० एल० ए० हैं। वे कितने सुरक्षित हैं यह जरा सुन लीजिये। एटा में कोतवाली के सामने कांग्रेस के ही एम० एल० ए० को गोली मार दी गयी। बाराबंकी में दो एम० एल० ए० कत्ल कर दिये गये। गोंडा के एक एम० एल० ए० श्री बलदेवसिंह के ऊपर दफा ३०२ का मुकदमा चलाया जा रहा है। पुलिस कहती है कि यह गलत है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इटावा के एम० एल० ए० श्री गजेन्द्रसिंह के घर डकैती पड़ी। बाराबंकी के एक दूसरे एम० एल० ए० श्री मुकट बिहारीलाल अग्रवाल पर राहजनी का केस चला।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं बहुत सी बातें बताना चाहता था, आपने लाल बत्ती दिखा दी।

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं हरे बने रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह—अभी तो मैंने एम० एल० ए० कितने सुरक्षित हैं केवल यह बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री लोग कितने सुरक्षित हैं। अलीगढ़ में एक मंत्री जी के गले में न जाने कैसी माला पहनाई जा रही थी कि पुलिस से मार काट हो गयी। तो जिस राज्य में मंत्री और एम० एल० ए० सुरक्षित न हों, जिस राज्य पर मंत्री और एम० एल० ए० स्वयं विश्वास न करते हों उस सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सुन्दर बातें थीं। थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय कृपया। मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत सुन्दर श्लोक कहा करते हैं और वह राजा साहब की बुहाई देने लगे। मैं आप से कहना चाहता हूं कि दुःशासन और

दुर्योधन को समाप्त करने के लिये हम पांच पांडवों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। हमारे साढ़े तीन साल शेष रह गये हैं बनवास के जबकि महाभारत का इलेक्शन रूपी युद्ध होगा और उस युद्ध में हम दुःशासन और दुर्योधन को परास्त करेंगे, परास्त करेंगे, परास्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया। सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। पिछली दफा इसी सदन में जब राजनारायण जी द्वारा इस सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया तो मुख्य मंत्री जी ने एक चेतावनी दी थी और उन्होंने यह कहा था कि सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है और वह विरोधी दल के नेता के द्वारा आता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि इस बार इस परम्परा को निभाया गया है। जिस समय इसको माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया तो मैंने इसको बहुत महत्व का समझा था। लेकिन जब मैंने इसको छपे हुये रूप में देखा और केवल सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव और ४-५ विरोधी दलों के नेताओं के दस्तखत देखे तो मैंने इसको कुछ हल्का समझा और जब मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मैंने इसके महत्व को बहुत ही कम समझा जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि यह प्रस्ताव फूड डिबेट हो गया।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही जिसका मुझ पर असर हुआ। उन्होंने यह कहा कि जो सदस्य हैं वह अपने हृदय से बोलें इस बात ने मेरे दिल को छुआ। दूसरे उन्होंने एक बात यह कही कि मुझे सारे विरोधी दलों का सहयोग प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव का आदमी हूं। मुझे याद आ गया कि उनका कैसा सहयोग होगा। गांव में दो मूर्ख नौजवान थ। वह घर से नाराज होकर निकले और साधू बन गये और भीख मांगने चल दिये क्योंकि अयोग्य आदमी साधू हो जांय तो उनको सिवाय भीख के और कुछ नहीं मिला करता है। जब वह किसी घर में अलख जगाते यानी मांगने जाते तो दोनों अपना तोंबा एक दूसरे के आगे करते। नतीजा क्या होता? यही होता था कि जो चुटकी डालने वाली महिला आती थी तो उसकी चुटकी न तो उसके तोब में पड़ती थी और न दूसरे में पड़ती थीं। यही हाल उनके सहयोग का है। माननीय राजनारायण जी इसमें कुछ पीछे रह गये दस्तखत करने से और अन्य लोगों के दस्तखत मौजूद थे। यह मुझे उनके प्रस्ताव से मालूम हुआ।

दूसरे जब मैंने उनकी स्पीच सुनी तो उन्होंने बहुत जोर से कहा था कि जनता के हित में है कि सरकार इस्तीफा दे। अध्यक्ष महोदय, यह बातें यदि गेंदा सिंह जी, राजनारायण जी तथा अन्य विरोधी दल के लोग करते जो १९५७ से पहले कहा करते थे कि सरकार को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिये। चुनाव के लिये जिन सज्जन ने दावा किया है कि इस प्रकार सरकार के साथ जनता नहीं है तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं भविष्य की बात तो नहीं कह सकता लेकिन एक बात मैं आप से कहता हूं कि अगर उनको विश्वास है कि खाद्य स्थिति के कारण जनता सरकार के साथ नहीं है तो मैं उनसे कहता हूं कि आज वह इस्तीफा दें और मैं उनको चुनौती देता हूं और मैं दावा तो नहीं करता शायद कुछ लोग आ जांय लेकिन सब के सब नहीं आ सकते हैं। यदि सब के सब आ जांय तो यह सरकार हट जायगी। यह मेरा दावा है और मैं यह भी कहता हूं कि उनमें से बहुत से नहीं आयेंगे और जिन्होंने दावा किया है वह नहीं आयेंगे, यह मेरा दावा है। यह उनका दावा निर्मूल है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने पूज्य बाबू सम्पूर्णानन्द जी को पूज्य तो कहा लेकिन एक बात बड़े जोरों से कही वह कुछ पुरानी बातें कहा करते हैं। भारतीय संस्कृति को वह याद करें। आज का नया युग है। जनता के सामने एक नया आदर्श है समाजवाद का जिसक किताब लिखने वाले इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि केवल लिखने वाले ही नहीं समाजवाद जिन साधनों के साथ, जिन संकटों के साथ, जिस दरजे तक जा सकता है उस

[श्री रामचन्द्र विकल]

दरजे तक इस प्रदेश में ले जाने के लिए वह प्रयत्नशील हैं। मैं यह कहूंगा जनता की दुहाई देने के लिए केवल विरोधी दलों के सदस्य ही अपने को समझें तो यह उनका भ्रम है। हम सब लोग जनहित में एक मिनट भी उनसे पीछे नहीं हैं। कुछ काम करना हम भी समझते हैं। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि हम को जनहित का कार्य करना पड़ता है और उन्हें आलोचना करनी होती है और आलोचना केवल कौवा दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। कौवा दृष्टि के मानी यह हैं कि स्वस्थ जानवर को भी कौवा ठोढ़ लगा देता है। इससे मेरे दोस्त बाज आएं। यह प्रस्ताव आज केवल प्रदर्शन और प्रचार के लिए इस सदन में लाया गया है। वह भूल जाते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव का महत्व दिन प्रति दिन इस सदन में कम होता जा रहा है। अविश्वास के प्रस्तावों का जो रवइया विरोधी दलों ने शुरू किया है उससे अविश्वास के प्रस्तावों का महत्व कम हो रहा है। राजनारायण जी ने जो बातें कहीं मैं राजनारायण जी को पहले से जानता हूं। वह पहले विरोधी दल के नेता थे। बीच में खिसक कर पीछे जाना पड़ा। उनके विचार कहीं मिलते ही नहीं और वह अपने विचारों के साथ कुछ बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वैयक्तिक आक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र विकल—मैं माफी चाहूंगा। राजनारायण जी ने कुछ बातें कहीं। लेकिन जो आज नेता विरोधी दल हैं इससे पहले माननीय गेंदासिंह नेता विरोधी दल थे। मेरी व्यक्तिगत उनसे शिकायत नहीं है। जितने समय वह इस सदन के अन्दर माननीय नेता विरोधी दल के पद पर रहे उन्होंने उस पद का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने परम्पराओं को निभाया। लेकिन जब से नेता विरोधी दल के पद से हटे हैं, पता नहीं क्यों....

श्री अध्यक्ष—आप फिर वैयक्तिक आक्षेप कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—माननीय जन संघ के नेता की मैं जरा चर्चा करूं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। माननीय त्रिलोकी सिंह आप १५ मिनट ले सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का निहायत मशकूर हूं जिन्होंने मेरे जरिये से पेश हुए प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं उनका भी मशकूर हूं जिन्होंने उसका विरोध किया है। खासकर उन सदस्य का ज्यादा मशकूर हूं जिन्होंने कानपुर ऐसे सूखे नगर से आकर ठंडे पानी का छींटा हमको दिया। मुझे अफसोस है कि संसदीय प्रथाओं के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री ने इस विवाद में मेरे जवाब देने से पहले भाग नहीं लिया। मेरा यह अधिकार था कि मैं उनकी बातों को सुनता और जवाब देता। मुझे दुख तो जरूर है लेकिन ज्यादा इसलिये नहीं है कि इस सदन में संसदीय प्रथा का या तो ज्ञान कम है, या मान्यवर उसका आदर नहीं है। माननीय गृह मन्त्री ने मेरे सम्बन्ध में कहा कि गत बार जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो उसे मैंने पेश नहीं किया था। जहां तक मुझे याद है मेरे दस्तखत थे ही और आर्डर पेपर पर मेरा नाम भी छपा था। संसदीय प्रथा के अनुसार विरोधी दल के नेता को इस बात का अधिकार प्राप्त है। यह किताब में लिखा हुआ है और यह किताब मैं उनके पास भी भेज सकता हूं। किन्तु लीडर आफ अपोजीशन जिसे कह देता है वह उसे पेश करता है। इसका ज्ञान यदि उनको नहीं है तो उसके पीछे मैं अपना सिर नहीं तोड़ूंगा।

पेश्तर इसके कि कुछ मैं कहूं मेरे संबंध में कुछ निजी बातें कही गईं। मलिहाबाद के चुनाव का जिक्र आया। मैं संजीदगी के साथ कहता हूं कि ५ बजे इस सदन के उठने के पूर्व यदि माननीय नेता सदन जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं वह इस बात को कहें कि उनकी पार्टी के चुने हुये मलिहाबाद कांस्टीट्यूएन्सी के सदस्य इस्तीफा दे देंगे तो मैं आज इस्तीफा देकर इस चुनाव को लड़ने के लिये तैयार हूं। और यह दिखला दूंगा कि वहां की जनता किसके साथ है।

एक दूसरी बात मेरे संबंध में यह कही गई कि माल मन्त्री के कथन के सिलसिले में मैंने कुछ गलत बयानी की। मेरी स्पीच जो लेजिस्लेटिव असेम्बली डिपार्टमेंट में टाइप होती है, उसकी प्रति मेरे पास है। मैंने यह कहा था कि "अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, माल मन्त्री का यह दावा है कि पिछली रबी की फसल अच्छी हुई है। उन्होंने इस सिलसिले में विशेष छूट कुछ थोड़ी जगहों को छोड़ कर नहीं दी।" मालूम नहीं कि मैंने क्या गलत बयानी की। अगर मेरे कान सही सुनते हैं और अगर मेरी अक्ल खब्त नहीं हुई है तो उस तरफ की बातों को सुनकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी उन्होंने इस सदन में उसी बात को दोहराया है।

किसी बात को मजाक में टाल देना बड़ा आसान होता है। मुझे याद है इस देश में भी यह प्रथा रही है कि राजा और जो बड़े बड़े राज्य हुये हैं वहां वहां पर मुखरों के लिये एक खास जगह थी। भारतवर्ष में तो मान्यवर, अकबर के जमाने में एक थिरकने वाले मंत्री भी हो गये थे। मुझे दुख है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। वह मुझसे उम्र में बड़े भी हैं। मैं उनको बड़ा भाई समझता हूं। सदा उनका ऐसा आदर करता रहूंगा। यही आदर, यही सम्मान और यही सद्भावना मेरी माननीय गृह मन्त्री की तरफ भी है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा कि वह मेरी मित्रता को खत्म कर देंगे। इसका दुख है। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि उनकी ओर से गोली खाने पर भी मैं उन्हें मित्र समझता रहूंगा और उनसे मैत्री समाप्त नहीं करूंगा। मेरी उनकी मित्रता कच्चे धागे से नहीं बंधी है।

इस प्रस्ताव को पेश करते समय मैंने मान्यवर यह कहा था कि मुझे दुख है कि उन लोगों के साथ, जिनके साथ २०–३० वर्ष इस सदन के अन्दर और बाहर काम किया है वह अपने पद से हट जायं ऐसा प्रस्ताव लाया। लेकिन मैं फिर भी बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सोचें और समझें कि आखिर इसके पीछे है क्या? क्या कारण है कि जिसकी वजह से इतने लोगों ने, इतने माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया? स्वास्थ्य मंत्री, साम, दाम, दंड और भेद के ज्ञाता हैं। गृह मंत्री जी मुमकिन है कि वाकिफ न हों, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी उसके कर्णधार पंडित हैं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट का झगड़ा क्या? इस फूट को डालने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम बबुये हैं? दुध मुंहे बच्चे हैं? कि उनकी बातों में आकर जो हमारा रास्ता है उसे छोड़ देंगे। कानून जिन्दगी भर उन्होंने पढ़ा ही नहीं बल्कि उसकी प्रेक्टिस भी की है। मुताह का नाम लिया और फिर माननीय गिजा मंत्री की तरफ इशारा करके कहा कि मुताह के बाद तलाक होता है। वह तो टेम्परेरी मैरिज होती है, तलाक के बिना ही वह खत्म हो जाती है।

मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि कम से कम उनको अपने नेता का तो खयाल करना चाहिये था। वह भी शहर से आते हैं। शहर से ही चुने हुए हैं। उनको कम से कम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का खयाल करना चाहिये था, उनका जिनकी तरफ उन्होंने मुताह का इशारा किया था। वह भी शहर से चुन कर आये हैं। जो अधिकतर सदस्य इधर बैठे हैं वह देहात से चुन कर आये हैं और उस तरफ शहर के ज्यादातर सदस्य हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से कम से कम इन प्रस्तावों का फैसला नहीं होना चाहिये और न उन पर विचार होना चाहिये।

मुझे दुख है कि मने एक बात का अनुसरण नहीं किया। मैं इस गलती को महसूस करता हूं। इस देश की बड़ी पुरानी मसल है और संभवतः दूसरे देशों में भी यह मसल होगी कि अगर गंदगी में ईंट फेंकोगे तो छींट जरूर पड़ेगी। मुझे अफसोस है कि उस तरफ से जितनी भी छींटें आयीं उनमें एक भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें दुर्गन्ध न आती हो। मुझे दुख है कि मैं इस बात पर तैयार नहीं था। माननीय गृह मन्त्री कहते हैं कि हम ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करेंगे। कौन कहता है कि आप ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन न कीजिये? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनका शरीर लोहे का बना है। मैंने माना कि उनका शरीर लोहे का है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि वह लोहा गरदन के ऊपर गया हो। जहां दिमाग है वहां सम्भवतः पत्थर हो गया। वहां लोहा नहीं हुआ। तो क्या बात करूं? यह धमकाते हैं, मान्यवर, कि हम अराजकता चाहते हैं।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मालूम नहीं किस कोष या लुगत के यह विद्वान् हैं ? किस कोष से इन्होंने पढ़ा है ? किस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है ? रेड के माने समझाते हैं 'रेड' के लिये महात्मा गांधी ने क्या कहा था ? घरसना रेड क्या था ? हमने सारे जिलों के अधिकारियों को दस्तखती चिट्ठी भेज दी है कि हमारे आदमी २४ घंटे पूर्व सूचना देकर जायेंगे, क जा करने को। हमारे आदमी अगर उनका कब्जा हो गया तो जो सामान मिलेगा उसकी सूची बनावेंगे और उसकी लिस्ट जिला मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे और हमारे आदमी उस अन्न का वितरण करेंगे जो मौजूदा सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा और अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरों को भी देंगे, और जो रुपया उससे आयेगा उसको सरकारी खजाने में जमा करेंगे। अगर इंडियन पेनल कोड में यह लूट है तो मुझे कोई इन्कार नहीं, लेकिन कानून का जहां तक सवाल है इसको लूट नहीं कहा जा सकता। इस परिभाषा के लिये उनको नया आर्डिनेन्स बनाना पड़ेगा। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि चाहे जितनी भी सख्ती वह करें, जितने भी हथियार वह इस्तेमाल करें, लेकिन किसी मौके पर, स्वप्न में भी उनको वह दिन नसीब नहीं होगा कि हम उनके आगे गिर कर घुटने टेके और कहें कि हमसे गलती हुई है। हम को क्षमा किया जाय। हम लड़ेंगे और गिरकर फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे जब तक कि उस मंजिल तक न पहुंच जायं कि जिसे पूज्य बापू ने बताया था।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि यह गुन्डों से मुकाबिला नहीं है और न वे गुन्डे हैं जो महज सफेद कपड़ा पहन कर उनके या और किसी के सामने जावेंगे। यह सही है कि हमारा लोहे का शरीर नहीं है। यह भी सही है कि हम में कुछ ऐसे भी ह जिनका हाथ टूटा हुआ है या पैर ठीक काम नहीं करता है। लेकिन जब सरकार की गोली चलेगी तो इनमें कोई भागता हुआ नजर नहीं आवेगा। हरेक अपने सीने पर गोली लेगा। वह चाहते हैं तो आजमावे और अगर उनकी कसौटी से हम नीचे निकलें तो वह इस बात को कहें। और हम उसे लज्जा के साथ स्वीकार करेंगे। लेकिन गलत बातों के चक्कर में हम आने वाले नहीं हैं।

मान्यवर, जो आन्दोलन है उसके एक अंग की ओर तो यह सरकार ध्यान ही नहीं देती है। मालूम होता है कि होर्डर्स से उनकी रिश्तेदारी अथवा गंठबन्धन है। ऐसे होर्डर्स ने हजारों और लाखों मन गल्ला छिपाया हुआ है। मैं केवल जनसंघ के नेता के बयान पर नहीं जाता हूं मगर मैं स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर ही जाना चाहता हूं कि अन्न की कमी नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों के बयानों से भाव बढ़ गये और हाथरस के झगड़े से भाव बढ़ गये मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि हाथरस के झगड़े से पहले ही २४।। मन गेहूं का भाव था। मैं चाहता था कि वह सोच समझ कर बयान देते।

मैंने कहा था कि मंत्रिपरिषद् इस्तीफा दे, उसका भी मजाक उड़ाया गया। मैंने कहा था कि यह संसदीय परम्परा है कि जो मिनिस्टर समझे कि उससे गलती हुई वह इस्तीफा दे। अपनी पार्टी में इस्तीफा दे। मेरी स्पीच में है और अखबारों में भी ऐसा छपा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी ऐसे लोग हैं जो इस मंत्रिमंडल के हटने से राज्य की सरकार का काम संभाल लेंगे। मैंने यह नहीं कहा था कि वह मुझे राज्य दे दें। अपनी ही पार्टी के लोगों को दीजिये। लेकिन ईश्वर के लिये जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसे अच्छी तरह से अन्जाम दीजिये।

एक बात बड़े जोर से कही गई कि बजट स्पीच फरवरी में हुई थी और उस वक्त यह अन्दाज नहीं हो सकता था कि रबी की फसल खराब हो जायगी। खरीफ की फसल का क्या हाल है। क्या माननीय माल मंत्री जी को मालूम है कि इस प्रदेश में जितनी खाद्यान्न की उपज है उसमें कितने फीसदी रबी की है और कितनी फीसदी खरीफ की पैदावार है ? क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इस प्रदेश में एक तिहाई चावल खाया जाता है ? जब चावल की कमी अकेले गोरखपुर और बनारस की डिवीजन में हुई तो ७६ लाख की छूट का सुझाव माल विभाग में आया। खरीफ की फसल पश्चिमी जिलों की खराब हुई तो क्यों नहीं यह सरकार सजग हुई ?

उभयनिष्ठ लेजिस्लेटिव लिस्ट में खाद्यान्न इस सरकार का विषय है। प्रदेशीय सरकार का विषय है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अनाज के बढ़ते हुये दामों को रोकने में वह असमर्थ हैं। मैंने कल भी कहा और फिर दोहराता हूं कि तीन विफलतायें मैंने लिस्ट कीं। जो कि उनका खुद का बयान है। इन्टीग्रेटेड आयुर्वेदिक कोर्स की योजना असफल नहीं, गलत थी बिजनौर के माननीय सदस्य ने कहा था कि मैंने गलत बात कही थी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेजर इरिगेशन योजनाओं में जितनी सफलता की आशा थी वह नहीं हुई। और वह यह कहते हैं कि अनाज के बढ़ते हुये भाव को नहीं रोक सकते।

अगर इस प्रदेश के किसी हिस्से में अभाव होगा तो उसका असर दूसरे हिस्सों पर अवश्य पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि जहां फसल खराब है वहां मालगुजारी माफ कीजिये। उस बात को यह सरकार गोल कर गई, एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन लाठी और डंडे से धमका कर हमें चुप करना चाहती है। कौनसा जिम्मेदार अफसर है उसे लाकर पेश कीजिये उसकी गर्दन पकड़िये, जिसने कहा था कि ७४·८४ मिलियन टन खाद्यान्न १९५०–५१ में पैदा हुआ। और कौन अफसर है जिसने कहा कि नहीं १०·७९ मिलियन टन प्रोडक्शन हो गया? ये बातें देखने की हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव पर निष्पक्ष भाव से राय देने की कृपा करें।

श्री सरथबहादुरशाह (जिला खीरी)––श्रीमन्, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री कम से कम ४० मिनट की अवधि लेंगे, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक आज १५ मिनट के लिये बढ़ा दी जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––जब तक वोटिंग पूरा न हो तब तक के लिये बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष––ठीक है, ४० मिनट वह बोलेंगे और जब तक वोटिंग पूरी नहीं होगी तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय यह प्रश्न है।

(सर्व सम्मति से बढ़ाया गया।)

***मुख्य मंत्री** (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––माननीय अध्यक्ष महोदय, कल अपने प्रस्ताव को पेश करते हुये माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनको इस प्रस्ताव के पेश करते समय दुख होता है। यद्यपि यह बात सही है कि प्रस्ताव में किसी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, कोई जाती रोष नहीं है, फिर भी पुराने साथियों के खिलाफ कुछ कहना, उनकी निन्दा करना, उनकी अयोग्यता की चर्चा करना, उनके लिये एक दुःखदायक बात है। मैं उनकी इस भावना की कद्र करता हूं लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कभी उनको उस वेदना का भी अनुभव होता है जो मुझको और मेरे जैसे लोगों को, माननीय त्रिलोकी सिंह जी और पालीवाल जी जैसे पुराने साथियों को, उनकी वर्तमान स्थिति में देखकर होता है। इन दोस्तों ने अपनी जिन्दगी के सब से कीमती वर्ष देश और प्रदेश की सेवा में लगाये, अपना सर्वस्व देश की सेवा में न्योछावर किया। उनकी सारी कोशिश इस एक बात के लिये थी कि इस देश से विदेशी शासन दूर हो, स्वराज्य स्थापित हो ताकि अपने देश की सरकार अपने देश की दुरावस्था को सदावस्था में बदल सके और स्वराज्य पर सुराज्य की नींव बन सके।

भगवान की कृपा से स्वराज्य स्थापित हुआ लेकिन जिस बात की उन्होंने वर्षों कोशिश की, जो लक्ष्य उनका था जिसको सामने रख कर उन्होंने कार्य किया था, आज उस लक्ष्य से वे बहुत दूर चले गये हैं। जो लोग कल एक साथ काम कर रहे थे, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने स्वयं कहा कि बावजूद इसके कि आपस में हमारे कुछ मतभेद रहते थे, हम साथ-साथ काम करते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

रहे। एक कामरेडशिप हमारे अन्दर पैदा हुई, जो इस बात के होते हुये भी कि आज हम अलग-अलग पार्टियों में हैं, हमारी वह कामरेडशिप खत्म नहीं हुई है। तो क्या वजह थी कि उस वक्त आपस में मतभेद होते हुये भी हम लोग काम कर सकते थे लेकिन आज जबकि उस काम का मौका आया जिसके लिये हमने बीसों वर्ष लगाये तो हम थोड़े मतभेदों की वजह से, एक साथ काम नहीं कर सकते हैं।

हो सकता है हम लोग इस अवस्था में हों कि हमारे लायक काम हो लेकिन फिर भी हम थोड़ा काम करते हों। संभव है एक रुपये भर काम करने का मौका हो लेकिन अपनी योग्यता की कमी की वजह से हम दो पैसा भर ही काम कर सकते हों, लेकिन इस प्रस्ताव को रख कर वे ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं सिवा इसके कि कुछ हमारी गलतियां दिखाते रहें और हमारी आलोचना करते रहें और जिसका नतीजा यह हो कि जो एक पैसा भर हम काम कर सकते थे वह भी न कर सकें। अगर मुश्किल से हम एक पैसा भर भी काम न कर सकें तो हमको वेदना होती है। मुझे इसलिये और वेदना होती है कि जैसा हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, हमारे इन दोस्तों के साथ-साथ उन नौजवान लोगों को भी कुछ काम करना है जो कि उनके अनुयायी हैं और जो उनकी पार्टी में हैं। उनमें काम करने की क्षमता है, उन में काम करने का उत्साह है, लेकिन आज वे अपनी जिन्दगी फ्रस्ट्रेशन में बिता रहे हैं और वे डाइरेक्ट क्रिटिसिज्म में लगे हुये हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको भी उनको सोचना चाहिये कि क्या इस तरह से वे उपयोगी हो सकते हैं और क्या इस तरह से उनकी योग्यता का अच्छा उपयोग किया जा सकता है? इन बातों को सोच कर हमको वेदना होती है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जहां माननीय त्रिलोकीसिंह दुख का अनुभव करते हैं और समझते हैं वहां वे मेरी इन बातों की ओर भी जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया, ध्यान दें। हमारी भी वेदना का अनुभव करें और सोचें कि जिस काम को पहले हम साथ-साथ मिल कर करते रहे हैं, उसी तरह से दूसरे काम के बारे में भी साथ-साथ मिलकर काम करने की तैयारी करें।

यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है, अविश्वास का प्रस्ताव गवर्नमेन्ट की आलोचना करने के लिये पेश किया जा सकता है। आमतौर से असली मंशा पार्लियामेंट या लोकतंत्रात्मक संस्थाओं में अविश्वास के प्रस्ताव का यह होता है कि एक गवर्नमेन्ट को हटा कर दूसरी पार्टी की गवर्नमेन्ट आवे। लेकिन इस प्रस्ताव का वह उद्देश्य तो है ही नहीं। इस रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है। इसका मंशा गवर्नमेन्ट के ऊपर आक्षेप करने का एक मौका लेने से है। जिस तरह से बजट पर आम बहस होती है तो उस वक्त एक मौका होता है जो कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है और दूसरा मौका राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जब बहस होती है तब होता है जो कि कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है। उसी तरह से हमारे दोस्तों ने बड़े कौशल से एक उपाय यह निकाला कि इसी तरह से साल में छः-सात महीने के बाद गवर्नमेन्ट के ऊपर आक्षेप आदि करने का एक दो मौका और मिल जाया करे। गवर्नमेन्ट की आलोचना करने की दृष्टि से ही इस अविश्वास के प्रस्ताव को देखा जा सकता है कि इसके जरिये गवर्नमेन्ट की आलोचना करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेन्ट बनने बनाने का कोई सवाल नहीं है।

एक चीज होनी चाहिये कि स्वराज्य की स्थापना के बाद हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है। चुनाव की दृष्टि से हम दूसरी असेम्बली में आये हैं। हम लोग जैसी लीक यहां डाल जायेंगे, हमारे बाद जो आवेंगे वे उसी लीक पर चलेंगे। इसलिये हमको खासतौर से इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंस न डालें जिसका गलत असर बाद में आने वाले लोगों पर पड़े। जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको लोग पढ़ते हैं कि किस जमाने में किस स्तर की बातें होती थीं। जब हम नहीं रहेंगे, यह-यह पार्टी नहीं रहेगी, मुमकिन है कि यह पार्टी किसी दूसरे नाम से आवे, या और कोई पार्टी आवे, लेकिन जो प्रेसिडेंस हम डाल जायेंगे उसको वे लोग पढ़ेंगे और फिर वे अन्दाजा लगायेंगे कि हम लोग किस स्तर के काम कर रहे हैं। अगर हमने उस स्तर को कायम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसका गलत असर हो सकता है।

(श्री राजनारायण के कुछ कहने पर)

बड़ी मुश्किल है। उम्र ज्यादा होने की वजह से जो पार्लियामेंटरी संस्था हैं उनके कुछ कंवेंशन होते हैं जिनकी तरफ सब को ध्यान देने की जरूरत है और उस कवेंशन का हर एक को पालन भी करना चाहिये। मसलन मैं उस कंवेंशन का पालन करने की कोशिश करता हूं। जो कोई सदस्य बोलता है या विरोधी दल के नेता जिस वक्त बोलते होते हैं तो बीच में मैं उठ कर नहीं जाता और न दूसरे को टोकता ही हूं क्योंकि यह पार्लियामेंटरी पद्धति के खिलाफ है और सौजन्यता के भी खिलाफ है। हम सब लोगों को चाहिये कि इस बात का खयाल रखें क्योंकि जहां सुशीलता से काम चल जाय वहां कुशीलता का व्यवहार करना कोई शोभा की बात नहीं होती। अगर कोई आदमी दूसरे के लिये सौजन्यता नहीं दिखला सकता तो उसको दूसरे से भी सौजन्यता की आशा नहीं करनी चाहिये। ऐसे सौजन्यता में कोई खर्च नहीं होता। शराफत बड़ी अच्छी चीज है अगर बरती जाय।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी संस्थाओं के कुछ दस्तूर होते हैं। अगर हम अच्छी लीक छोड़ जायं तो अच्छा है। अब इस किस्म का अगर कोई प्रस्ताव आ जाय तो शोभा की बात यह है कि एक इंटेलेक्चुअल लेवेल पर बातें हों, बौद्धिक स्तर पर बातें हों। यदि ऐसा हो तो तर्क का जवाब तर्क से दिया जा सकता है, फैक्ट्स ऐंड फिगर्स का जवाब फैक्ट्स ऐंड फिगर्स से दिया जा सकता है। लेकिन जब तर्क के लिये कोई जगह न हो, फैक्ट्स ऐंड फिगर्स के लिये कोई जगह न हो, यदि केवल सेंटीमेंट्स की बात करें, गरम-गरम आंसू बहायें तो आंसू का जवाब तो कोई है नहीं मेरे पास। जो आंसू बहाये जाते हैं उनमें से कुछ की कदर तो हम भी जानते हैं और वह भी जानते होंगे।

आज से कुछ वर्ष पहले इस देश में एक बार और ऐसी स्थिति आयी थी। उसका कई लोगों ने जिक्र किया है। १९४२-४३ के करीब की बात है। उस वक्त जो लोग इधर बैठे हैं और जो लोग उधर बैठे हैं वह तो जेलों में बन्द थे। लेकिन ऐसी भी पार्टियां थीं जो जेलों के बाहर थीं। आज इस देश की कम्युनिस्ट पार्टी को इस सदन में ही मसलन और सदन के बाहर भी गरीबों के लिये, भूखों के लिये बड़ा दर्द है, उनके लिये उनके दिल में बड़ी तलब है, कलेजा फटा जाता है उनकी सहानुभूति में।

एक जिले के एक गांव में एक बीमार स्त्री मर गई। अफसोस की बात है। उसके नाम पर आज ३०-४० जवान कम्युनिस्ट पार्टी के अनशन कर रहे हैं। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के गले में हाथ डालकर झूला झूल रही थी। ४० लाख आदमी मर गये। लेकिन हमने कहीं नहीं सुना कि एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति ने कहा हो कि हम अनशन करने जा रहे हैं। इन लोगों की आंखों में आज आंसू हैं। उस वक्त जनसंघ का नाम रहा हो या न रहा हो, किसी न किसी नाम से वह लोग थे और जेल के बाहर थे, नेतागण तो जरूर जेल के बाहर थे। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि सरकारी ड्यूज का देना बन्द कर दो। आज जरूर सबके दिल में बहुत दुख है। आंसू रुकते नहीं हैं। यह हम जानते हैं कि उस वक्त यह सब बातें क्यों नहीं की गईं। उस वक्त जो गवर्नमेन्ट थी उसका मुकाबिला करना उन्हीं लोगों का काम था जो इस फकीर के कदमों पर चलते थे। आज यह बात सबको मालूम है कि जेल के बाहर और जेल के अन्दर उस तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है जैसी कि उस वक्त में होती थी। आज रंज लीडर्स को बहुत है लेकिन आराम के साथ। आज जरूर हर तरह के आन्दोलन होंगे, हर तरह की कोशिश होगी और यही वह तरीका है जिसके बल पर एक गवर्नमेन्ट को हटाकर के दूसरी गवर्नमेन्ट वह कायम करेंगे। मुबारक हो।

तो मैं यह कह रहा था कि आंसू का जवाब तो मेरे पास है नहीं। तर्क का रास्ता त्रिलोकी सिंह जी ने बन्द कर दिया। कैसे बन्द किया? एक चीज का जिक्र चरण सिंह जी ने किया था। लेकिन वह काफी नहीं, उसमें कुछ बातों का और जिक्र करना है। उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। मेरे पास जो प्रजा समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिरी खत आया उस पर माननीय

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

त्रिलोकीसिंह जी का और श्री मुकुटबिहारी लाल का इन दो सज्जनों का दस्तखत है। त्रिलोकीसिंह जी तो मेरी तरह से एक प्रोफेशनल पालीटिशियन हैं, जो पालिटिक्स के कन्वेंशस हैं, दस्तूर हैं, उनसे वाकिफ हैं। मुकुटबिहारी लाल जी हिन्दू यूनिवर्सिटी में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर रह हैं बहुत दिनों तक। उस पत्र में एक वाक्य है गवर्नमेन्ट की बाबत--

"The Government has fed the people on wrong statistics prepared under instructions."

आमतौर से ऐसा होता है कि गवर्नमेन्ट की बाबत कहा जाता है कि आपके आंकड़े गलत हैं, लेखपाल, पटवारी बनाते हैं, और आप उन पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन आमतौर से शरीफों में जब बातचीत होती है तो एक दूसरे को चोर, बेईमान नहीं कहते। अंग्रेजी में ऐसी बात फिश मार्केट में हुआ करती है और हमारे यहां ऐसी बात भठियारखाने में हुआ करती है। इसमें साफ बात है कि गवर्नमेन्ट में जो लोग आंकड़े तैयार करते हैं उनको हुक्म देती है कि बेईमानी से झूठे आंकड़े बनाओ। इस किस्म की बात जब हो तो यह कोई हवा की बात तो है नहीं। जाहिर है कि इधर जो आठ-दस लोग बैठे हैं वह उन लोगों को जो आंकड़े बनाते हैं, हुक्म देते हैं कि गलत और झूठे आंकड़े तैयार करो। और साथ ही आंकड़े कौन तैयार करते हैं? अकेले लेखपाल ही नहीं तैयार करते हैं। एग्रीकल्चर विभाग, इंडस्ट्रीज़ विभाग के रेवेन्यू विभाग के स्टेटिस्टिक्स विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं उनमें शायद एम० ए० से कम के कोई नहीं होगा, कई एक डाक्टर्स होंगे और कई स्टेटिस्टिक्स के महान् पंडित, प्रोफेसर महालनबिस के यहां से डिप्लोमा पाये हुये हैं। यह लोग आंकड़े तैयार करते हैं। तो इसके कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो ऊंचे पढ़े लिखे हिन्दुस्तानी हैं वे मोरेली कवर्ड होते हैं, ऊंचे दर्जे के हिन्दुस्तानी बेईमान होते हैं कि किसी के इशारे पर झूंठे आंकड़े तैयार कर सकते हैं। यह तो बड़ा भारी भारत की इंटेलीजेंशिया पर लांछन है।

इस सम्बन्ध में मैं और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता। एक चीज़ है बावजूद इसके कि हम हुक्म देते हैं कि आंकड़े झूंठे तैयार किये जायं, सारे ऐक्सपर्ट्स बेईमान हैं, लेकिन हमारे आंकड़े कैसे हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं इस किताब से करता हूं जिसने कि आजकल वेद का दर्जा हासिल कर लिया है, फूड ग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट। इसमें एक चैप्टर पेज ३६ से शुरू होता है। क्यों कीमतें बढ़ी? मालूम नहीं बहुत से दोस्तों ने पढ़ा भी है या नहीं। कैसे कीमतें बढ़ती हैं पेज ४२ पर १४ और १५ पैराग्राफ में लिखा है कि सरकारी आंकड़े क्या हैं, किस साल कितना गल्ला पैदा हुआ, फिर किस साल कितना हुआ, जिससे मालूम होता है कि गल्ले की पैदावार में बराबर वृद्धि होती गई। लेकिन १९५५-५६ और १९५६-५७ में उत्तर प्रदेश में और कुछ और प्रदेशों में गल्ले की कमी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी आंकड़े गलत हैं। इसमें यह कहते हैं कि:

"15. In view of the recent rise in prices some people doubt whether the increase in production in 1956-57 had in fact taken place. The results of some special field investigations carried out on our behalf by various research institutions, over and above our observations and enquiries in the course of our tour of the country, however, seem to confirm that an increase in production in 1956-57 over 1955-56 did take place. For instance, special surveys carried out on our behalf by the Programme Evaluation Organization of the Planning Commission. The Agro-Economic Research Centres and other non-official organizations show that the production of foodgrains in 1956-57 has been, on the whole, higher than in 1955-56. The only States where production has been reported in the special surveys to be lower in 1956-57 than in 1955-56 are for rice-parts of West Bengal and U. P.; for wheat: Himanchal Pradesh and Bihar; and for millets: Mysore, Rajasthan, parts of Bombay and Madhya Pradesh. A comparison with official statistics for these States shows that these are also the areas for

which the official production figures show a decrease in 1956-57 over 1955-56. There is, in fact broad correspondance between changes in production as revealed by official statistics and as disclosed by the special surveys for these two years."

उनका कहना है कि कुछ लोगों को सन्देह हुआ शायद हर सरकारी आंकड़े गलत हों। तो उन्होंने कुछ प्राइवेट संस्थाओं का नाम दिया है जिनके जरिये से जांच करायी और खुद दौरा किया फिर हमने देखा कि सरकारी जो आंकड़े हैं और नान-आफिशियल तरीके से जो आंकड़े मिल सके हैं वे मिलते-जुलते हैं। हमारे अफसर बेईमान हैं, लेकिन वह फिगर्स में हैं जिनको अशोक मेहता कमेटी कहती है, ठीक हैं। और जिनको उन्होंने नान-आफिशियल तरीके से जांच करायी और ठीक पाया।

मेरी समझ में नहीं आता, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कल भी कहा था और आज भी कहा, वही 'मसल मारे घुटना फूटे आंख,' एम० बी० बी० एस० कोर्स के इंटेगरेशन की बात कही। मैंने नहीं सारे हिन्दुस्तान में कहा गया कि आयुर्वेद के साथ अंग्रेजी मेडिसिन पढ़ानी चाहिये। वह ऐक्सपेरीमेंट किया गया था सब से पहले सीलोन में, और फिर बम्बई सरकार ने किया, हम कर रहे हैं। लेकिन बाद में यह पाया गया कि आयुर्वेद के साथ माडर्न मेडिसिन, यानी ऐलोपैथी पढ़ाई गई तो आयुर्वेद की शिक्षा चौपट हो गई। तो सब ने समझा कि अगर हम आयुर्वेद को जीवित रखना चाहते हैं तो शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाना चाहिये। पहले समझा गया कि ठीक होगा लेकिन तजुर्बे ने इस नतीजे पर पहुंचाया कि आयुर्वेद की शुद्ध पढ़ाई होनी चाहिये। इसलिये आयुर्वेद से माडर्न मेडिसिन को हटा दिया गया।

यह किसी ने नहीं कहा कि नहरों का बनना बन्द हो गया। लेकिन यह देखा गया, कई प्रदेशों में पंजाब में नहरें बहुत दिनों से चली आ रही हैं, हमार यहां से बहुत ज्यादा हैं, उनकी समझ में बात आयी कि नहरें तो ठीक हैं लेकिन खास करके ऐसी जगहों पर लेकिन किसी भी ऐसी जगह में जहां कमी है, हम वहां उसकी पूर्ति करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आप कृषि की बात ले लें। जैसे मेसनरी वेल्स हैं, हम उस पर रुपया खर्च कर रहे हैं। जो लोग खेती का कार्य करते हैं और जिनको खेती का अनुभव है वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम बड़ी-बड़ी नहरों पर रुपया खर्च करते हैं, ट्यूबवेल्स पर रुपया खर्चा करते हैं, छोटे-छोटे मेसनरी वेल्स, जो कि आसानी से बनाये जा सकते हैं, उन पर रुपया खर्च करत हैं। हम उन पर ज्यादा रुपया खर्च नहीं करते हैं जिसमें हमें फारेन एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उससे कभी-कभी परेशानी भी हो जाती है। लेकिन आज इस तरह की संख्या काफी लोगों की है जिनके जीवन के लिये हम पालिसीज बनाना चाहते हैं और जिनके जीवन के लिये काम कर के हम उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि उनके जीवन का यह लक्ष्य है।

आज यहां पर बहस हो रही है आन्दोलनों के सम्बन्ध में। इन आन्दोलनों का रूप हमारे सामने आ चुका है। जो लोग इनको चला रहे है, हम नहीं समझते हैं कि वे इस बात से परिचित नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा या वे इसके परिणाम को नहीं समझते। आज मान लीजिये रिलीफ देने की बात है। तो जिस तरह से गरीब लोगों को रिलीफ की जरूरत है, उनको वह रिलीफ दिया जा रहा है। ग्रैचुटस रिलीफ के तौर पर उनको जरूरत की चीजें बांटी जा रही हैं। जैसे हमारे यहां लूले, लंगड़े, अपाहिज हैं तथा ऐसे लोग हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं उनको भी मदद दी जा रही है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है या गाँव में सूखा पड़ जाता है, तो वहां पर भी सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाती है। अगर रुपये में चार आना भी 'घेरा डालो आन्दोलन' सफल होता है, तो इसका नतीजा क्या होगा। जो सरकारी आफिसर रिलीफ देने जायेंगे और रिलीफ का कार्य करेंगे, वह अपने इस कार्य को नहीं कर पायेंगे और आन्दोलन को ही समाप्त करने में लग जायेंगे। इस तरह से सरकारी आफिसर को जो काम करना है, उसका ध्यान अपने काम की तरफ नहीं जायेगा और उसका काम इस आन्दोलन के कारण रुक जायेगा और जो लोगों को मदद मिल सकती थी, वह भी इस तरह से रुक जायेगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अदालतें हैं, जिनमें जान, माल और इज्जत के मुकदमें चल रहे हैं, इस तरह से उनका कार्य भी रुक जायेगा। जो लोग हवालात में हैं, गलत या सही तरीके से, वे भी उसी तरह से पड़े रहेंगे क्योंकि तब कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं हो पायेगा। जितने मुकदमें हैं वे उसी तरह से पड़े रहेंगे। क्या यह सब ठीक होगा? मेरे विचार से इस तरह से आन्दोलन करके तो जनता के लिये मुसीबत बढ़ जायेगी। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जो बात कही, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में माननीय त्रिलोकी सिंह जी तो व्यापक नहीं हो सकते हैं। उनके दल का कोई नेता इस तरह से व्यापक नहीं हो सकता है और जो वे आन्दोलन चलायेंगे और इस तरह से जो भी अन्न होगा, उस पर कब्जा करना चाहेंगे, तो इसका क्या नतीजा होगा, नतीजा यही होगा कि उस आन्दोलन के नाम पर बहुत से बुरे आदमी व गलत आदमी भी लूट करने लगेंगे और जब उनसे पूछा जायेगा, तो वे यही कहेंगे कि हम पी० एस० पी० के कार्यकर्ता हैं और उसकी तरफ से आन्दोलन कर रहे हैं। यह उनकी जिम्मेदारी हो जायेगी। इसी प्रकार से दूसरे आन्दोलन भी होंगे। यहां पर चार, पांच जिलों के नाम आये हैं, लखनऊ में तो यह आन्दोलन जरूर होना चाहिये, लेकिन इसके अलावा भी चार, पांच जिलों के नाम आये। हमारे सामने पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा यह सिद्धान्त है कि चाहे एक रुपया खर्च हो या एक पैसा खर्च हो, हमारे लिये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब बराबर हैं और हमें सबको देखना पड़ता है। हम पूर्वी जिलों के लोगों को ही नहीं बल्कि पश्चिमी जिलों को भी इगनोर नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों की दिक्कत भी किसी माने में पूर्वी लोगों की दिक्कत से कम नहीं है। कुछ आन्दोलनों की बात करने वाले भले ही पूर्वी जिलों की आड़ लेकर बातें करें उन को उसमें कुछ आसानी मालूम होती होगी लेकिन पूर्व और पश्चिम में हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है। तो जानबूझ कर कि इस तरह के नतीजे ऐसे आन्दोलन के होंगे अगर ऐसा किया जाता है तो वह खुद समझें मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं। मान भी लिया जाय कि अगर गल्ला कम है तो इस तरह की चीजें बाजार में होंगी तो जो गल्ला आता है उतना भी नहीं आयेगा। ऐसा कौन सा व्यापारी होगा कि जिसको पता चलेगा कि बाजार में गल्ला लूट लो और कब्जा कर लो की बात है तो वह अपना गल्ला लेकर यहां आयेगा। नतीजा यह होगा कि बाजार खाली दिखाई देंगा। तो क्या इस तरह से लोगों की भूख और नहीं बढ़ेगी? जो राशन मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। इस नतीजे पर वह जरूर गौर कर लें।

अभी एक सज्जन ने अपने भाषण में अन्तिम प्रहार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि असली महाभारत चुनाव का आने वाला है और उसमें हम विजयी होंगे। खैर ठीक है, अभी तो एक चुनाव जिला परिषद् का आने वाला है उसकी तैयारी है और बड़ा महाभारत तो अभी दो साल के बाद आयेगा। उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि प्रकाश डाल दिया, सन्देह तो बहुत लोग करते थे लेकिन उन्होंने खुल कर कह दिया, उनको धन्यवाद। इसलिये मैं फिर एक बार कहता हूं कि किसी भी ऐसे काम के करने से पहले यह सोच लेना चाहिये कि उसका परिणाम क्या होगा, लोग भूखे मर सकते हैं, लोग स्ट्रेन्डेड रह सकते हैं उनको सामान पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लूटमार भी हो सकती है, गलत लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर कहा जा सकता है कि हम शान्ति चाहते हैं, यही साइन-क्वा-नान है। हम बड़े बहादुर हैं जेल भी जा रहे हैं और यह गवर्नमेंट ऐसी है जिसके राज में लूटापाट हुई और जनजीवन की वह रक्षा नहीं कर सकी। मैं समझता हूं इसके सिवा वह और कुछ कह भी नहीं सकते और इसका कोई दूसरा नतीजा हो भी नहीं सकता।

नो-कांफिडेंस या अविश्वास की बात कही गई। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है। वह लोग जो कि आन्दोलन को बात उठाते हैं अपने लिये या अपनी पार्टी के लिये उनका विश्वास हमें प्राप्त नहीं है, वह लोग जो कम्युनिलिस्ट हैं, चाहें वह हिन्दू कम्युनिलिस्ट हों या मुसलमान कम्युनलिस्ट हों और जो हमेशा कम्युनलिस्ट

विचार से ही हर चीज को देखते हैं उनका विश्वास हमें प्राप्त नहीं है। ऐसे लोग जो शान्ति की परवाह न कर के लोगों की तकलीफ आराम की बात न सोच कर अपने भविष्य को गलत या सही तरीके से बनाना चाहते हैं उनका भी विश्वास हमें प्राप्त नहीं है और हमें उनका विश्वास चाहिये भी नहीं और अगर उनका विश्वास कभी किसी मौके पर हमें प्राप्त हो जाय तो हमें अपने ऊपर सन्देह होने लगेगा कि हमने जरूर कोई गलत काम किया है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोगों के दुख-दर्द को समझते हैं, जो लोग हिन्दू-मुसलमान और ऊंच-नीच के फर्क को नहीं समझते, वह लोग जो जानते हैं कि लोगों को शान्ति मिलना चाहिये और समझते हैं कि बिना शान्ति के कुछ भी नहीं हो सकता और किसी आड़े वक्त में उनको बगैर शान्ति के किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई जा सकती, जो समझते हैं कि अगर आज तकलीफ चार पैसे भर है तो उसे किसी तरह से घटा कर एक पैसे भर करना है, जो समझते हैं कि शान्ति हर हालत में अनिवार्य है वह इस सदन में और बाहर भी हमारे में विश्वास रखते हैं और वही हमारे सम्बल हैं और उन्हीं की शक्ति हमारे पास है।

मैंने खाद्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा, एक बात और कहूंगा। मैं उसी बात को कहना चाहता हूं जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। खाद्य की स्थिति आज कठिन है इसमें कोई सन्देह नहीं लेकिन जिस प्रकार की तसवीर प्रदेश में खींची जा रही है इस प्रस्ताव के द्वारा और उधर के प्रेस-स्टेटमेंट्स के द्वारा और अपनी कान्फ्रेन्सेज में वह १६ आना गलत है। प्रदेश की जनता के सामने इस गलत तसवीर को रख कर लोगों में आतंक पैदा किया जा रहा है और डिमारेलाइजेशन पैदा किया जा रहा है, हुकूमत की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है यह सब हम जानते हैं, हम बेखबर नहीं हैं,। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज जो भी हालत हमारे प्रदेश में है वह ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई फेमीन कन्डीशन्स हों या कोई स्टारवेशन का असर हो। आगे क्या होगा यह हम नहीं कह सकते, प्रकृति के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, हो सकता है कि अतिवृष्टि हो जाय सारी खरीफ खराब हो जाय और आगे रबी भी अनावृष्टि से खराब हो सकती है लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें स्टारवेशन की हालत नहीं है और फेमीन कन्डीशन्स नहीं है बल्कि स्थिति अब सुधार की ओर ही है, क्योंकि पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं सांवा आदि आने लगा है, धान भी कट कर आना शुरू हो गया है और आशा है कि थोड़े दिन में अधिक आने लगेगा और लोगों की तकलीफ काफी घट जायगी। हम जानते हैं कि जहां तक रबी की फसल की वजह से दिक्कत हुई है, हमको शायद कई महीनों तक लोगों के पेट को भरना पड़ेगा जब तक कि अगली रबी की फसल न आ जाय। लेकिन सब बातों को समझते हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे यहां फैमिन कंडीशन्स नहीं हैं, स्टार्वेशन कंडीशन्स नहीं है। ऐसी कोई सूरत नहीं है जिससे लोगों को घबराने की जरूरत हो।

एक ही बात कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं। कल हमारे भाई हुकुमसिंह जी ने जो कुछ कहा उसका अर्थ कोई यह न लगाये कि उनका इरादा धमकी देने का था। धमकी कमजोर लोग दिया करते हैं,मजबूत लोग धमकी नहीं दिया करते। हमको धमकी देने की जरूरत नहीं है। किस बात की धमकी दें? क्यों दें? हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते, उपद्रव नहीं करना चाहते, हम प्रदेश के जीवन को खराब नहीं करना चाहते। इतनी बात जरूर है कि हम बार-बार अपील करते हैं कि इस मामले में हमको सब का सहयोग चाहिये।

मैंने कुछ दिन पहले एक बार बेवकूफी से समझिये, कह दिया 'पोलिटिकल ट्रूथ' का लफ्ज कि फूड के मामले में पोलिटिकल ट्रूथ हो जाय और इसको नान-पोलिटिकल समझा जाय। गलती हो गयी, क्योंकि सदन में हर तरफ से उसका मजाक उड़ाया गया। मैंने उसको वापस नहीं किया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करता। माननीय राजनारायण ने कहा कि फूड का सवाल और नान-पोलिटिकल ! यह तो सब से बड़ा पोलिटिकल सवाल है, यह तो पालिटिक्स से अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इस बात को हमेशा कहा और हमने सबका सहयोग चाहा। मैंने बार-बार कहा कि हम एक बार अपने प्रदेश के लोगों को खड़ा तो हो लेने दें। जो भूखा और नंगा है उसके ऊपर शासन करने में कौन सा लुत्फ है? प्रदेश के आदमियों का जीवन थोड़ा सा बन जाय फिर लड़ते रहेंगे। इस पार्टी का राज्य होगा या उस पार्टी का राज्य होगा, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी अपील को किसी ने नहीं सुना। अगर किसी वजह से कोई यह सोचे कि प्रदेश की जिन्दगी को बिगाड़ना ही है तो वह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम जब तक यहां है, हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे, चाहे वह कर्तव्य कितना ही कठोर क्यों न हो। जब हम कर्तव्य के पालन की बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे साथ शक्ति है। शक्ति केवल पुलिस की नहीं, बल्कि इस देश की जो जनता है, जो जनता शान्ति चाहती है, जो आराम से रहना चाहती है उस जनता की शक्ति, उसकी मारेल सपोर्ट हमारे साथ है और यह सब से बड़ी शक्ति हमारे पास है। मैं नहीं जानता कि जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा है वह क्या करेंगे। वह वापस ले लें तो ठीक ही है, लेकिन अगर इतनी सद्बुद्धि नहीं है तो मैं समझता हूं कि सदन पूरी तरह से उसको अस्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)—

हां—९५

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
उग्रसेन, श्री
ऊदल, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूरअली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री

भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामबली, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबहादुर, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
हरदयालसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नहीं—२६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रमकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्ष्मण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री

शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल. श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसकी कांउंटिंग फिर से करा ली जाय । सोशलिस्ट पार्टी के ही २४ सदस्य हाजिर हैं । तो इसकी जांच फिर से करा ली जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह हो सकता है । आप खुद कोई एक काउन्टर मुकर्रर कर दें । हमारे सचिवालय का जो व्यक्ति हो उसके साथ आपका आदमी चला जाय ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहीं गिन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यहां से मतलब नहीं है । उन हस्ताक्षरों को ही गिनना होगा । आप कृपया नाम बता दीजिये कि कौन जायगा ।

श्री राजनारायण—हमारी ओर से श्री उग्रसेन जायेंगे ।

(श्री उग्रसेन द्वारा हस्ताक्षर गिनने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी बतायें कि क्या गणना है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जो आंकड़े बताये गये हैं वह ठीक हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो हां के पक्ष में ९५ और नहीं के पक्ष में २६९ हैं । तो यह प्रस्ताव गिर गया ।

अब हम उठते हैं और सोमवार तारीख ८ सितम्बर को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ सितम्बर, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर)

जिला बलिया में स्थित रतनपुरा सामुदायिक विकास योजना में खुलने की तिथि १ सितम्बर, १९५२ से ३१ मार्च, १९५६ तक मदानुसार किये गये व्यय का विवरण।

क्रम-संख्या	मद	व्यय (रुपयों) में
१	स्टेट तथा प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स	२,९५,३०४
२	कृषि तथा पशुपालन	३,४०,२८२
३	सिंचाई	३,५३,४७०
४	भूमि सुधार	८८,९००
५	मेडिकल तथा जन-स्वास्थ्य	१,१८,६०७
६	शिक्षा	१,२१,७५३
७	समाज शिक्षा	५६,८६५
८	यातायात	२,२४,७१०
९	ग्रामीण कला, हस्तकला तथा उद्योग	१,९९,२७४
१०	प्रशिक्षण	३,८१२
	योग	१८,०२,९७७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	नगर का नाम	आबकारी इन्सपेक्टर	विशेष विवरण
१	२	३	४
१	मेरठ	६	
२	देहरादून	४	
३	सहारनपुर	३	
४	मुरादाबाद	३	
५	झांसी	३	
६	रामपुर	२	
७	आगरा	४	
८	अलीगढ़	२	
९	मथुरा	१	
१०	बरेली	५	
११	शाहजहांपुर	१	
१२	लखनऊ	१०	
१३	कानपुर	१२	मद्यनिषेध लागू है तथा स्टाफ पुलिस के अधीन है।
१४	गोरखपुर	४	
१५	वाराणसी	४	
१६	इलाहाबाद	१६	
१७	फैजाबाद	१	कमिश्नरी का मुख्यालय होने के कारण प्रथम श्रेणी में माना गया है ।
१८	नैनीताल	१	उपरोक्त
	योग . .	७८	

नोट—पिछली जनगणना के अनुसार प्रथम १६ शहरों को आबकारी प्रशासन हेतु प्रथम श्रेणी में माना गया है।

उन आबकारी इंस्पेक्टरों को ही दिखाया गया है जिनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त नगर है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जिला फतेहपुर में अभी तक जो घरेलू तथा दूसरे छोटे उद्योग विभागीय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खोले गये हैं वे स्थान सहित नीचे दिये गये हैं :

योजनायें	उद्योग	स्थान
१	२	३
(१) चर्म शोधन एवं चर्म विकास योजना . .	चर्म उद्योग	१—आबूनगर २—बसौनापुर
(२) हथ करघा योजना . .	हथ करघा उद्योग	हथ करघा सहकारी समितियां।
,, ,,	,, ,,	१—मुरवा
,, ,,	,, ,,	२—हरिहरगंज
,, ,,	,, ,,	३—विरनई
		बिक्रीघर
,, ,,	,, ,,	१—हरिहरगंज
,, ,,	,, ,,	२—विन्दकी
,, ,,	,, ,,	३—खागा.
		रंगाई घर
		१—फतेहपुर
(३) गुड़ विकास योजना. .	. . गुड़ उद्योग	फतेहपुर गाजीपुर चस्कान, हुसेन-गंज, चुरियानी, विलद, विन्दकी, मदवा, मलवा, खजुहा, जुनिहा, वकेवर, खागा, बहुआ, सिलमी और शाह।
(४) औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा योजना . .	चर्म शोधन	फतेहपुर
(५) खादी विकास योजना . .	खादी उद्योग	गाजीपुर
(६) औद्योगिक शिक्षालय योजना . .	बेंत की टोकरी तथा चिक	फतेहपुर
(७) सघन विकास योजना . .	. . चर्म कला कम्बल उद्योग	शाह लदगवां

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज द्वारा कोटा जिलेवारअलाट नहीं किया जाता वरन् फैक्टरियों की मांग को जांच कर दिया जाता है। सन् १९५८ के पहले और दूसरे क्वार्टरों में जिन फैक्टरियों को छोटे उद्योग-धन्धे चलाने के हेतु कोटा अलाट किया गया उनका जिलेवार विवरण निम्नलिखित है :

जिले का नाम	कोटे का अलाटमेंट (टनों में)	
	पहला क्वार्टर	दूसरा क्वार्टर
१	२	३
१—आगरा	२१९	१६४
२—अलीगढ़	३१	४५ १/२
३—इलाहाबाद	३०४	७४ १/२
४—आजमगढ़	..	४
५—बलिया	४	४
६—बहराइच	५	५
७—बरेली	२	६
८—बुलन्दशहर	३४	२३
९—बाराबंकी	..	६
१०—देहरादून	६	४
११—देवरिया	९	१३
१२—एटा	..	१
१३—फैजाबाद	..	२
१४—फतेहपुर	६	६
१५—गोरखपुर	९	१६
१६—गोंडा	..	५
१७—झांसी	४	४
१८—कानपुर	३४२	३३३
१९—लखनऊ	६३	७४
२०—मेरठ	१४१	१४३
२१—मथुरा	३	५
२२—मुजफ्फरनगर	१०	१५
२३—मिर्जापुर	..	२
२४—नैनीताल	३	३
२५—पीलीभीत	३	१
२६—शाहजहांपुर	१३	१०
२७—सहारनपुर	..	१
२८—वाराणसी	५२	२२
२९—विभिन्न औद्योगिक आस्थानों को ..	..	१२५
योग ..	१,२६२	१,११७

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५० एल० ए०—१९५८—८३७।